योजना

वर्ष : 62
अंक : 07

जुलाई 2018
आषाढ़-श्रावण, शक संवत् 1940

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 00

वेबसाइट www.yojana.gov.in

प्रधान संपादकः दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादकः कुलश्रेष्ठ कमल

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा
संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन): गोपाल के एन चौधरी
आवरणः गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।
योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें
एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

सदस्यता, नवीकरण, पत्रिका न मिलने की शिकायतों, पुराने अंक मंगवाने के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारी वेबसाइट तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज http://www.facebook.com/yojanahindi पर भी संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 48-53 भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

संपादकीय 7

सबका साथ, सबका विकास, सबका आवास
हरदीप सिंह पुरी 9

किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य
कृष्णा राज 15

1000 दिनों में शत प्रतिशत ग्रामीण बिजलीकरण का सफर
ए के भल्ला..21

'सबको शिक्षा-अच्छी शिक्षा' की ओर बढ़ते कदम
जगदीश उपासने
लोकेन्द्र सिंह 27

विशेष आलेख

सामुदायिक गतिविधियों में युवाओं की सहभागिता
अमरेंद्र कुमार दुबे...............................33

अक्षय ऊर्जा विस्तार के समग्र प्रयास
मनोज कुमार उपाध्याय
अभिनव त्रिवेदी...................................41

फोकस

किसानों का कल्याण: संकल्प भरी प्राथमिकता
जगदीप सक्सेना 45

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018
सीएमए वी मुरली...............................51

आम आदमी को मिलेगा आसमान छूने का मौका
सिंधु भट्टाचार्य...................................55

साकार हो रहा सस्ते घर का सपना: सबके सर पर छत सुनिश्चित करने की तैयारी
रंजीत मेहता.......................................63

पीएम संवाद.......................................66

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669

www.publicationsdivision.nic.in
@DPD_India

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

आपकी राय

महिलाओं के हित में कारगर सरकारी पहल

योजना के जून अंक में राकेश श्रीवास्तव का आलेख 'महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच' में बेहतर जानकारी दी गई है। वर्षों से महिलाओं और बच्चों के साथ समाज द्वारा भेदभाव किया गया है। हमारी आबादी को दो तिहाई हिस्सा होने के बावजूद उनकी अनदेखी की गई है। कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि वह महिलाओं और बच्चों को अधिकार और उन्हें समाज में समान दर्जा प्रदान न करे।

सरकार ने एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए शुरुआती चरण में ही समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। इसके लिए सरकार ने देश में सभी जिलों में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का विस्तार किया है। इसी के साथ जिन महिलाओं और बच्चों को पुलि से सीधे संपर्क करने में संकोच होता है, उनकी कठिनाइयों को देखते हुए निर्भया फंड के तहत 182 वन स्टॉप सेंट (ओएससी) का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये सेंटर हिंसा से जूझने वाली महिलाओं की मदद करते हैं जैसे पुलिस, चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता और कुछ दिनों तक रहने के लिए सुरक्षित स्थान भी मुहैया कराए जाते हैं। इन सेंटरों ने आज तक 1.3 लाख से अधिक महिलाओं के मामलों का निपटरा किया है। कानूनी ढांचों को मजबूत करने के लिए सरकार ने मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2018 का मसविदा तैयार किया है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरुतियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा को भी मजबूत किया जा रहा है। कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का पीड़ित महिलाएं अधिकतम लाभ उठा सके इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 112 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है और टीवी, रेडियो और ऑनलाइन पर बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान भी शुरू किया गया है।

सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति केंद्र योजना की शुरूआत की है। यह देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में तीन लाख छात्र स्वयंसेवकों के जरिए से ग्रामीण महिलाओं के हक में काम किया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों के हित में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को ठीक से अमल में लाया जाएगा तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी और वे सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भाग ले सकेंगी और आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम होंगी।

– प्रीति सुमन
सीतामढ़ी, बिहार

गांधी पर लिखी पुस्तकों का परिचय

योजना के मई 2018 अंक में पुस्तक चर्चा में गांधी जी पर लिखी गई तीन पुस्तकों का परिचय दिया गया है। अब जबकि गांधी जी की डेढ़ सौवीं जयंती आ रही है तो गांधी पर लिखी किताबों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी।

योजना में इस बार खासकर तमिल भाषा में गांधी पर लिखी पुस्तकों का परिचय दिया गया है। बेहतर होगा कि गांधी पर हिंदी में छपी नई पुस्तकों की भी जानकारी दी जाती। 'चंपारण में गांधी', 'गांधी के साथ' और 'महात्मा गांधी और एक दुनिया' पुस्तकों का परिचय दिया गया है, जो गांधी के बारे में पढ़ने वाले के लिए उपयोगी पुस्तकें हैं। प्रकाशन विभाग की ओर से गांधी पर छपीं अन्य पुस्तकों की भी जानकारी योजना के अगले अंकों में दी जाए।

– दीपेन्द्र बाजपेयी
बेतिया, प. चंपारण, बिहार

क्या आप जानते हैं? स्तंभ बहुत उपयोगी

योजना पत्रिका के हरेक अंक में 'क्या आप जानते हैं?' स्तंभ के तहत दुर्लभ जानकारी दी जाती है, जो काफी उपयोगी होती है। इस बार 'अटल नवोन्मेष मिशन' के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके लिए योजना की संपादकीय टीम बधाई के पात्र हैं।

अटल नवोन्मेष मिशन देश भर के सभी जिलों के स्कूलों में अत्याधुनिक अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) स्थापित कर रहा है। अब तक 2,441 स्कूल पहले ही एटीएल अनुदान के लिए चुने जा चुके हैं और 2018 के आखिर तक 5,000 से भी ज्यादा स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। अनुदान के अलावा एटीएल कार्यक्रम जमीनी स्तर पर भी समस्याओं की पहचान में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को जोड़ रहा है और एटीएल प्रौद्योगिकी के सहारे नवोन्मेषी समाधान तैयार कर लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। इस प्रयास से देश भर के करोड़ों छात्र-छात्राओं में समस्या का हल करने वाला और नवोन्मेष संबंधी दिमाग विकसित हो सकेगा।

– खेम नारायण शर्मा
काकेर, छत्तीसगढ़

सरकारी योजनाओं की अच्छी जानकारी

योजना का जून अंक 'आगे बढ़ता देश' पर केंद्रित है। इस अंक में शामिल ज्यादातर आलेख महत्वपूर्ण जानकारी वाले हैं। खासकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित लेख भी अच्छे हैं। इस अंक में महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की अच्छी जानकारी मिलती है।

भारत सरकार भी देश के विकास को बढ़ावा देने की अपनी कोशिशों में पीछे नहीं है। देश में मौजूदा तंत्र फिलहाल समग्र विकास

का है, ताकि विकास का फायदा सबसे ज्यादा गरीब लोगों को मिले। इस मंत्र को सुनिश्चित करने के हिसाब से ही सरकारी नीतियां बनाई गई हैं। सरकार ने जीएसटी लागू किया है और बैंकिंग में सुधार के लिए कदम उठा रही है।

देश के विकास के लिए गांवों का विकास अहम है। सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के जरिए किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी को दोगुना करने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं के जरिए गांव और शहर के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की जा रही है।

– श्वेता
सेक्टर-22सी, चंडीगढ़

डिजिटल क्रांति प्रगति की नींव

योजना का जून 2018 के अंक वास्तव में हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में हासिल की गई बहुआयामी, जनक्रेन्द्रित व तीव्र प्रगति का लेखा जोखा करता है। 21 वी सदी वास्तव में डिज़िटल क्रांति, हमारे प्रगति की नींव सरीखी है। पहले लेख में अमिताभ कांत जी डिज़िटल क्रांति और विकास के संबंधों को सटीक तरीके से विश्लेषित किया है। वास्तव में डिज़िटल प्लेटफॉर्म के जरिए शासन और नागरिक के बीच की खाई कम हुई है और सरकार दोहरा संवाद स्थापित कर सकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रगति तथा मन की बात के जरिए समाज के हाशिये पर खड़े लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे है। डिज़िटल लॉकर, भीम एप, कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है। राजीव आहूजा जी ने विकास को जन आंदोलन बनाने की मुहिम को रेखांकित किया है। वास्तव में भारत के समग्र व बहुमुंखी विकास के लिए जन जन की भागीदारी बेहद अहम है। कौशल विकास व कर प्रणाली में सुधार से जुड़े लेख बहुत अच्छे लगे।

– आशीष कुमार
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

पोषण पर जनजागरूकता जरूरी

योजना का मई अंक कई दृष्टिकोण से उपयोगी बन पड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर पोषण संबंधित जांच-पड़ताल होना अतिआवश्यक जान पड़ता है। योजनावद्ध तरीके से इस दिशा में कदम उठाये जाते रहे हैं तथा समय-समय पर इसके लिए आवश्यक राशि भी मुहैया कराई गई है। देश के अलग-अलग हिस्सों में किसी निश्चित समय सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। मौजूदा सरकार की विभिन्न योजनाओं में इस पर बल दिया जाता रहा है कि छोटी-मोटी कमियों को जल्द से जल्द कैसे दूर किया जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि पोषण की समस्या शहरों की तुलना में गांवों में अधिक प्रबल रूप में लक्षित होते रहे हैं। इसे दूर करने के लिए समावेशी प्रयास होने चाहिए जिससे स्थानीय निकायों को मजबूत करके आम आदमी तक हर संबंधित योजनाओं लाभ पहुंचाया जा सके। हर समाज में जागरूकता की भी उतनी आवश्यकता है जितनी कि सरकारी निवेश व संसाधनों को जोड़ने की। वित्तीय सहयोग व संसाधनों को विकसित करके हम केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। कई लेखकों ने अपने लेख में यह इंगित कैसे कर प्रयास किया है कि विकेंद्रीकृत प्रणाली को अपनाकर भी इस दिशा में कारगर कदम उठाये जा सकते हैं। ऐसे कदम उठाकर ही भरपूर लाभ सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा सकते हैं।

केंद्र व राज्य सरकारों के बीच आपसी तालमेल व उचित समन्वय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हरेक कार्यक्रम को लागू करने करवाने के लिए सही रोडमैप का होना अतिआवश्यक है तभी हम सही तरीके से विभिन्न योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के विभिन्न सोच को लागू करने करवाने के लिए भी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को काम करना आवश्यक है क्योंकि हम तभी स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियान को सफल होते देख सकते हैं। देश को विकसित राष्ट्र की सूची में ला खड़ा करने के लिए हम उचित व आवश्यक कदम अवश्य उठायें। इससे एक तरफ तो हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर पायेंगे दूसरे तरफ विश्वभर में सबल व सशक्त राष्ट्र बन पाने का गौरव भी प्राप्त कर पाने में सफल होंगे।

– डॉ. राकेश कुमार
बिहारशरीफ नालंदा, बिहार

निवेदन

योजना हमेशा द्विपक्षीय संचार में विश्वास रखती है। पाठकों से निवेदन है कि वह अपने राय व विचारों से हमें अवगत कराते रहें। पाठक हमें डाक द्वारा पत्र भेज सकते हैं। साथ ही आप अपनी सामग्री yojanahindi@gmail.com पर ईमेल के द्वारा हमें प्रेषित कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज योजना हिंदी पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी राय, सुझाव व सहयोग का इंतजार रहेगा।

– वरिष्ठ संपादक

NeoStencil.com

India's **#1 LIVE** Online Platform for Govt. Jobs

Our Stellar Performer

Saumya Sharma
AIR 9, IAS

OUR ONLINE UPSC RESULTS

- 120+ Toppers
- 60+ Teachers
- 300+ Courses
- 1 Platform

Join LIVE Online Courses for IAS Now!

Courses & Test Series

Pub Ad.	Pavan Kumar, S. Ansari, Atul Lohiya
Philosophy	Mitrapal
Geography	Prof. Majid Husain, Md. Rizwan, Alok Ranjan
Sociology	Praveen Kishore, Venkata Mohan
History	Rajnish Raj, Alok Jha
Anthro	Venkata Mohan
PS & IR	Kailash Mishra, RS Sharma
General Studies	Lukmaan IAS, Pavan Kumar, Tarique Khan, Venkata Mohan, MK Yadav, Toppers 25
Current Affairs	Lukmaan IAS, Venkata Mohan, Alok Jha, MK Yadav
GS Test Series	AAI IAS, Lukmaan IAS, Pavan Kumar
Ethics	S. Ansari, Pavan Kumar
Essay	S. Ansari, Venkata Mohan

info@neostencil.com | 95990 75552 | facebook.com/NeoStencil

YH-874/2018

संपादकीय

प्रगति पथ

'विकास' का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब *'रोटी, कपड़ा और मकान'* हो सकता है, जबकि बाकी लोगों के लिए काफी कुछ और – *रोटी* का अर्थ खाद्य सुरक्षा, *कपड़ा* से आशय अपनी पहचान को बताने का तरीका और *मकान* का मतलब न सिर्फ सर पर छत बल्कि खेलने के लिए जगह और जिम जैसी सुविधा वाला बेहतर आशियाना हो सकता है।

बहरहाल, जब हम खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में रोटी की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सबसे अहम भूमिका किसान की है। खाद्य आपूर्ति की इस बेहद अहम शृंखला में वह पहला शख्स है। हालांकि, किसान का हित न तो लोगों और न ही नीति निर्माताओं के एजेंडे में प्रमुख रहा है। इस स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत किसानों के कल्याण को उचित प्राथमिकता देने की बात है और इसमें साल 2022 तक उनकी आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य सबसे अहम है। इसके अलावा, सॉयल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी पहल के जरिए आपदाओं से किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, जिसका सामना उन्हें बार-बार करना पड़ता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जो विपणन संबंधी सहयोग के साथ प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सुविधाएं मुहैया कराता है। साथ ही, ई-नैम के जरिए किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाई जाती है। लिहाजा, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उचित नीतियों, व्यावहारिक कार्यक्रमों और इस हिसाब से बजटीय आवंटन के माध्यम से किसानों के हितों का खयाल रखा जाए।

'मकान' का मामला सब के लिए सस्ते घर से जुड़े अभियान में बदल गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसके तहत साल 2022 तक सबके लिए घर का इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। इस योजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर परिवार के पास पानी का कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और बिजली की आपूर्ति वाला पक्का घर उपलब्ध हो सके।

संपर्क और सुगम रास्ते भी विकास के लिए जरूरी है। हर नागरिक चाहता है कि जब वह हर सुबह काम पर निकले तो वह बिना गड्ढे वाली अच्छी सड़कों से ही सफर करे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2019 तक पूरा करने के लिए तकरीबन 300 परियोजनाओं की पहचान की है। एनएचएआई की 127 और मंत्रालय की 153 परियोजनाओं को जून 2019 तक पूरा होना है, जिन्हें अब और तेजी से अंजाम देने के लक्ष्य के तहत मार्च 2019 तक पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा, 100 ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनको दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाना है। साल 2018-19 के लिए एनएचएआई का निर्माण लक्ष्य 5,058 किलोमीटर से संशोधित कर 6,000 किलोमीटर कर दिया गया है। हवाई यात्रा कार्यक्रम 'उड़ान' के जरिए देश के छोटे शहरों को जोड़ने की सरकार की इनोवेटिव स्कीम का मकसद छोटे शहरों के लिए सुगम रूट मुहैया कराना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से एलान किया था कि अगले 1,000 दिनों के भीतर प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम शुरू किया और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की गई। इस एलान के 1,000 दिनों के भीतर 18,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विकास की राह में युवाओं की ताकत का इस्तेमाल करना किसी भी देश के लिए प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। अपनी जनांकिक ताकत के साथ भारत विकास की प्रक्रिया में युवा शक्ति को भागीदार बनाने को तैयार है। नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए सरकार सामुदायिक कल्याण से युवाओं से जोड़ने में सक्रिय रही है। इन गतिविधियों का मकसद उपयोगी कार्यबल तैयार करना है, जो सामुदायिक संबंधी गतिविधियों के जरिए देश के आर्थिक विकास में सतत योगदान कर सके। स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम, मुद्रा आदि तमाम अभियानों का मकसद देश की युवा आबादी को आगे बढ़ने के लिए मौका मुहैया कराना है। किसी देश के विकास एजेंडे में अलग-अलग मानक शामिल होते हैं। हर पहलू और मानक अपने-आप में अहम होता है और समग्र विकास के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अक्सर इन पहलुओं को एक-दूसरे के साथ जोड़ना पड़ता है। सरकार के हालिया कदमों में समग्र विकास के इस लक्ष्य को हासिल करने की बात है। ❑

You Deserve the Best...
Niraj Singh (M.D.)
Divyasen Singh (Co-ordinator)
IAS
PCS
GS WORLD
IAS PCS
Committed To Excellence
ISO 9001 Certified
सिविल सेवा परीक्षा- 2017 हमारे सफल अभ्यर्थी
AKSHAT KAUSHAL
ANIRUDDH KUMAR
RATAN DEEP GUPTA
LAKHAN SINGH YADAV
SHAKTI MOHAN AVASTHY
GAURAV
CHETAN KUMAR MEENA
PANKAJ YADAV
AMIT KUMAR
BIKRAM GANGWAR
ADITYA KUMAR JHA
22 वर्षीय युवा
DEVENDRA DUTT YADAV
SAKSHI GARG
सामान्य अध्ययन
Foundation Batch Starts...
दिल्ली केन्द्र
11 JULY 03:15 pm
इलाहाबाद केन्द्र
17 JULY 8:00 am
हिन्दी & English Medium
लखनऊ केन्द्र
10 JULY 11:30 am
हिन्दी & English Medium
IAS Mains Test Series
08 JULY 10:00 am
हिन्दी & English Medium
Visit us our You Tube Channel
GS World
& Subscribe...
दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
(Distance Learning Program- DLP)
for more details
9654349902
DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322
ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579
LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894
http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902

YH-792/5/2017

सबका साथ, सबका विकास, सबका आवास

हरदीप सिंह पुरी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हमारे शहरी केंद्रों में हो रहे बुनियादी बदलाव का नमूना पेश करती है और भारत के शहरों को बेहतर बनाने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में भी बयां करती है। यह भारतीयों को 'रहने की सहूलियत' मुहैया कराने के प्रधानमंत्री के वादे से जुड़ी है और सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे पर आधारित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जिस व्यापकता के साथ सबके के लिए गुंजाइश बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तुलना किसी भी अन्य देश के अनुभव से नहीं की जा सकती है

प्रधानमंत्री चुने जाने के महीना भर बाद यानी जुलाई 2014 में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'जब देश आजादी के 75 साल पूरे करेगा, तब तक हर परिवार के पास पानी के कनेक्शन के साथ पक्का मकान, शौचालय की सुविधा, 24 घंटे बिजली की सुविधा होगी।'[1] इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) या सबके लिए सस्ते घर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन को दो भागों में बांटा गया– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के दायरे में है और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जो आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आता है।

पीएमएवाई (शहरी) के लिए जून 2015 में लक्ष्य की शुरुआत की गई।[2] इसके तहत साल 2022 तक तकरीबन शहरी इलाकों में 1.2 करोड़ सस्ते घर बनाने की बात है। मौजूदा सरकार के चार साल के कार्यकाल में आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय पहले ही 47.5 लाख से ज्यादा सस्ते घरों के निर्माण को मंजूरी दे चुका है और 8 लाख से भी ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं और इसे संबंधित लाभार्थियों को सौंपा भी जा चुका है। तुलनात्मक रूप से देखें, तो यूपीए सरकार में 2004 से 2014 के दौरान सिर्फ 13.46 लाख घरों को मंजूरी दी गई और 5.65 लाख घर बनकर तैयार हुए। यह याद करना अहम है कि जब जेएनएनयूआरएम को शुरू किया गया था, तो इसे भारत का सबसे बड़ा शहरी विकास कार्यक्रम माना जा रहा था। हालांकि, मौजूदा सरकार के महज 4 साल के दौरान ही मंजूर सस्ते घरों की संख्या जेएनएनयूआरएम के पिछले 10 साल के इस आंकड़े के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हो चुका है।

शहरीकरण नए अंदाज में

पीएमएवाई (शहरी) की सफलता को समझने के लिए शहरीकरण के मामले में भारत में हो रहे अहम बदलाव को समझना जरूरी है। देश के इतिहास में पहली बार केंद्र की किसी सरकार ने शहरीकरण की अवधारणा को अपनाया है। आजादी के बाद भारत में अधिकांश समय में इस मुल्क को शहरीकरण के मामले में 'अनिच्छुक' के तौर पर पेश किया गया। इस अनिच्छा का मामला इस तथ्य पर आधारित था कि आमदनी और रोजगार दोनों मामलों में खेती अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। आज जहां खेती में देश के कुल कार्यबल का 40 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा लगा हुआ है, वहीं भारत के *ग्रॉस वैल्यू ऐडेड* में खेती की हिस्सेदारी घटकर 16.4 फीसदी पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ, सेवाओं की हिस्सेदारी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और आज यह आंकड़ा 55.2 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया है।[3] सेवा क्षेत्र का ठिकाना अपनी प्रकृति के मुताबिक शहरी इलाकों में ही है। देश के नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि वे सेवा क्षेत्र में रोजगार की तलाश करेंगे, लिहाजा उन्हें इसके लिए शहरी केंद्रों में जाना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक,

लेखक भारत सरकार में आवासीय और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं। उनका कूटनीति में चार दशकों का विशिष्ट करियर रहा है और वे राजदूत स्तर के कई पद भी संभाल चुके हैं। वे जेनेवा और न्यूयॉर्क दोनों जगहों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं। पुरी उन चुनिंदा भारतीयों में शामिल हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संचालन किया है और एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ बनी कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय शांति संस्थान में उपाध्यक्ष और न्यूयॉर्क में ही बहुपक्षवाद पर बने स्वतंत्र आयोग के महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें 'द पेरिलियस इंटरवेंशन: द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द पॉलिटिक्स ऑफ केओस', 'इंडियाज ट्रेड पॉलिसी डिलेमा' और 'द रोल ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म' शामिल हैं। ईमेल: minister-mohua@nic.in

आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए

साल 2030 तक तकरीबन 60 करोड़ भारतीय या देश की आबादी का 40 फीसदी हिस्सा शहरों में रहेगा।

भारत में जनसांख्यिकी संबंधी बदलाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही शहरीकरण को तवज्जो देना शुरू कर दिया। 'शहरों और मानवीय बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाएं' शीर्षक से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य 11 के तत्वों को भारत ने एसडीजी से पहले अपने विकास के एजेंडे में शामिल कर लिया और 2030 का विकास का एजेंडा औपचारिक तौर पर 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। इस सिलसिले में पीएमएवाई (शहरी) का मामला दिलचस्प है – सरकार ने जून 2015 में इस मिशन को शुरू किया, जबकि इस संबंध में अपने इरादों के बारे में जुलाई 2014 में ही एलान कर दिया। इसके अलावा, एसडीजी के तहत 2030 तक लक्ष्यों को हासिल करने की बात है, जबकि पीएमएवाई (शहरी) का इरादा 2022 तक ही हर भारतीय के लिए घर सुनिश्चित करना है। साल 2022 में भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा।

बड़े पैमाने पर शहरी विकास को लेकर विमर्श में अहम बदलाव से सस्ते घरों के मामले में भी अहम बदलाव की गुंजाइश बनी है। पीएमएवाई (शहरी) के तहत सस्ते घरों का मामला ईंट और सीमेंट के इस्तेमाल से बनने वाली चार दीवारों से परे है और इस योजना का इरादा सिर्फ मकान नहीं घर बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की घर की नई परिभाषा के तहत इसमें शौचालय, बिजली का कनेक्शन, बाकायदा नल और पानी का कनेक्शन और हर दरवाजे पर कचरा इकट्ठा करने का इंतजाम होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि पीएमएवाई (शहरी) के तहत घर का नाम परिवार की महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। नतीजतन, पीएमएवाई (शहरी) घर के जरिए परिवारों को न सिर्फ अपने सर पर छत मिल रही है, बल्कि उनके पास तमाम सुविधाएं भी होंगी और इसके जरिए वे सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे।

सरकार की भूमिका को नए सिरे से पारिभाषित करना

भारत में कभी भी अच्छे सुझावों और विचारों की कमी नहीं रही है। हमारे बौद्धिक वर्ग के साथ हमारे नौकरशाहों ने कई पेपर और सुझाव प्रकाशित किए हैं और इसमें ऐसा समाधान पेश किया गया है, जो हमारे शहरी परिदृश्य को बदल देगा। हालांकि, अक्सर इस तरह के विचार शुरुआत में ही अटक जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सफलता प्रधानमंत्री की इस प्रतिबद्धता का गवाह है कि सरकार की सबसे अहम जिम्मेदारी सामान और सेवाओं को मुहैया कराना है। और सामान और सेवाएं दार्शनिक विचार-विमर्श के जरिए नहीं मुहैया कराए जा सकते – इस बाबत जमीनी स्तर पर सफलता के लिए योजनाओं पर अमल की जरूरत होती है और इसमें लगातार निगरानी और मूल्यांकन भी शामिल है।

सस्ते घरों का मामला ईंट और सीमेंट के इस्तेमाल से बनने वाली चार दीवारों से परे है और इस योजना का इरादा सिर्फ मकान नहीं घर बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की घर की नई परिभाषा के तहत इसमें शौचालय, बाकायदा बिजली और पानी का कनेक्शन और हर दरवाजे पर कचरा इकट्ठा करने का इंतजाम होना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर अमल चार बिंदुओं के जरिए किया जा रहा है- झुग्गियों के स्थान पर नया निर्माण; साझेदारी में सस्ता आवास (एचएचपी);

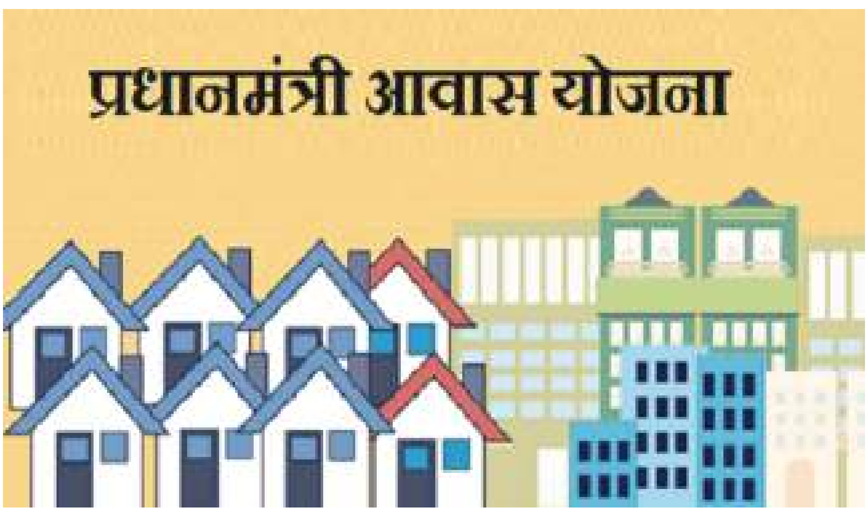

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) और लाभार्थी की अगुआई में निर्माण (बीएलसी)। इन बिंदुओं के जरिए यह मिशन सस्ते घर के पूरे दायरे को समेटता है यानी बेहद अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे झुग्गीवासी, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय और मध्य वर्ग के लोग जिन्हें सस्ता बैंकिंग वित्तपोषण चाहिए और जिनके पास जमीन है, लेकिन घर बनाने के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के विकल्पों की पेशकश के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का मामला पिछले टॉप मॉडलों से बिल्कुल अलग है। यह मिशन जरूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर निर्णय करने के लिए लाभार्थी के फैसले पर भरोसा करता है।

2014 के लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में सहयोगात्मक संघवाद पर जोर दिया था। एक अहम राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के बाद प्रधानमंत्री नई दिल्ली से चलाए जाने वाली केंद्र सरकार की सीमाओं से भलीभांति वाकिफ थे। अमूमन राष्ट्रीय राजधानी से तैयार और लागू किए मिशन परवान नहीं चढ़ सके, क्योंकि राज्य सरकारों को इसमें सक्रिय नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) उन फ्लैगशिप कार्यक्रमों में शामिल है, जो सहयोगात्मक संघवाद मॉडल के तहत फल-फूल रहा है। पुरानी आवासीय योजनाओं में राज्य सरकारों को केंद्र से अपनी परियोजनाओं को मंजूर करवाना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास

योजना (शहरी) के तहत राज्य सरकार खुद इन मंजूरियों को देखती हैं और केंद्र सरकार की तरफ इसमें सिर्फ मामूली सुझाव की बात है।

उत्प्रेरक की भूमिका

पिछले ढांचों को छोड़ते हुए केंद्र सरकार ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाने का फैसला किया और 2017-18 के बजट में सस्ते घरों को अवसंरचना का दर्जा दिया गया और 2018-19 के बजट में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के तहत सस्ते घर से जुड़े फंड को संस्थागत स्वरूप दे दिया गया, ताकि इस सेक्टर में वित्तीय प्रवाह को बढ़ाया जाए। इन उपायों के अलावा आयकर कानून की धारा 80-आईबीए अब सस्ते घरों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए लाभ का 100 फीसदी छूट मुहैया कराता है। इसका मकसद इस मिशन में निजी सेक्टर की भागीदारी बढ़ाना है।

नियमन की आवश्यकता

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आकार और व्यापकता वाले किसी भी मिशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त नियामकीय ढांचे की जरूरत होती है। और चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ऐसे सेक्टर के तहत आता है, जिसे मुख्य तौर पर रियल एस्टेट की तरह पारिभाषित किया गया है, लिहाजा ऐसे ढांचे की जरूरत और अहम है।

भारत में रियल एस्टेट सेक्टर को ऐतिहासिक तौर पर इस तरह से पेश किया गया है, जहां छल-कपट और बेईमान वाले बर्ताव से आदमी फलता-फूलता है और ईमानदारी की सजा मिलती है। राजनेता-नौकरशाह-बिल्डर का गठजोड़ खेल के नियमों को तय करता था और घर खरीदने वाले किसी भी शख्स को उनकी शर्तों के हिसाब से घर खरीदने के लिए भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए मजबूर होना पड़ता था और इसके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि खरीदी गई प्रॉपर्टी उसके असली मालिक को सौंप दी जाएगी। इसी परिपाटी को खत्म करने के लिए सरकार ने रियल एस्टेट (नियमन और अविनियमन), कानून 2016 या *रेरा* को लागू किया। देश में पिछले 70 साल में पहली बार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नियामक के तौर पर *रेरा* को संस्थागत स्वरूप दिया गया। संसद के इस काम के फलस्वरूप घर खरीदने वालों का मेहनत से कमाया गया पैसा अब भ्रष्ट व्यवस्था की

दया का मोहताज नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ने इस सेक्टर में भ्रष्ट खिलाड़ियों को उखाड़ फेंकने का एक और मौका मुहैया कराया है। इस कोड के तहत जाबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों (विलफुल डिफॉल्टर) को रिज़ॉल्यूशन प्लान सौंपने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसमें वित्तीय लेनदार को घर खरीदार के आसपास रखा गया है।

सबका साथ, सबका विकास, सबका आवास

अनुमानों के मुताबिक, भारत में शहरी मांग को पूरा करने के लिए देश में 2030 तक हर साल 70 से 90 करोड़ वर्ग मीटर रिहायशी और व्यावसायिक जगह की जरूरत होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर देश के नागरिकों की शहरों में रिहाइश की मांग को पूरा करना है, तो अभी से लेकर 2030 तक भारत को हर साल एक नया शिकागो का निर्माण करना होगा।

इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सफलता को देश में चल रहे योजनाबद्ध शहरीकरण की तमाम चीजों को जोड़कर देखने की जरूरत है। स्वच्छ भारत मिशन आज जनआंदोलन बन गया है। खुले में शौच की समस्या से मुक्ति पर इसके जोर

सबसे अहम बात यह है कि पीएमएवाई (शहरी) के तहत घर का नाम परिवार की महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। नतीजतन, पीएमएवाई (शहरी) घर के जरिए परिवारों को न सिर्फ अपने सर पर छत मिल रही है, बल्कि उनके पास तमाम सुविधाएं भी होंगी और इसके जरिए वे सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे।

के तहत न सिर्फ जरूरी संख्या में शौचालय बनाने की बात है, बल्कि देश में व्यवहार संबंधी बदलाव लाने का भी मकसद है। 57 लाख निजी शौचालयों और 3.8 लाख सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हर सस्ते घर में 47.5 लाख से भी ज्यादा शौचालय बनाए जाएंगे। नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत 500 शहरों में सभी जरूरी जगहों पर पानी की आपूर्ति की सुविधा और पानी के निकास का बेहतर नेटवर्क होगा। इससे सस्ते घरों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में और सुधार होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए 99 शहरों में नागरिकों की व्यापक सहभागिता के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सस्ते घरों में रहने वालों का भी शहर के विकास में एक समान दखल हो।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हमारे शहरी केंद्रों में हो रहे बुनियादी बदलाव का नमूना पेश करती है और भारत के शहरों को बेहतर बनाने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में भी बयां करती है। यह भारतीयों को 'रहने की सहूलियत' मुहैया कराने के प्रधानमंत्री के वादे से जुड़ी है और सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे पर आधारित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जिस व्यापकता के साथ सबके के लिए गुंजाइश बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तुलना किसी भी अन्य देश के अनुभव से नहीं की जा सकती है। नतीजतन, सस्ते घर के भारतीय मॉडल की सफलता सिद्धांत रूप में और चलन, दोनों लिहाज से दुनिया भर में शहरी विकास के भविष्य को पारिभाषित करेगी। ❑

इलाहाबाद में गंगा नदी पर 6 लेन का नया पुल बनेगा

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इलाहाबाद के फाफामाऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर गंगा नदी पर 9.9 किलोमीटर लंबे 6 लेन के नए पुल के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति दे दी है, जिस पर 1948.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

इस परियोजना के लिए निर्माण अवधि तीन साल है और इसके दिसंबर, 2021 तक पूरा होने का अनुमान है। नए पुल से इलाहाबाद में एनएच-96 पर मौजूद 2 लेन के फाफामऊ पुल भीड़भाड़ की समस्या दूर होगी।

नए पुल से कुंभ, अर्ध कुंभ, प्रयाग में होने वाले वार्षिक स्नान के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए तीर्थ नगरी इलाहाबाद में पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे तीर्थाटन पर्यटन और पवित्र नगरी प्रयाग की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह 6 लेन का नया पुल मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के माध्यम से और नलिनी ब्रिज होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-76 से लखनऊ/फैजाबाद आने वाले यातायात के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा नए पुल की इस परियोजना के निर्माण के दौरान 9.20 लाख कार्यदिवसों के बराबर रोजगार पैदा होंगे।

वर्तमान में इलाहाबाद आने वाले वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग-96, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 बी, एशियाई राजमार्ग-1 से और अन्य स्थानीय राजमार्गों से फाफामऊ स्थित गंगा नदी पर 2 लेन के पुल को पार करके आते हैं। सामान से भरे व्यावसायिक वाहनों को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक इस पुल पर प्रवेश नहीं दिया जाता है। वर्तमान में पुराने पुल से लगभग 40,000 पीसीयू (यात्री कार) गुजरते हैं, जो उसकी कुल 15,000 पीसीयू क्षमता से कई गुना ज्यादा है। इसके परिणामस्वरूप पुल पर पूरे दिन और रात भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इन नए 6 लेन के पुल से पुराने पुल पर यातायात सुगम होगा और तेज व सुरक्षित यातायात सुनिश्चित होगा।

मई, 2014 से पहले इलाहाबाद से फरक्का के बीच गंगा नदी पर सिर्फ 13 पुल थे। 2014 के बाद 20 नए पुल बनाने की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 5 यातायात के लिए खोल दिए गए और 7 कई टुकड़ों में निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार कुल पुलों की संख्या 33 हो जाएगी। बाकी 8 प्रस्तावित पुलों के लिए जल्द ही फरक्का, साहेबगंज और मोकामा में काम शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रकार यह फाफामऊ पुल इलाहाबाद और फरक्का के बीच गंगा नदी पर बनने वाला 29वां पुल होगा। ❑

CHANAKYA IAS ACADEMY

CHANAKYA IAS ACADEMY
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.
Under the direction of Success Guru AK MISHRA

25 Years of Excellence, Extraordinary Results every year,

4000+ Selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

Our Successful Candidates in CSE-2017

5 IN TOP 10 | **11 IN TOP 20** | **42 IN TOP 100**

Total 355+ Selections

RANK- 4

RANK- 6

RANK- 7

RANK- 8

RANK- 9

IAS 2019

Upgraded Foundation Course

A complete solution for all stages of Civil Services Examination

BATCH DATES: 10th June, 10th July, 10th August-2018

आईएएस 2019

अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स

सिविल सेवा परीक्षा के सभी चरणों के लिए एक पूर्ण समाधान

बैच दिनांक: 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त-2018

NORTH DELHI BRANCH: 1596, Ground Floor, Outram Lines, Kingsway Camp, Opp. Sewa Kutir Bus Stand, Near GTB Nagar Metro Station Gate No.2, Delhi-09, Ph: 011-27607721, 9811671844/ 45

CENTRAL DELHI BRANCH: Level 5, Plot No. 3B, Rajendra Park, Pusa Road, Next to Rajendra Place Metro Station, Gate No. 4, Delhi-60, Ph: 8447314445

SOUTH DELHI BRANCH/HO: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Next to South Campus Metro Station, Gate No. 1, Delhi-21, Ph: 011-26113825, 9971989980/ 81

www.chanakyaiasacademy.com

Our Branches

Allahabad: 9721352333 | Ahmedabad: 7574824916 | Bhubaneswar: 9078878233 | Chandigarh: 8288005466 | Dhanbad: 9113423955
Guwahati: 8811092481 | Hazaribagh: 9771869233 | Indore: 9522269321 | Jammu: 8715823063 | Jaipur: 9680423137
Kochi: 7561829999 | Mangaluru: 7022350035 | Patna: 8252248158 | Pune: 9112264446 | Ranchi: 8294571757

YH-823/3/2018

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

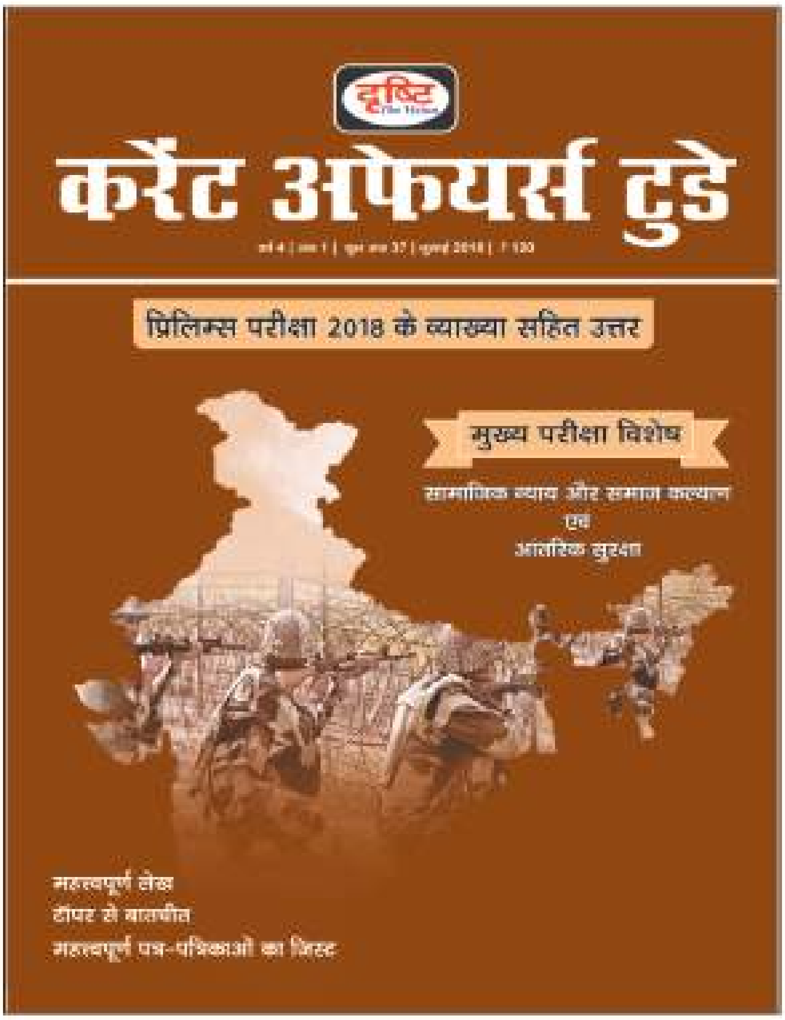

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर केंद्रित सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों के रिवीज़न हेतु 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिंदू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित टारगेट प्रिलिम्स खंड।
- ☑ टॉपर्स इंटरव्यू।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट: www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-841/2/2018

किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य

कृष्णा राज

बजट 2018 मुख्यतया कृषि एवं किसान कल्याण विषयों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तथा प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रण को परिलक्षित करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन वर्ष 2017-18 में 51,576 करोड़ था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 58,080 करोड़ कर दिया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि अगर हम कांग्रेस सरकार के वर्ष 2009 से 2014 तक के कृषि बजट को देखें तो यह 1,21,082 करोड़ था जो मोदी सरकार के 5 वर्षों (2014-19) में बढ़कर 2,11,694 करोड़ हो गया है। यह 74.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ केंद्र सरकार ने सन् 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कई विभागों की उसकी लाभकारी योजनाओं का अहम योगदान होगा, वहीं डेयरी क्षेत्र भी प्रमुख भूमिका अदा करेगा, इसलिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने हाल में 'नेशनल एक्शन प्लॉन ऑन डेयरी डेवलपमेंट' तैयार किया और डेयरी के विकास की रूपरेखा बनाई गई और किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय भी सुझाए गए। विजन डाक्यूमेंट में दूध और दूध के उत्पाद को शुद्ध और सुरक्षित बनाने की भी बात कही गई है।

नई पहल के अंतर्गत वैज्ञानिक और समेकित रूप से देशी नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत गोकुल ग्राम की स्वीकृति 196 करोड़ रुपए के साथ दी गई है। वहीं, दुग्ध किसान की आय को दोगुना करने के लिए डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है। योजना के तहत 10881 करोड़ की निधि स्थापित कर आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं ई-पशुधन पोर्टल के माध्यम से किसान देशी नस्ल के पशुओं की खरीद और बिक्री कर रहे हैं। नीली क्रांति योजना के तहत गहन समुद्री मत्स्यन हेतु सहायता नामक एक नया उपघटक प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत डीप सी फीशिंग वेसेल्स निर्माण हेतु तमिलनाडु सरकार को कुल 300 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अपने बजट-2018 में 'मात्स्यिकी तथा जलकृषि अवसंरचना विकास निधि' की स्थापना के लिए समर्पित 7522.48 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। इस फंड में 40 लाख समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों, विशेषकर महिलाओं, स्वयं सहायता समूह, कमजोर वर्गों को आधुनिक अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता तथा उत्पाद के बढ़े हुए मूल्य के माध्यम से लाभ दिलाने की क्षमता है।

बजट आवंटन में कई गुना वृद्धि के साथ वैज्ञानिक और समेकित रूप से देशी

लेखिका केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। ईमेल: krishnarajmos@gmail.com

परियोजनाएं / योजनाएं एवं उनकी उपलब्धियां

परियोजनाएं / योजना	2014-15 से 2017-18 के दौरान उपलब्धियां	सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव डालने वाला क्षेत्र
उद्यमिता विकास और रोजगार जनरेशन	मुर्गी, छोटे रोमिनेंट्स, सूअर और पुरुष भैंस बछड़ों से संबंधित गतिविधियों के लिए 45,791 लाभार्थियों को सहयोग प्रदान किया गया	पशुधन
डेयरी उद्यमिता विकास योजना	1,43,754 डेयरी इकाई	पशुधन
दूध उत्पादकों के सहकारी नेटवर्क	1,19,752 दूध उत्पादक नामांकित	पशुधन
पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी)	9 अतिरिक्त पशु चिकित्सा कॉलेज मान्यता प्राप्त	पशुधन
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	5046*	पशुधन
नीली क्रांति	18,840*	

नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ की गई है।

इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों के द्वार पर गाय और भैंसों के आनुवांशिक उन्नयन हेतु प्रजनन संसाधनों की उपलब्धता तथा ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की स्वावलंबी व्यवस्था और नाइट्रोजन की परिवहन और वितरण प्रणाली की सुव्यवस्था सुनिश्चित करना है।

भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और विश्व के कुल दूध उत्पादन में 19 प्रतिशत योगदान करता है। पिछले चार वर्षों के दौरान डेयरी किसानों में 30.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हमारी सरकार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और कुक्कुट पालन में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे न केवल पारिवारिक आर्थिक खुशहाली बढ़ेगी, बल्कि उनका कौशल विकास भी होगा।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल महिलाकर्मियों में से 65 प्रतिशत कृषि कार्यों में लगी हुई है तथा कुल किसानों में से 30:3 प्रतिशत किसान हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और कुक्कुट पालन में लगी हुई हैं। जिन परिवारों की महिलाएं ऐसे कार्यों में जुटी हैं उनकी न केवल आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है बल्कि उनमें कौशल विकास भी हुआ है। वर्ष 2016-17 में अपना रोजगार चलाने के लिए लगभग 3 लाख महिलाओं को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है।

भारत में 30 करोड़ *बोवाईन* है, जो विश्व की बोवाईन आबादी का 18 प्रतिशत हैं। पारंपरिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से सैकड़ों वर्षों की मेहनत के बाद देश के देशी बोवाईन आनुवांशिक संसाधन विकसित हुए हैं और आज हमारे पास गो-पशुओं की 42 नस्लों के साथ-साथ याक और मिथुन के अलावा भैंसों की 13 नस्लें हैं। देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक नई योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई। इसी क्रम में देशी नस्लों के उत्पादन एवं उत्पादकता में तेजी से वृद्धि के लिए राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन की शुरुआत नवंबर 2016 में की गयी। देशी नस्लों में तेजी से वृद्धि के लिए पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण सामूहिक कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किये गये।

पशुधन बीमा का क्षेत्र और कवरेज बढ़ाकर 300 जिलों से सभी 716 जिलों में कर दिया गया है। साथ ही, पशुधन बीमा कवरेज का विस्तार करते हुए 2 दुधारू पशुओं से 5 दुधारू पशु/अन्य पशु अथवा 50 छोटे पशु किया गया है।

बता दें कि इस्ट्रस सिनक्रोनाइजेसन (estrus synchronization) जो अक्तूबर 2016 को किया गया, प्रमुख है। देश में पहली बार इस्ट्रस सिनक्रोनाइजेशन के जरिए 124000 पशुओं का देशी नस्लों के उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया गया। इन सभी पशुओं को UID के द्वारा चिन्हित किया गया तथा इनाफ डाटा बेस पर रजिस्टर भी किया गया। इन देशी गायों का

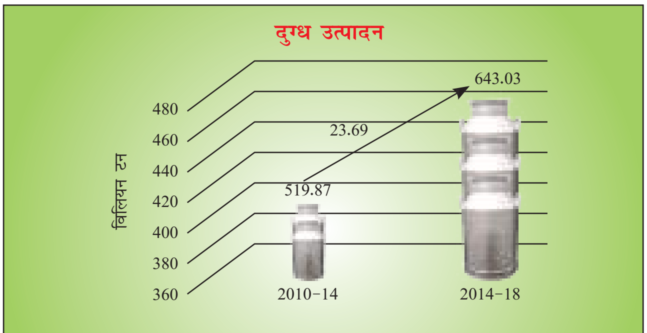

2010-14 के मुकाबले 2014-18 में दुग्ध उत्पादन वृद्धि 23.69 प्रतिशत है। (2017-18 का डाटा अभी राज्यों में लंबित हैं अत: 2017-18 का प्रोजेक्टेड डाटा का प्रयोग किया गया है।)

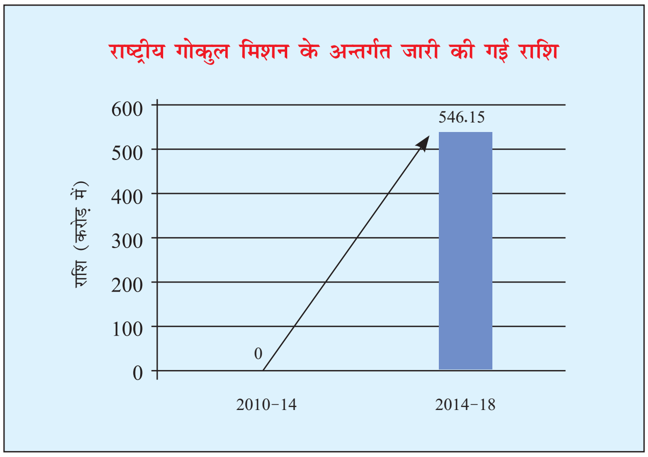

बियाने तक अनुसरण किया गया। राज्यों से आई रिपोर्ट के अनुसार 41353 बछड़े-बछड़ी उत्पन्न हुए। इन बछड़े-बछड़ियों का अनुसरण भी विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग ने देश भर के 12 ईटीटी केंद्रों में 2 से 14 अक्तूबर, 2017 के दौरान, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 10 राज्यों के सहयोग से देशी नस्लों में सामूहिक भ्रूण अंतरण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश में पहली बार किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सरोगेट गायों में उच्चम आनुवांशिक गुणवत्ता वाली 6 देशी गोपशु नस्लों जैसे साहीवाल, गिर, रेड सिंधी, ओंगोल, देवनी तथा वेचुर के 391 भ्रूणों को अंतरित किया गया। इन गायों को UID के द्वारा चिन्हित किया गया है तथा इनके बियाने तक अनुसरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम से उत्पन्न उच्च गुणवत्ता वाले बछड़ों का उपयोग वीर्य केंद्रों पर वीर्य उत्पादन के लिए किया जाएगा। वहीं, ईटीटी के प्रयोग से एक किसान उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाली संतति में 5-6 गुना वृद्धि कर सकते हैं, जो रोगों से मुक्त होंगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 50 भ्रूण अंतरण प्रोद्योगिकी लैबों को स्थापित किया जा रहा है। इन लैबों से देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को एक नई दिशा मिलेगी।

किसी भी देश का विकास उसके कृषि क्षेत्र के विकास के बिना अधूरा है। देश की खाद्य सुरक्षा को सतत आधार पर सुनिश्चित करने का श्रेय हमारे किसानों को ही जाता है। आज भारत न केवल बहुत से कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर व आत्मसंपन्न हैं, बल्कि बहुत से उत्पादों का निर्यातक भी है। मगर इन सबके साथ पूर्ववर्ती सरकारों के शासन का यह भी सच रहा कि किसान अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं पाते थे, इसलिए मौजूदा सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र में इस तरह का चहुंमुखी विकास किया जाए, जिससे अन्न एवं कृषि उत्पादों के भंडारों के साथ किसान रूप से समृद्ध भी बन सकें और हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प कि किसानों की आय दोगुनी हो, भी पूर्ण हो सके।

बरेली में 28 फरवरी, 2016 को आयोजित किसानों की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था- "वर्ष 2022 तक, जब भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाए, उस वक्त तक मैं किसानों की आय को दोगुना करना चाहता हूं। हमारे मंत्रालय ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है और एक अच्छी रणनीति, सुनियोजित कार्यक्रम, पर्याप्त संसाधनों एवं कार्यान्वयन में सुशासन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास आरम्भ किया जा चुका है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य है और इसके लिए सरकार द्वारा बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई अन्य अहम फैसलों के साथ प्रधानमंत्री ने 'सात सूत्रीय रणनीति का आह्वान किया, जिसमें निम्न प्रमुख बिंदु शामिल है:

1. प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत पर पर्याप्त संसाधनों के साथ सिंचाई पर विशेष बल।
2. प्रत्येक खेत की मिट्टी गुणवत्ता के अनुसार गुणवान बीज एवं पोषक तत्वों का प्रावधान।
3. कटाई के बाद फसल नुकसान को रोकने के लिए गोदामों और कोल्ड चेन में बड़ा निवेश।

नेशनल डेयरी प्लान - चरण -1

परियोजनाएं / योजना	2014-15 से 2017-18 के दौरान उपलब्धियां (Number of Additional Jobs Created)	सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव डालने वाला क्षेत्र
(राशन संतुलन कार्यक्रम) Ration Balancing Programme	29,724 स्थानीय व्यक्ति प्रशिक्षित	पशुधन
दूध खरीद का सहकारी नेटवर्क	12.60 लाख दूध उत्पादक नामांकित	पशुधन

4. खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन।
5. राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का क्रियान्वयन एवं सभी 585 केंद्रों पर विकृतियों को दूर करते हुए ई-प्लेटफार्म की शुरुआत।
6. जोखिम को कम करने के लिए कम कीमत पर फसल बीमा योजना की शुरुआत।
7. डेयरी-पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मेढ़ पर पेड़, बागवानी व मछली पालन जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

वैज्ञानिकों, संबंधित अधिकारियों, किसानों और विभिन्न समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु अनेक प्रयास कर रही है।

एकीकृत कृषि

सरकार एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated Farming System) आईएफएस पर भी जोर दे रही है। खेती के साथ-साथ बागवानी, पशुधन, मधुमक्खी पालन आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना से किसानों की ना सिर्फ निरंतर आय में वृद्धि होगी बल्कि सूखा, बाढ़ या अन्य गंभीर मौसमी आपदाओं के प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।

श्वेत क्रांति

राष्ट्रीय गोकुल मिशन से देशी नस्लों को संरक्षण मिल रहा है। साथ ही नस्लों में आनुवांशिक संरचना में भी सुधार किया जा रहा है जिससे दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि स्थापित करने जा रही है। साथ ही डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम (डीईडीएस) से स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। श्वेत क्रांति में तेजी लाई गई है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

नीली क्रांति

यह समेकित मात्स्यिकी विकास व प्रबंधन की व्यवस्था वाली नई पहल है जिसमें अंतर्देशीय मात्स्यिकी, जल कृषि, समुद्री मछली, मैरीकल्चर व राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा किए गए कार्यकलापों के अलावा डीप सी फीशिंग की भी कार्य योजना प्रारंभ की गई है।

मधुमक्खी पालन विकास

बड़ी संख्या में किसानों/मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही मधुमक्खी पालकों और शहद समितियों/फर्मों कंपनियों/मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ पंजीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में एक रोल मॉडल समेकित मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी) की स्थापना की जा रही है।

रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट

इसके तहत गरीब मुर्गी पालक परिवारों कों पूरक आय (Supplemental income) एवं पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भेड़, बकरी, सूअर एवं बत्तख पालकों में अपनी आय बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान करते हुए उनमे ज़रूरी जागरूकता भी पैदा की जा रही है।

बजट 2018 मुख्यतया कृषि एवं किसान कल्याण विषयों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तथा प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रण को परिलक्षित करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन वर्ष 2017-18 में 51,576 करोड़ था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 58,080 करोड़ कर दिया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि अगर हम कांग्रेस सरकार के वर्ष 2009 से 2014 तक के कृषि बजट को देखें तो यह 1,21,082 करोड़ था जो मोदी सरकार के 5 वर्षों (2014-19) में बढ़कर 2,11,694 करोड़ हो गया है। यह 74.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वर्तमान में सरकार के सभी चालू कार्यक्रमों एवं प्रयासों का एक मात्र लक्ष्य है, किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुनी करना और इसके लिए समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो भी कदम उठाना है, सरकार उसके लिए कृतसंकल्प है। ❑

निर्माण IAS

Give the best ★ Take the best ★

सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)

पुनः सर्वाधिक चयन के साथ UPSC : 2017-18

सबसे युवा चयनित अभ्यर्थी (उम्र-22 साल)

UPSC 2017-18

अंक

सामान्य अध्ययन	413
इतिहास (वैकल्पिक विषय)	301

AIR-350
SAKSHI GARG

Sakshi Garg is with Kamal Dev Singh and Swadeep Kumar.

मैंने सामान्य अध्ययन, निबंध, वैकल्पिक विषय और इन्टरव्यू तक की पूरी तैयारी निर्माण IAS से ही की है। निर्माण का motto ही उसे represent करता है।

"GIVE THE BEST ;TAKE THE BEST".

मैंने अपना पूरा प्रयास किया तो साथ ही कमल देव सर ने समय समय पर मार्गदर्शन, motivate किया।

सर का व्यक्तिगत मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा।

मैं अपनी सफलता के लिए कमलदेव सर, स्वदीप सर और पूरी निर्माण टीम की आभारी हूँ।

SAKSHI GARG
AIR -350

See Translation

Like Comment Share

VIJAY SINGH GURJAR (AIR-574)

पुलिस कांस्टेबल से IPS तक का सफर (निर्माण IAS के साथ)

सामान्य अध्ययन

(फाउण्डेशन बैच-2019)

निःशुल्क कार्यशाला के साथ

July 2nd Week

पत्राचार अध्ययन सामग्री की सुविधा उपलब्ध (सम्पर्क सूत्रः 011-47058219)

DELHI (HEAD OFFICE)

996, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh), Delhi - 110009

PH.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797

ALLAHABAD	GWALIOR	JAIPUR
10/14, Elgin Road, Civil Line, Allahabad (U.P.):- 211001, Ph:- 09984474888	2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277	M-85, JP Phatak Under Pass Jaipur Ph. : 7580856503

You can also visit our digital platform YouTube NIRMAN IAS APP

Website : www.nirmanias.com
E-mail : nirmanias07@gmail.com

YH-873/2018

पूर्वांचल IAS

PURVANCHAL IAS · सत्यमेव जयते

An initiative for sustainable Education

With the association of Study IQ

We Provide Both Online & Offline Classes

पूर्वांचल IAS is a venture of Dr. Ravi Agarhari & his team with the motto of sustainble education & education for all.

FELICITATION OF TOPPERS - 2017 on Study IQ

Anu kumari (AIR-2, UPSC-2017) with Dr. Ravi Agrahari
INTERVIEW LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=QyewzZ8TV_I

Sachin Gupta (Air-3, UPSC-2017) with Dr. Ravi Agrahari
INTERVIEW LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=aYZecPw37so

PURVANCHAL IAS in GORAKHPUR Now

हिन्दी & ENGLISH माध्यम

TARGET-2019 UPSC & UPPCS

FOUNDATION BATCH START from 10 JULY

Vision

इस संस्था का मूल उद्देश्य उन विद्यार्थियों के सपनों को साकार करना है, जो गरीब हैं तथा उन महिला अभ्यार्थियों के लिए जिनका दिल्ली जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

Note

- पूर्वांचल के विद्यार्थियों को अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं।
- 50% से भी कम फीस की दर पर हैदराबाद तथा दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अब गोरखपुर में कक्षाएँ एवं मार्गदर्शन।
- गरीब (BPL) तथा महिला विद्यार्थियों के लिए फीस में विशेष छूट (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अन्तर्गत)
- कुल 5% Seats शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए Reserve है जहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनका Admission मेरिट / परीक्षा के आधार पर होगा।

Under the guidance of Dr. Ravi Agarhari & Team

(PhD from IIT Delhi, working Scientist in IIT Delhi, Author of Mc Graw Hill, Faculty of UPSC exam from Last 17 years with 500+ selection)

विशेषताएं (Specifications):

• Highly experience faculties from Delhi & Hyderabad • Regular test & answer writing session • Newspaper Analysis • Seminars & motivational speech by selected students • Provide basic to advance level classes (from NCERT) • Weekly Current updates • Test series facilities & Regular Current updates with Youtube channels.

ACHIEVERS

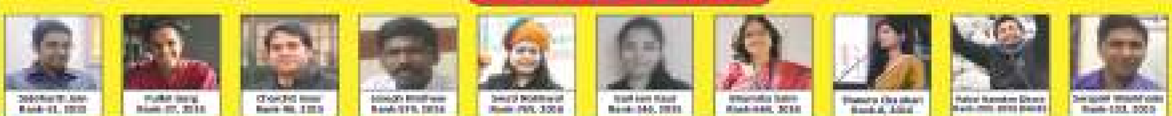

and many more...

PURVANCHAL IAS

House No.2, पैडलेगंज पुलिस चौकी के पास, मुहल्ला : इन्द्रानगर, गोरखपुर

0551-2255462, 6393641090, 9911809808

Website: www.purvanchalias.com | e-mail: purvanchalias@gmail.com

YH-860/2018

1000 दिनों में शत प्रतिशत ग्रामीण बिजलीकरण का सफर

ए के भल्ला

इस योजना की गतिशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान 9 राज्यों ने गैर बिजलीकृत 1,227 जनगणना गांवों की और सूचना दी। इन गांवों के बिजलीकरण का काम भी तुरंत शुरू किया गया। इनमें से 1193 गांवों का बिजलीकरण किया गया और यह पाया गया कि शेष 34 गांवों में आबादी ही नहीं है। इस प्रकार राज्यों, डिस्कॉम्स, ठेकेदारों, विक्रेताओं, उपकरण निर्माताओं और राज्यों के निवासियों के समर्थन से प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 1000 दिनों की समय सीमा से पहले ही लक्ष्य पूरा कर लिया गया

बिजली हम सब की बुनियादी जरूरत है। कल्पना कीजिए कि 21 वीं सदी में हमें बिजली के बिना जीवन जीना पड़े। देश के प्रत्येक नागरिक को बिजली उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य रहा है और इस संबंध में अनेक प्रयास किए गए हैं। 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के शेष 18500 गैर-बिजलीकृत गांवों को अगले 1000 दिनों में बिजलीकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इन सभी गैर-बिजलीकृत गांवों में बिजली पहुंचाने का काम सौंपा गया। हालांकि यह काम चुनौतीपूर्ण था, इसलिए पहला कदम वस्तुस्थिति का जायजा लेना था। जैसा कि प्रबंधन में कहा जाता है, आप जिन चीजों का जायजा नहीं ले सकते हैं, उनका प्रबंधन भी नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहली मान्यता प्राप्त प्रशासनिक इकाई एक जनगणना गांव होता है और इसलिए सभी जनगणना गांवों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना अर्थात 100 प्रतिशत बिजलीकरण करना है। यह जायजा लेना ही इस दिशा में बढ़ने वाला पहला कदम है। बिजली की आपूर्ति के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना; खासकर ग्रामीण इलाकों में, लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जरूरी है। इसलिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली वितरण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक एकीकृत योजना का शुभारंभ किया जिसे 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) नाम दिया गया।

'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई)

इस योजना में निम्नलिखित कार्य निश्चित किए गए हैं : (i) गैर-बिजलीकृत गांवों का बिजलीकरण, (ii) पहले से बिजलीकृत

लेखक ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। वे वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के तौर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड भी थे। उन्होंने कोयला मंत्रालय में वरिष्ठ पद संभाला, जहां उन्होंने कोयला ब्लॉक के आवंटन जैसे अहम काम को अंजाम दिया। इसके अलावा, वे जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार में भी रह चुके हैं। भल्ला ने असम और मेघालय में भी अहम जिम्मेदारी संभाली है। ईमेल: secy-power@nic.in

गांवों में गहन बिजलीकरण, ताकि घर-घर में बिजली पहुंचाई जा सके। (iii) बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए सब-ट्रांसमिशन और वितरण की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ और संवर्द्धन करना, (iv) फीडर सपरेशन ताकि किसानों को पक्की तौर पर बिजली आपूर्ति की जा सके, और (v) ऊर्जा ऑडिट और घाटे को कम करने के लिए फीडर, वितरण ट्रांसफॉर्मर और उपभोक्ताओं की मीटरिंग। ग्रामीण बिजलीकरण की पूर्व योजना को डीडीयूजीजेवाई में एक पृथक घटक के रूप में शामिल किया गया।

इस योजना का कुल व्यय 75,893 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र सरकार का सकल बजटीय समर्थन 63,027 करोड़ रुपए का है। इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

बिजली की आपूर्ति के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना; खासकर ग्रामीण इलाकों में, लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जरूरी है। इसलिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली वितरण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक एकीकृत योजना का शुभारंभ किया, जिसे 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) नाम दिया गया।

योजना और रणनीति

सभी शेष गैर-बिजलीकृत गांवों के बिजलीकरण का कार्य मिशन मोड में किया गया। 2015-16 से तीन साल पूर्व बिजलीकरण की गति अपेक्षाकृत धीमी थी (2012-13: 2587, 2013-14: 1197, 2014-15: 1405) जिसका अर्थ यह था कि गांवों के बिजलीकरण में 10 साल और लगेंगे। इसलिए सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया ताकि मौजूदा स्थिति को समझा जा सके। साथ ही, संसाधनों की उपलब्धता, कार्य की गति को तेज करने के लिए संभावित उपायों, व्यवस्थाओं की निगरानी पर भी चर्चा की गई। इससे नए विचार, रणनीति और दृष्टिकोण प्राप्त हुए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

जनगणना 2011 कोड के साथ गांवों की उचित पहचान: सभी राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे 2011 के जनगणना कोड के साथ शेष गैर-बिजलीकृत गांवों की पहचान करें ताकि व्यापक योजना बनाने हेतु नाम, भौगोलिक स्थान, जनसांख्यिकी इत्यादि का पता लगाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले आमतौर पर गांवों की संख्या के आधार पर प्रगति की निगरानी की जाती थी।

सुदूर/दुर्गम गांवों के लिए सौर पीवी आधारित ऑफ-ग्रिड समाधान: यह देखा गया था कि इनमें से कई गैर-बिजलीकृत गांव दूरदराज के इलाकों, बर्फीली पहाड़ियों पर या गहरे जंगलों में और वामपंथी अतिवादी इलाकों में स्थित हैं। इन गांवों तक पहुंचना भी मुश्किल था और बिजली के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है, उसे वहां तक ले जाना और फिर लगाना, एक अलग किस्म की चुनौती था। इसलिए यह तय किया गया कि जिन गांवों में ग्रिड विस्तार करना अव्यावहारिक या बहुत महंगा है, वहां सौर फोटोवोल्टिक आधारित समाधानों का उपयोग करके ऑफ-ग्रिड मोड के माध्यम से बिजलीकरण किया जाएगा। उसी के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के तहत ऑफ-ग्रिड गांवों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

मानक बोली-प्रक्रिया के दस्तावेज तैयार किए गए और ई-निविदाएं मंगवाई गईं।

नए प्रकार से वित्तपोषण: कार्य तेज गति से हो, इसके लिए योजना के तहत राज्यों को धन भी उपलब्ध कराया जाना था। बजटीय समर्थन के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण बिजलीकरण निगम (आरईसी) जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बांड के रूप में, बाजार से धन जुटाने की अनुमति दी गई

ताकि पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सके। पिछले दो वित्तीय वर्षों में अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के रूप में 9,000 करोड़ रुपए जुटाए गए।

कार्यों के निष्पादन के लिए राज्यों को लचीलापन: विभिन्न भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि सभी राज्यों के लिए एक-सा मॉडल बनाना संभव नहीं है। इसलिए राज्यों को उपयुक्तता के अनुसार टर्नकी/आंशिक टर्नकी/विभागीय मोड में परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन दिया गया।

विभिन्न भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि सभी राज्यों के लिए एक-सा मॉडल बनाना संभव नहीं है। इसलिए राज्यों को उपयुक्तता के अनुसार टर्नकी/आंशिक टर्नकी/विभागीय मोड में परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन दिया गया।

राज्यों/डिस्कॉम्स को मदद: जहां भी जरूरी था, राज्यों/डिस्कॉम्स को मदद दी गई। नोडल एजेंसी ने लगभग सभी राज्यों में अपने कार्यालय खोले, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक आधार पर राज्य अधिकारियों से बातचीत करने और उनकी मदद करने के लिए नियुक्त किया गया। राज्य डिस्कॉम्स/बिजली विभाग की क्षमताओं को सुदृढ़ करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए, आरईसी ने ब्लॉक/जिला स्तर पर ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) नियुक्त किए ताकि कार्यक्रम की निगरानी और त्वरित कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जा सके। ये जीवीए स्थानीय क्षेत्रों के स्नातक अभियंता हैं जिन्होंने व्यापक क्षेत्र की निगरानी में डिस्कॉम्स की सहायता की।

माइलस्टोन आधारित निगरानी: ग्रामीण बिजलीकरण की प्रगति की निगरानी और निर्धारित समय पर उसे पूरा करने के लिए 12 चरण/माइलस्टोन बनाए गए। इन माइलस्टोन्स के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया आती थी– काम सौंपे जाने से लेकर सर्वेक्षण, माल की खरीद, साइट तक माल पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, कमीशनिंग और बिजलीकरण। काम

को पूरा करने और गांवों के बिजलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रबंधन के उपायों का अत्यधिक उपयोग किया गया।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व: इन गांवों में बिजलीकरण की प्रक्रिया और उसकी प्रगति की जानकारी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप "गर्व" शुरू किया गया। सार्वजनिक डोमेन में सूचनाओं के प्रसार से जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हुई।

नियमित समीक्षा और निगरानी: केंद्र, राज्य और डिस्कॉम्स के स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी के लिए एक एक व्यवस्था कायम की गई। बेहतर समन्वय और

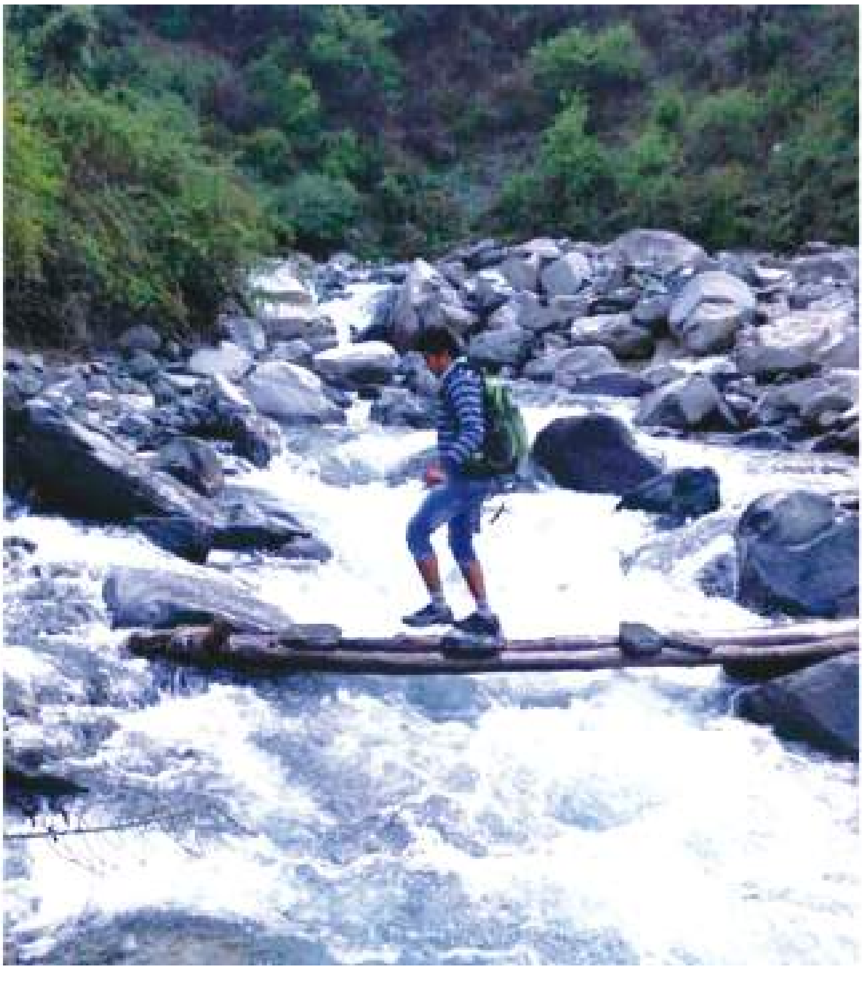

सौभाग्य
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

बेहतर जीवन स्तर:
गरीबों के सपनों को लगे पंख

करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को मिला बल

- देश के किसी भी गांव में अब अंधेरा नहीं है। डी.डी.यू.जी.जे.वाई ने प्रत्येक गांव में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की
- 'सौभाग्य' योजना के जरिये हर घर में बिजली पहुंचाई जा रही है। योजना के तहत 4 करोड़ गैर-विद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य

परियोजना प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया गया। इन समीक्षाओं में क्षेत्र की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई और उन्हें जल्द से जल्द हल करने पर विचार किया गया।

प्रगति

जब इन रणनीतियों पर सहयोगपरक तरह से काम हुआ तो कार्यान्वयन के पहले चरण में ही आशातीत परिणाम नजर आने लगे। पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान ग्रामीण बिजलीकरण की दिशा में अधिक प्रगति हुई (7108 गांव बिजलीकृत)। यह पिछले तीन वर्षों की समेकित प्रगति से अधिक था (2012-13: 2587, 2013-14: 1197, 2014-15: 1405)।

आवधिक प्रगति निम्नानुसार थी

घोषणा के बाद के दिन	बिजलीकृत गांवों की संख्या
200	6021
400	10,233
600	13,174
800	14,701
1000	18,452*

*1,271 गांवों को निर्वासित या चराई वाले रिजर्व में पाया गया है।

कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां और उपाय

यह कहना महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकतर गांव दूरदराज के इलाकों, बर्फीली पहाड़ियों में या गहरे जंगलों में और वामपंथी उग्रवादी इलाकों में स्थित थे। इसलिए बिजलीकरण कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इन चुनौतियों का हल निकालना था। इन चुनौतियों के कारण आजादी के इतने सालों बाद भी लोगों के जीवन मे अंधेरा है। लेकिन काम बढ़ता गया तो परेशानियां भी बढ़ती गईं। इसमें बड़ी चुनौतियां निम्नानुसार थीं:

- पारंपरिक ग्रिड सिस्टम का उपलब्ध और व्यवहारिक न होना: 2,762 गांव
- दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र: 245 गांव (जम्मू- कश्मीर-54, अरुणाचल प्रदेश-182, मेघालय-9)
- 1-10 दिनों तक माल की सिर पर ढुलाई: 102 गांव (अरुणाचल-90, मणिपुर-12)
- हेलिकॉप्टरों द्वारा माल की ढुलाई: 51 गांव (जम्मू-कश्मीर-35, अरुणाचल प्रदेश-16)
- वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र: 7614 गांव (बिहार-1044, झारखंड-2478, छत्तीसगढ़-1051, मध्य प्रदेश-14, ओडिशा-3027)
- वन मंजूरियां: 415 गांव (झारखंड-155, उत्तराखंड-23, ओडिशा-45, असम-32, मध्य प्रदेश-160)
- रेलवे की मंजूरियां: 38 गांव (बिहार-37 और असम-1)

इस योजना की गतिशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान 9 राज्यों ने गैर बिजलीकृत 1,227 जनगणना गांवों की और सूचना दी। इन गांवों के बिजलीकरण का काम भी तुरंत शुरू किया गया। इनमें से 1193 गांवों का बिजलीकरण किया गया और यह पाया गया कि शेष 34 गांवों में आबादी ही नहीं है।

इस प्रकार राज्यों, डिस्कॉम्स, ठेकेदारों, विक्रेताओं, उपकरण निर्माताओं और राज्यों के निवासियों के समर्थन से प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 1000 दिनों की समय सीमा से पहले ही लक्ष्य पूरा कर लिया गया।

हालांकि ऊर्जा मंत्रालय की यात्रा जारी है। हमारा अगला लक्ष्य देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाना है। इसके लिए हमने 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य' की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य देश में सार्वभौमिक घरेलू बिजलीकरण प्रदान करना है। इसके लिए हमने 31 मार्च, 2019 तक का समय निश्चित किया है जिस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी और सर्विस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ❑

रीड IAS
Reed
Reinventing Education

रीड IAS
Reinventing Education
An initiative of अभय कुमार

सामान्य अध्ययन
निःशुल्क परिचर्चा के साथ बैच प्रारम्भ

17 जुलाई
सायं: 6.30 बजे

31 जुलाई
दोपहर: 3.00 बजे

Our Mentor

K. Siddhartha
Earth Scientist,
Advisor of More than
10 Countries,
Eminent Geographer
and Writer of
More than 50 Books

Our Educator & Teachers of Young generation

AKHTAR MALIK
PANKAJ MISHRA
MADHUKAR KOTWE
P. MAHESH
PIYUSH KUMAR
K.B. YADAV
SHANTANU JHA
ABHAY KUMAR

परिचर्चा सत्र में पधारें और जानें
- हमारी टीम
- हमारे अध्यापन के तरीके
- हमारे नवनिर्मित नोट्स
- हमारी टेस्ट सीरीज
- उत्तर लेखन अभ्यास सत्र
- व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण सत्र
- बुक रिव्यू अध्ययन
- हमारी मासिक पत्रिका 'रीड IAS TODAY'
- हमारी ऑनलाईन सेवाओं के बारे में।

Honorary Trainer

S.K. Singh
Eminent Expert of
Political Science,
Renowned Coach of
More than thousand
Successful Candidate in
Civil Services Examination

लोक प्रशासन
by Abhay Kumar

17 जुलाई
प्रातः 8.30 बजे

भूगोल by पी. महेश
निःशुल्क कार्यशाला 15 जुलाई - प्रातः 11.00 बजे

इतिहास by पियूष कुमार
निःशुल्क कार्यशाला 15 जुलाई - सायं: 6.00 बजे

Add:- B-7/8 Shop No.4 Mezzanine Floor
Bhandari House Commercial Complex
Dr. Mukherjee Nagar Delhi-9

9870309939
9990188537

YH-853/2/2018

3,000 और अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत जल्द ही देश के प्रत्येक जिले में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्थापित की जाएगी।

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्थापना के लिए 3,000 और स्कूलों का चयन किया है। इसके साथ ही एटीएल स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 5,441 हो जाएगी। चयनित स्कूलों को देश भर में माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता भावना बढ़ाने हेतु अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिए अगले पांच वर्षों में बतौर अनुदान 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। जल्द ही भारत के प्रत्येक जिले में एटीएल की स्थापना की जाएगी जिसका उद्देश्य नवाचार परितंत्र को स्थापित करना है। इससे प्रौद्योगिकी नवाचार और शिक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव आएगा।

अटल नवाचार मिशन के प्रबंध निदेशक श्री रामनाथन रमणन ने कहा, 'ये 3,000 अतिरिक्त स्कूल एटीएल कार्यक्रम की पहुंच को काफी हद तक बढ़ा देंगे जिससे और ज्यादा संख्या में बच्चे टिंकरिंग एवं नवाचार से अवगत हो सकेंगे। इसके साथ ही भारत के युवा अन्वेषकों की पहुंच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे कि 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और माइक्रोप्रोसेसर तक सुनिश्चित हो जाएगी।'

इन अतिरिक्त एटीएल स्कूलों से वर्ष 2020 तक 10 लाख से भी ज्यादा आधुनिक बाल अन्वेषकों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये एटीएल इन विद्यार्थी अन्वेषकों के लिए नवाचार हब (केन्द्र) के रूप में कार्य करेंगी जिससे उन्हें उन अनूठी स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में आसानी होगी जिनका सामना उन्हें अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है। इन नए अतिरिक्त एटीएल स्कूलों की स्थापना के साथ ही एटीएल स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 5,441 हो जाएगी जो सभी राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों में से पांच केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इन नए स्कूलों के साथ ही नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के तहत एटीएल पहल द्वारा सृजित उस सहयोगात्मक परितंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की परिकल्पना की गई है जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, मार्गदर्शक और औद्योगिक भागीदार नवाचार को बढ़ावा देंगे और आज के उन बच्चों में वैज्ञानिक समझ एवं उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिए कार्य करेंगे जो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में सफलतापूर्वक उल्लेखनीय योगदान करेंगे।

इन नव चयनित स्कूलों से उन सभी औपचारिकताओं के संबंध में शीघ्र ही संपर्क स्थापित किया जाएगा जो उन्हें अनुदान प्राप्त करने और अपने-अपने परिसरों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने के लिए पूरी करनी हैं।

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के बारे में

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है। एआईएम का उद्देश्य देश में नवाचार परितंत्र पर नजर रखना और नवाचार परितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक छत्र या बृहद संरचना को सृजित करना है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए समूचे नवाचार चक्र पर विशिष्ट छाप छोड़ी जा सके। अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज (एटीएल) अन्वेषकों और अटल इन्क्यूबेशन केन्द्रों का सृजन करने के साथ-साथ पहले से ही स्थापित इन्क्यूबेशन केन्द्रों को आवश्यक सहायता मुहैया कराती है, ताकि नवाचारों को बाजार में उपलब्ध कराना और इन नवाचारों से जुड़े उद्यमों की स्थापना करना सुनिश्चित हो सके। ❑

योजना
आगामी अंक

अगस्त 2018
सामाजिक सशक्तिकरण

‘सबको शिक्षा-अच्छी शिक्षा’ की ओर बढ़ते कदम

जगदीश उपासने
लोकेन्द्र सिंह

मोदी सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण, अनुसंधान और डिजिटलाइजेशन पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शैक्षिक सामग्री तैयार कर उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। डिजिटल शिक्षा के प्लेटफार्म उपलब्ध कराए हैं, जिनमें स्वयं (swayam), स्वयं प्रभा (swayamprabha), ई-यंत्र, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल), वाई-फाई सुविधा (400 विश्वविद्यालय, 1000 कॉलेज लगभग) प्रमुख हैं। हैकथान भी इसी प्रकार की एक प्रमुख नवाचारी पहल है

किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके मानव संसाधन से बनती है। जबकि श्रेष्ठ मानव संसाधन शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। एक सामान्य किंतु महत्वपूर्ण बात सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति वहां के नागरिकों पर निर्भर करती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त किए हुए नागरिक ही अपने देश की प्रगति में सहयोग कर सकते हैं। शिक्षित नागरिक ही अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में सक्षम होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए यहां तक कहा है कि ‘यदि शिक्षा से सम्पन्न राष्ट्र होता तो आज हम पराभूत मन:स्थिति में न आए होते।’ भारत में स्वामी विवेकानंद ऐसे संन्यासी हुए जिन्होंने नागरिकों को शिक्षित बनाने पर सर्वाधिक जोर दिया। भारत जैसे विविधता सम्पन्न और विशाल देश में अब भी शिक्षा सब तक नहीं पहुंच सकी है। अनेक स्थानों पर शिक्षा के उपक्रम प्रारंभ तो हो गए किंतु उसमें गुणवत्ता नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय दृष्टिकोण ही नदारद है। यही कारण है कि मौजूदा सरकार ने अपने पहले साल से ही शिक्षा में गुणात्मक एवं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार सुधार का संकल्प ले लिया था। सरकार के संकल्प ‘सबको शिक्षा-अच्छी शिक्षा’ की पूर्ति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से निरंतर कार्य कर रहा है। पिछले चार वर्ष में स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा में भी महत्वपूर्ण आवश्यक कदम सरकार ने उठाए हैं।

स्कूली शिक्षा में आ रहा सकारात्मक बदलाव

केंद्र सरकार ने चार साल में शिक्षा की बुनियाद अर्थात स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस और नवाचारी कदम उठाए हैं। वहीं, पूर्व से चली आ रही व्यवस्था एवं नियमों में आवश्यक संशोधन भी किए। सरकार ने शिक्षा को सस्ती, सुलभ और जवाबदेह बनाने के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया है। डिजिटल युग की ओर बढ़ते भारत में शिक्षा के डिजिटलीकरण पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के चलते 6 से 13 वर्ष की उम्र के अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस वर्ग में 20.78 करोड़ बच्चे हैं। प्राथमिक से आगे की पढ़ाई करने वाले बच्चों का औसत 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिसे सरकार सौ फीसदी तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। कक्षाओं में छात्र-शिक्षक के अनुपात में भी सुधार आया है। वर्ष 2009-10 में जहां 32 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक था, वहीं अब यह घटकर 24 से भी कम छात्रों पर एक शिक्षक तक आ गया है। शिक्षक भी बच्चों के मानस को समझें और अपनी कक्षा को रुचिकर बनाएं, इसके लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार ने 12 वीं के बाद पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की भी पहल की है। मार्च 2019 तक स्कूलों में पढ़ा

जगदीश उपासने वरिष्ठ पत्रकार और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति हैं। वे इंडिया टुडे हिंदी के संस्थापक संपादक रह चुके हैं। ईमेल: jagdish.upasane@gmail.com
लोकेन्द्र सिंह माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में सहायक प्राध्यापक हैं। ईमेल: lokendra777@gmail.com

रहे करीब 15 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा।

समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूलों की हालत सुधारने के साथ ही उन्हें अधिक जवाबदेह बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। अध्ययन-अध्यापन छात्रों और शिक्षकों के लिए बोझ न हो, बल्कि यह आनंद का विषय बने, इसके लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक चलन था कि शिक्षक तय समय में पाठ्यक्रम पूरा कर अपने दायित्व से इतिश्री कर लेते थे। पाठ्यक्रम को पूरा करना ही उनकी प्राथमिकता में था। किंतु, अब लर्निंग आउटकम पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें छात्रों को कब-क्या आना चाहिए, इस पर पूरा जोर दिया गया है। रटकर पास होने की प्रवृत्ति को खत्म करने की भी पहल की गई है। बच्चों में सोचने, समझने और कुछ नया करने की प्रवृत्ति को विकसित किया जा रहा है। अटल टिंकरिंग लैब इसी से जुड़ी एक पहल है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड की जगह कक्षाओं को स्मार्ट बोर्ड से लैस करने और प्रत्येक स्कूल में पुस्तकालय और खेलने की सुविधाओं को जुटाने की पहल की गई है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन

सरकार ने फरवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा का अधिकार (आटीई) कानून के नियमों में संशोधन किया। इसमें पहली बार आठवीं कक्षा तक कक्षावार एवं विषयवार प्राप्त परिणामों को समाहित किया गया ताकि गुणवत्तायुक्त शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जा सके। इसके तहत प्रारंभिक स्तर तक की प्रत्येक कक्षा के लिए भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू), गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में विषयों की जानकारी के बारे में एक बुनियादी स्तर तय किया गया है। इस स्तर तक प्रत्येक कक्षा के अंत में छात्रों को पहुंचना चाहिए।

इसके साथ ही अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23 (2) में आवश्यक संशोधन कर प्रशिक्षण की अवधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया है।

बीते चार वर्ष में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सरकार ने जहां गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए देशभर में 100 से अधिक केंद्रीय विद्यालय और 62 नये नवोदय विद्यालय खोले हैं। वहीं, उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए देशभर में 7 नये आईआईएम, 6 नये आईआईटी खोलने के साथ ही एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक आईआईईटीटी और एक एनआईटी की स्थापना की है।

इससे शिक्षक एवं शिक्षण प्रक्रियाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (छौ)

सरकार ने बच्चे के मूल्यांकन की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण पाठ्यपुस्तक सामग्री पर आधारित था, अब यह एक योग्यता आधारित मूल्यांकन है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षकों के पास यह समझने के लिए एक उपकरण आया कि विभिन्न कक्षाओं में बच्चे को वास्तव में क्या सीखना चाहिए। बच्चों को क्रियाकलापों के जरिए कैसे पढ़ाया जा सकता है और कैसे यह मापा एवं सुनिश्चित किया गया।

स्वच्छ विद्यालय के तहत सबसे साफ-सुथरे विद्यालयों को पुरस्कार

सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता कार्यों में उत्कृष्टता को पहचानने और उसे प्रेरित करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई है। पिछले वर्ष अर्थात् 2017 में इस पुरस्कार के लिए कुल 2 लाख 68 हजार 402 स्कूलों ने वेब पोर्टलधमोबाइल ऐप के जरिए आवेदन किया था। राष्ट्रीय स्तर पर 643 स्कूलों का मूल्यांकन किया गया और 1 सितंबर 2017 को 172 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शामिल थे।

अनेक स्कूलों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं होने के कारण भी अभिभावक अपनी बच्चियों को शिक्षा के लिए चाहकर भी स्कूल नहीं भेजते थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले से अपने पहले संबोधन में 15 अगस्त 2014 को प्रत्येक स्कूल में बालक-बालिकाओं के लिए अलग से एक साल के अंदर शौचालय बनाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा कर लिया गया है।

मिड-डे मील में गड़बड़ियों को किया समाप्त, भोजन को बनाया अधिक पौष्टिक

मध्यान्ह भोजन योजना में भारी गड़बड़ी की जा रही थी। यह एक तरह से भ्रष्टचार का जरिया बन गई थी। मोदी सरकार ने मिड डे मील में होने वाली गड़बड़ियों को ई-पोर्टल और आधार नबंर की मदद से

बहुत हद तक कम कर दिया है। इसके लिए बजट से होने वाले धन आवंटन को वास्तविकता पर आधारित करने का प्रयास किया गया है। मंत्रालय के अनुसार आधार के चलते फर्जी नामों कमी आई है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार झारखंड और आंध्रप्रदेश से ऐसे 4 लाख फर्जी नाम हटा दिए गए हैं। इससे सरकारी खजाने का बोझ बहुत कम हुआ है। मध्यान्ह भोजन योजना की रियल टाइम निगरानी के लिए आंकड़े जुटाने की एक स्वचालित प्रणाली स्थापित की गई है। इसके साथ ही मिड-डे मील में दिए जाने वाले भोजन की पौष्टिकता पर भी सरकार ने ध्यान दिया है।

विज्ञान एवं अंकगणित का एक पाठ्यक्रम

बदलते समय में विज्ञान और गणित की प्रमुख भूमिका को देखते हुए सरकार ने इसमें अपेक्षित बदलाव किया है। अब सभी राज्यों के बोर्ड में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा ही दी जायेगी। इससे शिक्षा में समानता बढ़ेगी।

स्टूडेंट्स डेटा मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम का सृजन (ैक्डै)

देश में सभी छात्रों के आधार विवरण के साथ एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जो ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने पर लगाम लगाने, नकली नामांकन पर रोक लगाने, नियोजन प्रकिया में सुधार लाने और संसाधनों की कुशल उपयोगिता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अब तक करीब 21 करोड़ छात्रों को इसके दायरे में लाया जा चुका है।

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (छक्स)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश के शैक्षणिक संस्थानों के बीच उपलब्ध मौजूदा ई-सामग्री और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 19 जनू, 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पठन-पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। एनडीएल का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। इस डिजिटल पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक,

निबंध, वीडियो-आडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय और कहीं से भी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। यह सेवा नि:शुल्क है और 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस पुस्तकालय में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1०7 करोड़ अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीयन हुआ है। सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष इस संख्या में 10 गुना वृद्धि का है। डिजिटल पुस्तकालय वेबसाइट के अलावा मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है।

स्कूली शिक्षा में डिजिटलीकरण :

1. आधार : 30 नवंबर 2016 तक 5 से 18 वर्ष की उम्र के 24 करोड़ 49 लाख 20 हजार 190 बच्चों को आधार से जोड़ दिया गया था, जो उनकी कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत है।

2. ई-संपर्क : 50 लाख 07 हजार 729 शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों को ई-संपर्क पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

3. जीआईएस (Geographic information system) मैपिंग : स्कूलों को ग्राफिक इंफोर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) से जोड़ दिया गया है। इससे किसी भी बस्ती से एक उचित दूरी पर स्कूलों की कमी को पूरा करने में आसानी हुई है। इस प्रकार देश के सभी स्कूलों के आंकड़े और जानकारी U&DISE (Unified District Information System for Education) पर उपलब्ध है।

4. ई-पाठशाला : दोषरहित अध्ययन सामाग्री को उपलब्ध कराने के लिए ई-पाठशाला शुरू की गई है, जहां सभी पुस्तकें और अन्य अध्ययन सामाग्री उपलब्ध हैं।

5. शाला दर्पण : स्कूलों के कारगर प्रशासन व्यवस्था के लिए शाला दर्पण के तहत उन्हें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है। 5 जून 2015 को 1099 केंद्रीय विद्यालयों से इसकी शुरुआत हुई।

6. शाला सिद्धि योजना : स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 7 नवंबर 2015 से शाला सिद्धि योजना शुरू की गई है। इस पोर्टल पर सभी स्कूल निर्धारित सात मापदंडों के आधार पर स्वंय का मूल्यांकन करते हैं, जो सभी के लिए उपलब्ध होता है।

7. शगुन : केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और प्रगति से छात्रों और शिक्षकों को जोडने की कोशिशों में जुटी हुई है। इस को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल 'शगुन' का शुभारंभ किया गया है।

उच्च शिक्षा का भी हो रहा है विस्तार

बीते चार वर्ष में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सरकार ने जहां गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए देशभर में 100 से अधिक केंद्रीय विद्यालय और 62 नये नवोदय विद्यालय खोले हैं। वहीं, उच्च शिक्षा

में सुझाव प्राप्त किए गए। बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों, अध्यापकों, नीति निर्माताओं, सांसद और विधायकों से प्राप्त सुझावों पर सरकार अंतिम रूप से विचार करने के बाद जल्द ही देश के सामने एक नई शिक्षा नीति लेकर आएगी।

के विस्तार के लिए देशभर में 7 नये आईआईएम, 6 नये आईआईटी खोलने के साथ ही एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक आईआईटीटी और एक एनआईटी की स्थापना की है। उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए रचनात्मक प्रयोग एवं पहल प्रारंभ की हैं। कॉलेज में कक्षा में अध्यापन पर अधिक जोर दिया है तो विश्वविद्यालय में अध्यापन के साथ शोध को अधिक प्रोत्साहन दिया है। कॉलेज में अध्यापकों के लिए अब एपीआई व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, ताकि शिक्षक एपीआई स्कोर की चिंता छोड़ अध्यापन पर ध्यान दे सकें। वहीं, कॉलेज में अब प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता भी मानव संसाधन मंत्रालय ने खोल दिया है। कॉलेज में नये नियुक्त होने वाले अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण को अनिवार्य किया है, ताकि वह उच्च शिक्षा को अधिक सुगम और प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें। वहीं, विश्वविद्यालयों में भारत सरकार शोध को बढ़ावा दे रही है। एक हजार करोड़ का एक फंड बना है। हेफा जैसे वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसी के जरिए संस्थानों को अब शोध के लिए भरपूर पैसा दिया जा रहा है। सरकार 20 संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की योजना पर काम कर रही है।

नई शिक्षा नीति : शिक्षा नीति में बदलाव की मांग लंबे समय से की जा रही है, किंतु अब तक इस दिशा में कोई पहल प्रारंभ नहीं की गई थी। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही नई शिक्षा नीति के लिए ठोस प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। नई शिक्षा नीति देश के अनुकूल हो, इसके लिए पूरे देश में शिक्षाविदों एवं सामान्य नागरिकों के बीच व्यापक विमर्श चलाया गया। ऑनलाइन राय मांगी गई और बड़ी संख्या

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) : यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत राज्यों के उच्चतर शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। रूसा के मानदंडों को पूरा करने पर राज्य की शिक्षण संस्थाओं को विशेष वित्तीय सुविधा और योजनाएं दी जाती हैं। इस अभियान की सभी जानकारियों को ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से सभी स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह सर्वोच्च संस्था है जो देश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का मूल्याकंन करती है। पहले मूल्याकंन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) अपनी टीम भेजता था, जो मौके पर मानदंडों को परखते थे। इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाल था। इसको खत्म करके मोदी सरकार ने स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (**National Institutional Ranking Framework**) **:** देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2016 से इस रैंकिंग सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। इस रैकिंग सिस्टम में देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के निर्धारित मानदंडों के आधार पर रैंकिंग की जाती है। 'भारत रैंकिंग 2017' में कुल 2,995 संस्थानों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत 232 विश्वविद्यालय, 1024 प्रौद्योगिकी संस्थान, 546 प्रबंधन संस्थान, 318 फार्मेसी संस्थान तथा 637 सामान्य स्नातक महाविद्यालय शामिल हैं। सरकार के इस प्रयास ने देश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भी प्रारंभ हुई है। सभी शिक्षा संस्थान अपनी गुणवत्ता सुधार कर शीर्ष रैंकिंग में आने के लिए प्रयासरत हो गए हैं।

ग्लोबल इनिशियेटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (Global Initiative for Academic Network) : ग्लोबल इनिशियेटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स को 'ज्ञान' (GIAN) कहा गया है। इस योजना का शुभारंभ आईआईटी गांधीनगर, गुजरात में 30 नवम्बर 2015 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। देश-विदेश के श्रेष्ठ शिक्षाविदों का एक प्रतिभा समूह बनाने का प्रयास है, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा में नवाचारी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा सकें। ज्ञान के अंतर्गत अब तक 1649 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। ज्ञान के माध्यम से विदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों के विषय विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त हो रहा है।

उन्नत भारत अभियान : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2017 को हुआ। इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षण संस्थाएं चुने हुए नगर निकायों और गांवों के समूहों को विकास कार्यो की योजना बनाने और लागू करने में सहयोग देंगी। प्रथम चरण के लिए आईआईटी दिल्ली संयोजक संस्था के रूप में काम कर रहा है।

हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA) : भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं एवं संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक सार्थक कदम उठाया है। इसके लिए 12 सितंबर 2016 को केंद्रीय कैबिनट ने हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (हेफा) की स्थापना को मंजूरी दी। यह एजेंसी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अन्तराष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं एवं अन्य साधनों को उपलब्ध कराने के लिए धन की व्यवस्था करेगी। केनरा बैंक को सरकार ने इसका प्रमोटर

बनाया है। इसमें सरकार की 1000 करोड़ रुपए कि हिस्सेदारी है। सभी उच्च शिक्षण संस्थान इससे लोन लेने के लिए योग्य होंगे। सरकार लोन के ब्याज का भार उठाएगी, जबकि शिक्षण संस्थाओं को केवल मूलधन चुकता करना होगा।

नेशनल एजुकेशनल डिपॉजिटरी (NAD) : सरकार ने डिग्रियों के फर्जीवाडे के रोकने और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए नेशनल एजुकेशनल डिपॉजिटरी (एनएडी) की स्थापना की है। जहां शिक्षा से जुड़े सभी दस्तावेज, जैसे अंकतालिका, प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से मौजूद होंगे। इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। एनएडी पर उपलब्ध दस्तावेजों को अब ऑनलाइन ही सत्यापित किया जा सकेगा। डिजिलॉकर भी एक नवाचारी पहल है।

अनुसंधान पार्कों को मंजूरी : आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बेंगलूरू में से प्रत्येक में 75 करोड़ रुपए की लागत से पांच नये अनुसंधान पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी दे दी गई है। आईआईटी, मुंबई और आईआईटी खडगपुर में से प्रत्येक में 100 करोड़ रुपए की लागत से पहले से ही स्वीकृत अनुसंधान पार्कों को जारी रखने की मंजूरी भी दी गई है। आईआईटी गांधीनगर में कुल 90 करोड़ रुपए की लागत से अनुसंधान पार्क स्थापित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 : पहली बार भारत ने 42,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग छात्रों की भागीदारी के साथ स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 का आयोजन किया था, जिसमें 30 मंत्रालयों के 600 डिजिटल समस्याओं का समाधान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस पहल में प्रतिभागी तकनीकी समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान की कोशिश करते हैं। द्वितीय स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2018 की घोषणा की गई है।

कौशल विकास योजना : भारत युवाओं का देश है। युवाओं के हाथों में हुनर देकर उन्हें रोजगार के लिए दक्ष बनाना एक बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और युवाओं को विभिन्न विद्याओं में कौशल देने की योजना बनाई है। युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में देश के 24 लाख युवाओं को विभिन्न उद्योगों से संबंधित स्किल ट्रेनिंग देना सरकार का लक्ष्य है। वहीं, वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एक प्रक्रिया के तहत देशभर में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी (इंप्रिंट) इंडिया : इंप्रिंट इंडिया कार्यक्रम आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है, जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का खाका तैयार करती है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध एवं अनुसंधान कार्यों का रोड मैप तैयार करने और इसे जनता से जोडने् के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 नवम्बर 2015 को इंप्रिंट इंडिया योजना का शुभारम्भ किया था। 'इम्प्रिंट इंडिया' का उद्देश्य समाज में नवाचार के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना, पहचाने गए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान और इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उचित कोष की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसके साथ ही अनुसंधानों के परिणामों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव का आकलन करना भी उसके उद्देश्यों का एक प्रमुख हिस्सा है।

उच्च शिक्षा में अन्य नवाचारी पहल : मोदी सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण, अनुसंधान और डिजिटलाइजेशन पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शैक्षिक सामग्री तैयार कर उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। डिजिटल शिक्षा के प्लेटफार्म उपलब्ध कराए हैं, जिनमें स्वयं (swayam), स्वयं प्रभा (swayamprabha), ई-यंत्र, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल), वाई-फाई सुविधा (400 विश्वविद्यालय, 1000 कॉलेज लगभग) प्रमुख हैं। हैकथान भी इसी प्रकार की एक प्रमुख नवाचारी पहल है। अनुसंधान को बढ़ावा देने के अनेक प्रयासों के साथ प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप भी एक उल्लेखनीय योजना है। उद्योग-शिक्षा साझेदारी की प्रथम पहल के रूप में उच्चतर आविष्कार योजना को प्रारंभ किया गया है। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए टैक्विप कार्यक्रम शुरू किया गया है।

मोदी सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रगति न केवल संतोषजनक है, बल्कि आशाएं भी जगाती है। एक भरोसा यह भी जागा है कि भारत के शिक्षा संस्थान नये ढंग से समय की आवश्यकता के अनुसार तैयार हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रयोगों में एक बात विशेष है कि यह सब समयानुकूल हैं, युवाओं को रोजगार सृजन करने में दक्ष बनाने में समर्थ हैं और भारतीय मूल्यों के समावेश के साथ हैं। इसलिए यह विश्वास बढ़ जाता है कि भारत के शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले विद्यार्थी अधिक जिम्मेदारी के साथ देश को नये फलक पर पहुंचाने में योगदान करेंगे।

स्रोत : समस्त जानकारी का स्रोत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट, परफोर्म इंडिया वेबसाइट एवं अन्य वेबस्थल हैं।

भारत सरकार
युवा ऊर्जा से बदलता देश
देश का बढ़ता जाता विश्वास...
साफ नीयत सही विकास
स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार और इनोवेशन पर ज़ोर।
7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी और कई नए विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में नए अवसर।
स्किल इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण।
युवाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर
▪ मुद्रा, स्टार्ट–अप और स्टैंड–अप योजनाओं से स्वरोज़गार में अप्रत्याशित वृद्धि
▪ तेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से तेज़ी से बढ़ते रोज़गार के अवसर
▪ लगातार मिल रहे प्रोत्साहन से प्राइवेट सेक्टर में संभावनाओं का विस्तार
खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत, जहाँ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की सहायता।
अधिक जानकारी के लिए 48months.mygov.in पर जाएँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश में मुद्रा लाभान्वितों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे।
दिनांक: 29 मई, 2018 | समय: सुबह 9:30 बजे | बातचीत का सीधा प्रसारण: DD नेटवर्क पर
DAVP22112/13/0004/1819

सामुदायिक गतिविधियों में युवाओं की सहभागिता

अमरेंद्र कुमार दुबे

आज का युवा विकास, संचार, जुड़ाव-सक्रियता, अपनी संभावनाओं को दिखाने के लिए अवसरों के बारे में एक ही अंदाज में बात करता है, चाहे वह देश भर के किसी भी इलाके या जाति-धर्म से ताल्लुक रखता हो। यह समानता इसलिए है, क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर भारत की अलग संस्कृति है और यह निश्चित परंपराओं और रिवाजों पर आधारित है। इन परंपराओं और रिवाजों को वर्षों से संरक्षित रखा गया है और इनमें सामाजिक मूल्य मौजूद हैं। ये सामाजिक मूल्य आम तौर पर भारतीय समाज में और खास तौर पर युवाओं के लिए एक-दूसरे को जोड़ने में पुल का काम करते हैं

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 29 साल के आयु के लोगों को 'युवा' के तौर पर पारिभाषित किया गया है।[1] हालांकि, युवा को एकसमान समूह नहीं माना जा सकता। विभिन्न सामाजिक वजहों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, अलग-अलग भौगोलिक इलाके के कारण युवाओं के समूह में विविधता होना लाजमी है। और सबसे अहम बात यह कि धारणाओं और आकांक्षाओं के मामले में भी युवा की राय अलग-अलग होती है।

'युवा' शब्द के तीन साफ आशय हैं। पहला यह किसी खास आयु समूह की बात करता है। दूसरा ऐसे लोगों के समूह की तरफ इंगित करता है, जो शिक्षा और रोजगार के नजरिए से क्षणिक दौर से गुजर रहे होते हैं। और आखिर में युवाओं का मतलब ऐसे समूह से भी है, जिनके जीवन को विशेष तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक-शारीरिक पहलू प्रभावित करते हैं।

हालांकि, सिर्फ किसी खास आयु समूह में होने का अपने आप में ज्यादा मतलब नहीं है। युवाओं के संदर्भ में सबसे अहम यह है कि यह ऐसा आयु समूह है, जो किशोरावस्था से वयस्क की तरफ बदलाव का गवाह होता है और कौशल या शिक्षा से रोजगार की तरफ बढ़ने के दौरे में भी होता है। इस दौर में युवा अपने मकसद और आकांक्षाओं को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। साथ ही, उन क्षेत्रों की तलाश भी करते हैं, जिनसे वह सार्थक तरीके से जुड़ सकें। युवाओं की गतिविधियों का दायरा व्यापक है - मसलन कई कामकाजी क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियां, सार्वजनिक हित से जुड़ी गतिविधि या स्वतंत्र पेशा। मुमकिन है कि इस प्रक्रिया में उसे कौशल संबंधी प्रशिक्षण या अपनी पसंद के हिसाब से शिक्षा मिले और वह अपनी पसंद के काम के जरिए आजीविका का इंतजाम करने की कोशिश करे। काम-धंधे में घुस जाने के बाद वह अपनी मेहनत के जरिए सफल होने और प्रगति करने की कोशिश कर सकता है। और इस दौर में उसके जीवन में सामाजिक-सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक-शारीरिक मामलों का जुड़ाव पहले से कहीं ज्यादा होने लगता है। कभी-कभी इस तरह का जुड़ाव या सक्रियता काफी महंगी पड़ती है। इसके कमजोर नतीजों के कुछ मामले भी सामने आए हैं।

समूह के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र

भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति 2014[2] में युवाओं के इस विशेष पहलू को मान्यता दी है। यह लक्ष्यों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है, जो इस तरह हैं:-

प्राथमिकता वाले तमाम क्षेत्र अहम हैं और युवाओं के संपूर्ण और रचनात्मक विकास पर काम किए जाने की जरूरत है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल आदि पर काफी कुछ लिखा जा चुका है और आगे भी यह सिलसिला जारी है। यहां प्राथमिकता वाले सिर्फ दो क्षेत्रों के बारे में चर्चा की जाएगी:-

1. सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा;
2. सामुदायिक सक्रियता।

उपरोक्त टेबल यह साफ करता है

लेखक युवा और खेल मामलों के मंत्रालय में सचिव हैं। उन्होंने भारत सरकार और केरल सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया है। वे इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण विकास जर्नल, कुरुक्षेत्र और विषय आधारित खास वॉल्यूम में विभिन्न मुद्दों पर लिखते रहे हैं। ईमेल: secy-ya@nic

मकसद	प्राथमिकता
ऐसा उपयोगी कार्यबल तैयार करना जो देश के आर्थिक विकास में सतत योगदान कर सके	शिक्षा
	रोजगार और कौशल विकास
	उद्यमिता
मजबूत और सेहतमंद पीढ़ी तैयार करना, जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने में कारगर हो	सेहत और सेहतमंद जीवन शैली
	खेल
राष्ट्रीय स्वामित्व की भावना विकसित करने के लिए सामाजिक मूल्य सिखाना और सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना	सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा
	सामुदायिक स्तर पर सक्रियता
शासन के सभी स्तरों पर भागीदारी और नागरिक गतिविधियों के लिए राह बनाना	राजनीति और शासन में भागीदारी
जोखिम की हालत में युवाओं को मदद करना और वंचित युवाओं के लिए समान अवसर तैयार करना	समावेशन
	सामाजिक न्याय

कि 'राष्ट्रीय स्वामित्व की भावना विकसित करने के लिए सामाजिक मूल्य सिखाने और सामुदायिक सेवाओं को बढ़ावा देने' के मकसद को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले दो क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।

सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा

युवा बेहद उपयोगी कार्यबल हैं और अनुभव के साथ ही वे जीवन के अपने-अपने क्षेत्रों में अगुवा बन जाएंगे। संस्कृति, नस्ल, भाषा, समाज और धर्म के मामले में भारत विविधता वाला देश है। भौगोलिक लिहाज से भी यह काफी विविध है। लिहाजा, अलग-अलग समाज अलग-अलग तरीके से भौगोलिक चुनौतियों से निपटते हुए अपनी जीवन शैली गढ़ते हैं। हालांकि, इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद देश के अलग-अलग समाजों और पहचानों को एक सामूहिक आधार जोड़ता है। इसका बेहतर उदाहरण शायद हमारे महाकाव्य (रामायण और महाभारत) हैं, जिनका तमाम भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है और मुख्य कहानी एक ही है। सिर्फ उप-कहानियां (महाभारत में इसे उपाख्यान कहा गया है) में एक ही विषय पर अलग-अलग तरह की छाया देखने को मिल सकती है। अगर हम समकालीन दौर की बात करें, तो सूचना-प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, युवाओं की सामान्य धारणाएं और उनकी विभिन्न दिक्कतों की स्थिति देशभर में एक जैसी ही है। आज का युवा विकास, संचार, जुड़ाव-सक्रियता, अपनी संभावनाओं को दिखाने के लिए अवसरों के बारे में एक ही अंदाज में बात करता है, चाहे वह देशभर के किसी भी इलाके या जाति-धर्म से ताल्लुक रखता हो। यह समानता इसलिए है, क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर भारत की अलग संस्कृति है और यह निश्चित परंपराओं और रिवाजों पर आधारित है। इन परंपराओं और रिवाजों को वर्षों से संरक्षित रखा गया है और इनमें सामाजिक मूल्य मौजूद हैं। ये सामाजिक मूल्य आम तौर पर भारतीय समाज में और खास तौर पर युवाओं के लिए एक-दूसरे को जोड़ने में पुल का काम करते हैं।

सामुदायिक गतिविधियां

प्राथमिकता वाला दूसरा क्षेत्र युवाओं के लिए सामुदायिक सक्रियता है। यह सामाजिक मूल्यों के अलावा समाज के सामाजिक-आर्थिक ढांचे से भी निकलता है। दरअसल, सामुदायिक जुड़ाव का मामला अलग-अलग तरह की गतिविधियों के रास्तों से गुजरता है। जाहिर तौर पर युवा आबादी के सबसे बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं और उन्हें सामुदायिक सेवाओं के लिए इकट्ठा किया जा सकता है।

> **युवा बेहद उपयोगी कार्यबल हैं और अनुभव के साथ ही वे जीवन के अपने-अपने क्षेत्रों में अगुवा बन जाएंगे। संस्कृति, नस्ल, भाषा, समाज और धर्म के मामले में भारत विविधता वाला देश है। भौगोलिक लिहाज से भी यह काफी विविध है। लिहाजा, अलग-अलग समाज अलग-अलग तरीके से भौगोलिक चुनौतियों से निपटते हुए अपनी जीवन शैली गढ़ते हैं।**

युवा मामलों के विभाग के तहत मुख्य दो संस्थान हैं - नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस), जो स्वैच्छिक आधार पर युवाओं के लिए सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। और मुख्य तौर पर यह युवाओं के बीच स्वेच्छा से काम करने की भावना बढ़ाने पर आधारित है। यह युवाओं के लिए स्वैच्छिक आधार पर सामुदायिक सक्रियता का मामला है। इस तरह की स्वैच्छिक भावना इस तरह की सेवाओं के लिए श्रेयस्कर तरीका है, जिसका प्रदर्शन कई तरह की गतिविधियों में किया जा चुका है। एनएसएस/एनवाईकेएस के कार्यकर्ताओं ने गैर-परंपरागत क्षेत्र की गतिविधियों पर भी जोर दिया है। और विभिन्न हालातों से निपटने पर युवाओं के इस जवाबी तंत्र में सामाजिक मूल्य सामने आते हैं। मसलन इस तरह की गतिविधियों के जरिए सामाजिक जुड़ाव देखा जा सकता है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)

नेहरू युवा केंद्र संगठन को 1972 में शुरू किया गया था। यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है। नेहरू युवा केंद्र संगठन में फिलहाल 1.29 लाख युवा क्लबों के जरिए 87 लाख युवा पंजीकृत हैं। नेहरू युवा केंद्रों के जरिए एनवाईकेएस की मौजूदगी 623 जिलों में है। इसका मकसद युवाओं में शख्सियत और नेतृत्व के गुण विकसित करना और उन्हें राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों से जोड़ना है। नेहरू युवा केंद्र संगठन की गतिविधियों को हर जिले में जिला युवा समन्वयक के जरिए संचालित किया जाता है और हर ब्लॉक में 2 राष्ट्रीय युवा कार्यकर्ता होते हैं। इसके अलावा, नेहरु युवा केंद्र संगठन के राज्य स्तर पर 29 जोनल ऑफिस हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

इस संगठन की कई सारी गतिविधियों में से यहां कुछ के बारे में संक्षेप में बताया गया है:

युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास के बारे में प्रशिक्षण

इस कार्यक्रम का मकसद युवा लोगों की क्षमता बढ़ाना है, ताकि वे नेतृत्व वाली भूमिका में आकर दूसरों को सार्थक जिंदगी जीने में मदद कर सकें और राष्ट्र निर्माण में

अपना योगदान दे सके। यह 5 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। 2017-18 में इस तरह के 450 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसमें 19,000 से भी ज्यादा युवाओं को शामिल किया गया।

युवा सम्मेलन और युवा कृति

सभी जिला नेहरू युवा केंद्रों में सालाना इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसका मकसद ग्रामीण युवाओं उत्पाद दिखाने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए मंच मुहैया करना है। इसके अलावा, उन्हें इसके जरिए अपने अनुभव साझा करने और युवाओं के सशक्तीकरण के लिए बेहतर उपाय सुझाने का मौका मिलता है। 2017-18 के दौरान इस तरह के 300 से भी ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनमें 2,06,000 से भी ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया।

युवा आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मकसद चुनिंदा जिलों में एक गांव को युवाओं द्वारा युवाओं के लिए आदर्श गांव की तरह विकसित करना है। इससे जुड़ी गतिविधियों में गांव को खुले में शौच की समस्या से पूरी तरह मुक्त करना, 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण, प्राथमिक स्कूलों में शत-प्रतिशत बच्चों का दाखिला, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना आदि है। 2017-18 के दौरान (31-12-2017) तक यह साल भर का कार्यक्रम है। इसे 78 चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया है।

आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी)

गृह मंत्रालय की फंडिंग की मदद से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत नक्सलवाद और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं को देश के बाकी हिस्सों में ले जाया जाता है, ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। साथ ही, देश के बाकी हिस्सों के लोगों से उनका भावनात्मक रिश्ता विकसित हो सके। साल 2017-18 के दौरान 2,000 से भी ज्यादा आदिवासी युवाओं के लिए 10 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

एक भारत श्रेष्ठ भारत (अंतरराज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम)

प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती पर 31 अक्तूबर 2015 को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान का एलान किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद हमारे देश की विविधता में एकता की खूबी का गुणगान करना, पारंपरिक तौर पर लोगों के बीच मौजूद भावनात्मक संबंधों को और मजबूत करना, राज्यों के बीच साल भर की सुनियोजित गतिविधियों के जरिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गहरा जुड़ाव पैदा कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इसके तहत हर राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करना, ताकि लोग भारत की विविधता को समझें और उसकी कद्र करें। इस कार्यक्रम के प्रशासनिक समन्वय की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास है।

इस परियोजना में किशोरों और युवाओं, आसानी से नशे का शिकार बनने वाले समूहों के अलावा उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों पर फोकस किया गया और गांव आधारित युवा क्लबों, महिला समूहों, ग्राम पंचायतों स्थानीय राजनीतिक और धार्मिक नेताओं आदि के जरिए विभिन्न संबंधित पक्षों के लिए सहयोग जुटाया गया, ताकि ड्रग और शराब की लत जैसी समस्या से एक साथ निपटा जा सके।

नेहरू युवा केंद्र ने साल 2017-18 के लिए 15 जोड़ी राज्यों में अंतरराज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत शुरू किया है, जिनमें तेलंगाना और हरियाणा, केरल और हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर, ओडिशा और महाराष्ट्र, झारखंड और गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश, सिक्किम और दिल्ली, मणिपुर और मध्य प्रदेश आदि की जोड़ी शामिल हैं।

बाकी गतिविधियां

नेहरू युवा केंद्र संगठन बाकी मंत्रालयों के साथ मिलकर कई अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहता है। मसलन पौधा रोपण, रक्तदान कैंप, बच्चों का प्रतिरक्षण, मां का प्रतिरक्षण, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन आदि। हाल में यह मौजूदा स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप में भी शामिल रहा है, जिसके तहत युवा स्वच्छता से जुड़े मुद्दों, स्वास्थ्य आदि पर 100 घंटों का स्वैच्छिक कार्य करेंगे। यह काम पेय जल और सफाई मंत्रालय के तत्वावधान में होगा। इसी तरह, जल संसाधन मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े युवा गंगा सफाई अभियान के तहत नमामी गंगे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

एनएसएस की शुरुआत 1969 में हुई थी और इसका मुख्य मकसद स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के जरिए युवा छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व और चरित्र को निखारना है। इसका उद्देश्य 'सेवा के जरिए शिक्षा' है।

एनएसएस की सैद्धांतिक आधार महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। जाहिर तौर पर इस संगठन का आदर्श वाक्य 'मैं नहीं, लेकिन आप' हैं। इसे 1969 में 37 विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया था और उस वक्त इससे जुड़े कार्यकर्ताओं की संख्या तकरीबन 40,000 थी। फिलहाल एनएसएस के पास 36.6 लाख कार्यकर्ता हैं और इसकी 36, 695 इकाइयां हैं, जो 391 विश्वविद्यालयों, 2 परिषदों और 16,278 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में फैली हैं।

बुनियादी खाका/कार्यक्रम का ढांचा

एनएसएस का खाका इस तरह से तैयार किया गया है कि हर शैक्षणिक संस्थान इसके दायरे में आ जाएं और कम से कम एक शिक्षक (कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर तैनात) की अगुआई में 100 छात्र-छात्राओं (आम तौर पर) की एक इकाई हो। साथ ही एनएसएस की इकाई अपनी गतिविधियों के लिए किसी गांव या झुग्गी को गोद ले। एनएसएस के हर कार्यकर्ता को दो साल की अवधि में हर साल कम से कम 120 घंटों की सेवा देनी पड़ती है यानि दो साल में 240 घंटे की सेवा। इसके अलावा, हर कार्यकर्ता को 7 दिनों की अवधि के विशेष कैंप में हिस्सा लेना पड़ता है, जिसका आयोजन गोद लिए गांव या शहरी झुग्गी में एनएसएस की इकाई की तरफ से किया जाता है।

एनएसएस के तहत आने वाली गतिविधियों की प्रकृति

एनएसएस की मुख्य गतिविधि सामुदायिक सेवा मुहैया कराना है। समुदाय की जरूरतों के हिसाब से गतिविधियों की सामायिक प्रकृति विकसित होती रहती है। एनएसएस के कार्यकर्ता जिन कुछ क्षेत्रों में काम करते हैं, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सफाई, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, महिलाओं की हालत सुधारने से जुड़े कार्यक्रम, उत्पादन आधारित कार्यक्रम, आपदा आदि की हालत में राहत और पुनर्वास शामिल हैं। इसके अलावा, एनएसएस के कार्यकर्ता गणतंत्र दिवस परेड, एडवेंचर कैंप, राष्ट्रीय एकता कैंप और उत्तर-पूर्व एनएएस उत्सव, 'सुविचार' और राष्ट्रीय युवा उत्सव के दौरान 'युवा सम्मेलन' स्वैच्छिक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं।

स्वैच्छिक समाज सेवा के कुछ जरूरी फायदे हैं। इससे युवाओं को समुदाय, उसके आसपास के परिवेश और मुश्किलों और फायदों के बारे में जानने और समझने में मदद मिलती है। यह किसी शख्स के जमीनी अनुभव को बढ़ाता है, जिससे किसी समस्या या हालात के विश्लेषण में तुलनात्मक रुख विकसित करने में मदद मिलती है। एक बार खुद से जमीनी हकीकत को देख लेने के बाद युवा के पास उस मसले का व्यापक नजरिया होगा। इससे किसी शख्स को तर्कसंगत नजरिया अपनाने और निष्पक्ष होने में भी मदद मिलती है। वह इस बात को समझना शुरू कर देता है कि कहीं पर हालात उस अन्य जगह से पूरी तरह उलट हो सकते हैं, जिसे उसने देखा है और हालात के हिसाब से दोनों सच हो सकते हैं। इससे उस शख्स को दूसरों की राय की कद्र करना आता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्वैच्छिक सेवा 'भावनात्मक पहलू' को बेहतर बनाने में मददगार है, जो किशोरावस्था से वयस्क बनने के दौरे में होने वाली दिक्कतों और चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका अदा करता है। एनवाईकेएस/एनएसएस कार्यकर्ताओं की कुछ गतिविधियों के उदाहरण इस बात को प्रदर्शित करते हैं।

गिरिविकास परियोजना

आदिवासी समुदाय को राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ जोड़ने में शिक्षा/साक्षरता अहम भूमिका निभा सकती है। इस बात को महसूस करते हुए नेहरू युवा केंद्र पलक्कड द्वारा जिला प्रशासन की मदद से प्रयोग के आधार पर गिरिविकास परियोजना को शुरू किया गया। पलक्कड के मलमपुज्हा गांव में 1.5 एकड़ का गिरिविकास कैंपस मौजूद

है, जिसमें अकादमिक और प्रशासनिक ब्लॉक, लड़कियों और लड़कों का छात्रावास मौजूद है। केरल राज्य जनजातीय विकास विभाग ने इस प्रोजेक्ट को मदद मुहैया कराई है। इस परियोजना के तहत बारहवीं फेल आदिवासी छात्रों को पर्यावरण, शैक्षणिक और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसका मकसद उन्हें 10 महीने की आवासीय कोचिंग देकर उन्हें परीक्षा पास करने के लिए सक्षम बनाना है। इसका अन्य मकसद जनजातीय समुदाय के लोगों के दिमाग से हीनता की भावना को निकालना, रहन-सहन के अहम पहलुओं मसलन स्वच्छता, अनुशासन और कड़ी मेहनत की आदत विकसित कर उनके व्यक्तित्व को बेहतर बनाना भी है।

छात्र-छात्राओं को नियमित पाठ्यक्रम के अलावा अंग्रेजी और कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ाया जाता है। साथ ही, योग, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराया जाता है। इससे जुड़े कैंपस में छात्र-छात्राओं को सामाजिक विचारकों, साहित्यकारों, राजनेताओं और अधिकारों के भाषण भी सुनने का मौका मिलता है और वे उनके साथ संवाद भी कर सकते हैं। गिरिविकास परियोजना के जरिए आदिवासी लड़के और लड़कियों को बारहवीं की परीक्षा देने और पास होने के मामले में 88 प्रतिशत आंकड़ा हासिल करने में मदद मिली।

ड्रग के गलत इस्तेमाल और शराब की आदत को लेकर रोकथाम

इसे एक साल की पायलट परियोजना के तौर पर लागू किया गया है। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। इस

परियोजना को पंजाब के 10 जिलो के 75 ब्लॉक के तहत आने वाले 3,000 गांवों और मणिपुर के 7 जिलों के 25 ब्लॉक के तहत आने वाले 750 गांवों में लागू किया गया। इस परियोजना में किशोरों और युवाओं, आसानी से नशे का शिकार बनने वाले समूहों के अलावा उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों पर फोकस किया गया और गांव आधारित युवा क्लबों, महिला समूहों, ग्राम पंचायतों स्थानीय राजनीतिक और धार्मिक नेताओं आदि के जरिए विभिन्न संबंधित पक्षों के लिए सहयोग जुटाया गया, ताकि ड्रग और शराब की लत जैसी समस्या से एक साथ निपटा जा सके। इस परियोजना का मुख्य मकसद जागरूकता पैदा करना, संबंधित लोगों को अल्कोहल और ड्रग पर निर्भरता के दुष्परिणामों और इसकी रोकथाम की प्रणालियों के अलावा इस सिलसिले में पेशेवर मदद के बारे में शिक्षित करना है, ताकि नशे के शिकार लोगों के लिए सेहतमंद और सार्थक जिंदगी का रास्ता तैयार हो सके।

इस परियोजना के तहत स्थानीय गांव से जुड़े युवा क्लब के 37,500 प्रशिक्षित सदस्यों ने 3,75,000 युवाओं को जागरूक किया और 62,654 ऐसे लोगों की पहचान की, जो शराब या ड्रग की लत के शिकार थे। इसके अलावा, ड्रग और शराब की लत और उसके नतीजों की समस्या से निपटने के लिए गांव के स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया, सूचनाएं मुहैया कराई गई और समुदायों को प्रेरित करने का काम किया गया।

नमामि गंगे और युवा (एनवाईकेएस)

नेहरू युवा केंद्र संगठन ने प्रदूषण को कम करने, राष्ट्रीय नदी गंगा को फिर से बेहतर बनाने के मकसद से जागरूकता फैलाने की खातिर राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन के साथ 8 जून 2015 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। संगठन इसी एजेंडे के हिसाब से 'नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता' शीर्षक से परियोजना पर अमल कर रहा है।

इस परियोजना का मकसद स्थानीय युवाओं की प्रशिक्षित टीम तैयार करना, जीवन के तमाम क्षेत्रों से लोगों को इकट्ठा कर उन्हें इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाना, जागरूकता पैदा करना और लक्षित समूहों को प्रदूषित गंगा के परिणामों और असर के बारे में शिक्षित करना और मौजूदा सरकारी योजनाओं व गंगा की सफाई से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। फिलहाल इस परियोजना के दायरे में गंगा तट से जुड़े 4 राज्यों के 29 जिलों के 1,203 ग्राम पंचायत और 2,336 गांव शामिल हैं। इन 4 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। परियोजना के तहत गंगा नदी के तट पर

2,426 युवा क्लब बनाए गए हैं और 13,000 से भी ज्यादा गंगा दूत इस पर काम करेंगे।

पानी की गुणवत्ता का मसला

करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर, झारखंड के एनएसएस कार्यकर्ताओं ने गोद लिए गए गांव में पीने और अन्य कामों में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के साधन की जांच करने की पहल की। यह जांच कॉलेज की रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में की गई। रिपोर्ट जिला प्राधिकरण को सौंपी गई। जिला प्राधिकरण ने पानी की फिर से जांच की और प्रदूषण को कम करने और गांव वालों को सुरक्षित और साफ पानी मुहैया कराने के लिए जरूरी उपाय किए गए।

अलगप्पा चेट्टियार गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कराईकुडी, तमिलनाडु (एनएसएस)

इस कॉलेज की एनएसएस यूनिट ने पानी के चैनलों और अतिक्रमण का सर्वेक्षण कर पलवनगुड़ी गांव में सभी टैंकों को चैनल से जोड़ने की संभावनाओं का विश्लेषण किया। इसने सिविल इंजीनियरिंग विभाग की मदद से पलवनगुड़ी गांव की मैपिंग की और स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढा खोदने, अतिक्रमण, मलबा आदि हटाने का काम किया गया। आखिरकार यह पहल रंग लाई और टैंक बारिश के पानी से भर गए। सभी चैनल अब पानी के प्रवाह के अनुकूल कर दिए गए हैं। इसने गांव में बारिश का पानी इकट्ठा करने का स्थायी समाधान पेश किया।[3] (दिनामालार अखबार के मदुरै संस्करण में प्रकाशित)

सिद्धि उत्थान परियोजना (एनएसएस)

सिद्धि मुस्लिम समुदाय अहमदाबाद में शहरी झुग्गी सिद्धि बस्ती में रहता है। सरसपुर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की एनएसएस इकाई ने इस सिद्धि बस्ती को गोद लिया, जहां एक दशक से भी ज्यादा से कचरा फेंकने का ठिकाना था और इस इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन काफी कठिन था। सरसपुर कॉलेज के एनएसएस कार्यकर्ताओं ने इस इलाके की गंदगी और कचरे को साफ किया, साफ-सफाई का अभियान शुरू करते हुए इस इलाके को साफ-सुथरा बना दिया। एनएसएस कार्यकर्ताओं की 4 साल की लगातार कोशिशों के कारण सिद्धि शहरी झुग्गी इलाके को कचरा मुक्त इलाका बनाया जा सका। इससे सिद्धि बस्ती के 300 लोगों और पास के कॉलेज के 2,000 से भी ज्यादा छात्रों को फायदा हुआ। सरसपुर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, अहमदाबाद के एनएसएस कार्यकर्ताओं ने अपने घरों को साफ किया और उनकी रंगाई-पुताई की, शौचालयों को दुरुस्त किया और उनके काम करने लायक बनाया। इसके अलावा, एनएसएस की इस इकाई ने उनके लोक नृत्य 'सिद्धिधमाल' को भी बढ़ावा देने में मदद की, लड़कियों समेत 200 से भी ज्यादा सिद्धि के छात्र-छात्राओं के लिए कंप्यूटर क्लास सिद्धि बस्ती के पास 'खेल-खेल में पढ़ाई' जैसे कार्यक्रम के तहत किए गए, जिससे सिद्धि लड़कियों, महिलाओं और बच्चों को अपने घर में ही सिखाने वाले मजेदार गेम और सांस्कृतिक गतिविधियों से काफी कुछ सीखने में मदद मिली।

एलईडी बल्ब कैंप (एनएसएस)

व्यावसायिक उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की एनएसएस इकाइयों ने केरल के 14 जिलों में 2 दिनों के 308 समर कैंपों का आयोजन किया। इसमें एलईडी बल्ब बनाने जैसी अलग-अलग परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर काम किया गया। इसके अलावा, खराब और फेंक दिए गए एलईडी बल्बों की मरम्मत के लिए घरों से इकट्ठा किया गया, सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एलईडी बल्बों का वितरण किया गया और गांव वालों के बीच ऊर्जा की खपत को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। केरल ऊर्जा प्रबंधन केंद्र ने एलईडी बल्ब को बनाने और उसकी मरम्मत से जुड़े प्रशिक्षण के लिए 4 घंटे का वक्त दिया। इन कैंपों में 15,400 वॉलंटियर और 308 परियोजना अधिकारी शामिल रहे। ❑

LIVE / ONLINE
Classes also available
VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
सामान्य अध्ययन
+ फाउंडेशन कोर्स 2019
• प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए
DELHI: 25th June
JAIPUR: 22nd June
Starting soon at LUCKNOW
• प्रारंभिक परीक्षा के लिए • मुख्य परीक्षा के लिए
+ इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• निबंध लेखन शैली की कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
+ MAINS 365 - One Year Current Affairs for Mains
English Medium | 24th July
हिन्दी माध्यम | 1st Aug
ALL INDIA TEST SERIES
Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program
PRELIMS
✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)
for PRELIMS 2019 starting from 1st July
MAINS
✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
✓ Sociology
✓ Geography
for MAINS 2019 starting from 8th July
550+ Selections in CSE 2016
8 in Top 10
38 Selections in Top 50 in CSE 2017
ANMOL SHER SINGH BEDI AIR-2
SACHIN GUPTA AIR-3
ATUL PRAKASH AIR-4
PRATHAM KAUSHIK AIR-5
SAUMYA PANDEY AIR-4
KOYA SREE HARSHA AIR-6
AYUSH SINHA AIR-7
ANUBHAV SINGH AIR-8
/visionias.upsc
/Vision_IAS
/c/VisionIASdelhi
www.visionias.in
JAIPUR 9001949244 9799974032
PUNE 8007500096 020-40040015
HYDERABAD 9000104133 9494374078
AHMEDABAD 9909447040 7575007040
LUCKNOW 8468022022 9650617807
DELHI
• 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
• 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6,1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• Contact : 8468022022, 9650617807, 9717162595

YH-872/2018

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
SINCE-1989
Our Result : Total 179 Selections in Civil Services Exam - 2017
Our Super Achievers CSE - 2017
Rank 2 IAS-2017
Anu Kumari
Rank 3 IAS-2017
Sachin Gupta
Rank 13 IAS-2017
Sagar Kumar Jha
Rank 20 IAS-2017
Badole Girish
Our Super Achievers CSE - 2016
Rank 2 IAS-2016
Anmol Sher Singh Bedi
Rank 7 IAS-2016
Anand Vardhan
Rank 8 IAS-2016
Shweta Chauhan
Rank 16 IAS-2016
Anuj Malik
Rank 19 IAS-2016
Sahil Gupta
Rank 38 IAS-2016
Shailendra Singh
Our Result in Civil Services Examination 2016-17 – Eight positions secured by our students among first 20 including Rank 2, 3, 7, 8, 13, 16, 19 & 20 (Total selections 179)
GENERAL STUDIES
ESSAY
HISTORY
GEOGRAPHY
PUB. ADM.
Hostel Facility available
For Registration
Visit us:
www.vajiraoinstitute.com
New Batches : 20 June, 10 July
Delhi : Enquiry Office : 51 Mall Road, Kingsway Camp, Near GTB Nagar Metro Station Gate No. 2 Call : 9999458938, 011-42474428
Corp. Office : 19/1A Shakti Nagar, Near Nagia Park, Delhi. Call : 080-38380036, 8171181080, 011-47051999

YH-861/2018

अक्षय ऊर्जा विस्तार के समग्र प्रयास

मनोज कुमार उपाध्याय
डॉ. अभिनव त्रिवेदी

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने भविष्य में साफ-सुथरी ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा के सबसे बड़े विस्तार अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। मार्च 2018 तक पिछले चार साल में (मई 2014 से मार्च 2018 के दौरान) 37.33 गीगावॉट के अक्षय ऊर्जा की अतिरिक्त क्षमता तैयार हुई और अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता का आंकड़ा कुल 69 गीगावॉट (20 प्रतिशत) रहा

भारत में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में अक्षय ऊर्जा अहम समाधान के तौर पर उभरकर सामने आई है। पिछले कुछ सालों में भारत के ऊर्जा परिदृश्य पर अक्षय ऊर्जा का असर महसूस किया गया है। भारत 2022 तक 175 गीगावॉट की अक्षय ऊर्जा क्षमता को हासिल करने की प्रक्रिया में है।

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने भविष्य में साफ-सुथरी ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत दुनियाभर में अक्षय ऊर्जा के सबसे बड़े विस्तार अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। मार्च 2018 तक पिछले चार साल में (मई 2014 से मार्च 2018 के दौरान) 37.33 गीगावॉट के अक्षय ऊर्जा की अतिरिक्त क्षमता तैयार हुई और अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता का आंकड़ा कुल 69 गीगावॉट (20 प्रतिशत) रहा। साल 2022 तक 175 गीगावॉट का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने की खातिर नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं, ऑनशोर पवन विद्युत परियोजनाओं, बायोमास पावर, सौर पार्क के विकास और अल्ट्रा-मेगा बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा नहर के किनारों पर ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत संयत्र और बायोगैस आधारित ग्रिड विद्युत उत्पादन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

तमाम योजनाओं में राष्ट्रीय सौर मिशन सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका मकसद बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत सौर ऊर्जा की उत्पादन लागत को कोयला/गैस के जरिए बिजली उत्पादन की लागत के बराबर करना है। बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए सौर (2.44 रुपए प्रति यूनिट) और पवन (2.64 प्रति यूनिट) ऊर्जा के लिए ऐतिहासिक तौर पर सस्ती बिजली दर का लक्ष्य हासिल किया गया और तमाम सहूलियतों के जरिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, पूंजी और ब्याज पर सब्सिडी, छूट पर वित्त पोषण, राजकोषीय प्रोत्साहन आदि के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत अक्षय ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराई जा रही है। नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्तीय मदद के अलावा कई खास कदम उठाए हैं, जिनमें बिजली अधिनियम और शुल्क नीति में संशोधन भी शामिल है। इन संशोधनों का मकसद अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) को सख्ती से लागू करना और हरित ऊर्जा कॉरीडोर परियोजना के जरिए अक्षय ऊर्जा का शून्यीकरण है। इसके अलावा, वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित करने और नेट मीटरिंग को जरूरी करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना में उपाय करने और द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय दाताओं से हरित पर्यावरण फंड के तौर पर धन जुटाने की भी बात है, ताकि लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

मनोज कुमार उपाध्याय नीति आयोग की ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और विदेशी गतिविधि इकाई में उप-सलाहकार हैं और उनके पास ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में गुणवत्ता वाली पॉलिसी शोध करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने तीन अध्ययन किया है और उनका हालिया अध्ययन भारत में अक्षय ऊर्जा की व्यापक पहुंच को लेकर रहा है। ईमेल: mk.upadhyay@nic.in
अभिनव त्रिवेदी नीति आयोग में युवा प्रोफेशनल हैं जो आरआई ग्रिड इंटीग्रेशन, मेथनॉल अर्थव्यस्था आदि पर काम कर रहे हैं। ईमेल: abhinav.trivedi@nic.in

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के बढ़ते कदम

सौर ऊर्जा

- 'सौर ऊर्जा पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास' योजना की क्षमता 20 मेगावॉट से बढ़ाकर 40 मेगावॉट कर दी गई है।
- बिल्डिंग संबंधी कानून में संशोधन कर नए निर्माण में छत पर सौर ऊर्जा के लिए जरूरी प्रावधान या ज्यादा फ्लोर एरिया रेशियो का प्रावधान किया गया है और सबसे ऊपरी छत पर सौर ऊर्जा को बैंक/एनएचबी द्वारा घर से जुड़े लोन का हिस्सा बनाया जा रहा है।
- छत पर सौर फोटोवोलटैक सिस्टम का प्रावधान और मिशन स्टेटमेंट व स्मार्ट सिटी के विकास से जुड़े दिशा-निर्देश के तहत 10 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा को जरूरी करना।
- सौर परियोजनाएं स्थापित करने के मकसद से इक्विटी के प्रबंधन की खातिर कर-मुक्त सौर बॉन्ड जारी करना।
- सौर ऊर्जा की खरीद के लिए टैरिफ (शुल्क) आधारित बोली लगाने की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया।
- छतों पर सौर पीवी स्थापित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता, सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में रिहायशी, संस्थागत और सामाजिक क्षेत्रों में बेंचमार्क लागत का 30 प्रतिशत तक और विशेष दर्जे वाले राज्यों में बेंचमार्क लागत का 70 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है।
- सक्षम प्रौद्योगिकी कार्यबल को तैयार करने के लिए सूर्य-मित्र अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत 11 हजार लोगों से भी ज्यादा को प्रशिक्षित किया गया है।

पवन ऊर्जा

- पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। पहले तीन स्थानों पर चीन, अमेरिका और जर्मनी का कब्जा है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) ने देश में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का फिर से आकलन किया है और 100 मीटर की हब ऊंचाई पर इसके 302 गीगावॉट होने का अनुमान पेश किया गया है।
- भारत में तटीय इलाका काफी लंबा है, जहां ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की अच्छी संभावना है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय ऑफशोर पवन ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने तमिलनाडु में पवन के बारे में अनुमान जताने के अनुभव के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
- पवन संसाधन के लिए 120 मीटर की ऊंचाई पर मेसो स्केल मैप तैयार किया गया और ज्यादातर पवन चक्की 100 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर लगाए जा रहे हैं।

बायो ऊर्जा

- बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता में बायोमास कम्बस्टन, बायोमास गैसीकरण और खोई सह-उत्पादन के मामले शामिल हैं।
- कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑफ-ग्रिड विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा।
- राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के तहत मुख्य तौर पर ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी घरों के लिए एक परिवार के आकार को ध्यान में रखते हुए बायोगैस संयंत्र

स्थापित किया जाता है।

- अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ नीति में संशोधन कर मार्च 2022 तक 8 प्रतिशत सौर ऊर्जा खरीदना जरूरी करने की बात है।
- नए कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल संयंत्रों के लिए अक्षय ऊर्जा नियम शुरू करना।
- किफायती अक्षय ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा को इकट्ठा करना।
- सौर और पवन ऊर्जा के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन चार्ज को हटाना।

इसके अलावा, संशोधित टैरिफ नीति के मद्देनजर ऊर्जा मंत्रालय ने अगले 3 साल- 2016-17, 2017-18 और 2018-19 की खातिर सौर और गैर-सौर ऊर्जा के लिए टिकाऊ बिजली की खरीद से जुड़ी लंबी अवधि के एजेंडे के बारे में अधिसूचना जारी की है, जो इस तरह है:-

लंबी अवधि का लक्ष्य	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-सौर	8.75 प्रतिशत	9.50 प्रतिशत	10.25 प्रतिशत
सौर	2.75 प्रतिशत	4.75 प्रतिशत	6.75 प्रतिशत
कुल	11.50 प्रतिशत	14.25 प्रतिशत	17.00 प्रतिशत

हरित ऊर्जा कॉरीडोर

अक्षय ऊर्जा के मामले में समृद्ध 8 राज्यों (तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश) द्वारा अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसका मकसद बड़े पैमाने पर तकरीबन 20,000 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा को निकालना है।

परियोजना की कुल लागत 10,141 करोड़ रुपए है, जिसमें तकरीबन 9,400 सीकेएम की ट्रांसमिशन लाइन और तकरीबन 19,000 एमवीए की कुल क्षमता के सब-स्टेशन शामिल हैं।

अन्य पहल

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का कानूनी वजूद दिसंबर 2017 में सामने आया, जिसका मुख्यालय भारत में है। अंतरराष्ट्रीय टिकाऊ ऊर्जा के मामले में फ्रांस के साथ मिलकर भारत अगुवा की भूमिका निभा रहा है। आईएसए 121 देशों की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये देश कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच मौजूद हैं।
- सौर आधारित पावर जेनरेटर, बायोमास आधारित पावर जेनरेटर, पवन ऊर्जा से जुड़े सिस्टम, जल-विद्युत संयंत्रों और सार्वजनिक उपयोग मसलन स्ट्रीट लाइट सिस्टम और दूर-दराज के गांव में विद्युतीकरण के मामले में अक्षय ऊर्जा की पहल के लिए उधारकर्ताओं को 15 करोड़ तक का बैंक कर्ज दिया जाएगा। निजी घर के लिए कर्ज की सीमा 10 लाख प्रति व्यक्ति होगी।
- बिजली अधिनियम, 203 के तहत अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और वितरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

हालिया अवधि में सौर टैरिफ में गिरावट के ट्रेंड के बारे में जानकारी

क्र.	अवधि	क्षमता	सबसे कम टैरिफ (रु./किलोवॉट)	स्कीम	राज्य
1	फरवरी-2017	750 मेगावॉट	3.30	राज्य स्कीम	मध्य प्रदेश (रीवा सौर पार्क)
2	मई-2017	250 मेगावॉट	2.62	वीजीएफ स्कीम	राजस्थान (भदला IV सौर पार्क)
3	मई-2017	500 मेगावॉट	2.44	वीजीएफ स्कीम	राजस्थान (भदला III सोलर पार्क)
4	अगस्त-17	500 मेगावॉट	2.65	राज्य स्कीम	गुजरात (गैर-सौर पार्क)

(**स्रोत:** नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय)

आभार : इस लेख को लिखने में आधारभूत तथ्य मुहैया कराने के लिए नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार का आभार प्रकट करती है। हम मंत्रालय और नीति आयोग के अपने सहकर्मियों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें जानकारी और नजरिया मुहैया कराया और जिससे शोध में काफी मदद मिली। ❑

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में ETHICS (G.S PAPER-IV) और वैकल्पिक विषय पढ़ाने वाले संस्थानों में सबसे बेहतर परिणाम

अमित कुमार सिंह के निर्देशन मे

हमारे टॉपर्स इस वर्ष (CSE-2017) 25+ चयन

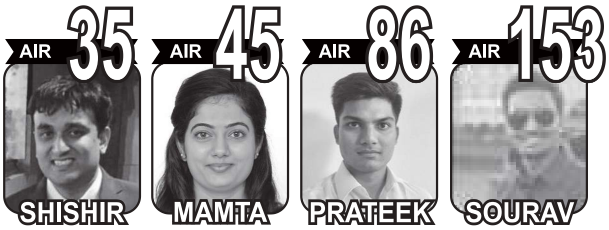

NEW BATCH START

PHILOSOPHY

Delhi Center 03:00 pm 18 July | Allahabad Center 06:30 pm 8 July

ETHICS (GS -IV)

Delhi Center 06:30 pm 18 July | Allahabad Center 10:30 am 9 July

Ethics & Philosophy Test Series Starts

क्या कहते हैं टॉपर्स हमारे शिक्षक के बारे में

Ethics and essay classes of Amit Sir has helped me in this preparation so i am very thankful to him for his valuable guidance.
Mamta
C.SE, 2017
AIR - 45

MAMTA
AIR & 45

I found Amit Sir's way of teaching very good for Ethics paper. He explains the theoretical concepts in a practical way and discussions in his interactive classes can help develop a good approach for this paper particularly for case studies.
Prateek Jain
CSE 2017
- AIR 86

PRATEEK JAIN
AIR & 86

PCS (G.S.) टारगेट बैच (इलाहाबाद केन्द्र)

बैच प्रारंभ Notifications के बाद

मुख्य मार्गदर्शन अमित कुमार सिंह के निर्देशन में प्रारम्भ

• नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरूचि	अमित कुमार सिंह
• भारतीय संविधान, राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध	डॉ. रजवन्त सिंह, रवि प्रकाश डॉ. आदर्श कुमार (ले.वि. T.M.H)
• भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	वी.के. त्रिवेदी, आदित्य पटेल (Selected UPSC 2016) मनोज कुमार मिश्रा
• इतिहास कला एवं संस्कृति	राजीव सिन्हा (J.N.U.) संदीप कुमार (Selected UPSC 2017) शान्तनु राय, सुखदेव (DU)
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	आदित्य पटेल (Selected UPSC 2016) एम.के. रेजा
• अर्थव्यवस्था	योगेश त्रिपाठी

G.S. माड्यूल (दिल्ली केन्द्र)

भूगोल, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी

द्वारा वी.के. त्रिवेदी एवं आदित्य पटेल

बैच प्रारंभ 8 am

भारतीय राजव्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा, गवर्नेंस

द्वारा डॉ. आदर्श कुमार (लेखक भारतीय राजव्यवस्था, T.M.H.) एवं रवि प्रकाश

बैच प्रारंभ 10.30 am

IGNITED MINDS

A Premier Institute for IAS/PCS

IM IGNITING HUMAN MINDS IGNITED MINDS

DELHI CENTER (HQ)
A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
011-27654704, 9643760414, 8744082373

KANPUR CENTER
COMING SOON
9793022444

ALLAHABAD CENTER
www.ignitedmindscs.com
H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra
9389376518, 9793022444, 0532-2642251

YH-840/2/2018

किसानों का कल्याण: संकल्प भरी प्राथमिकता

जगदीप सक्सेना

भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गंभीर है और इसके लिए वह उचित नीतियां, व्यावहारिक कार्यक्रम लागू करने तथा उन्हीं के अनुरूप बजट आवंटन करने में जुटी है। लेकिन उसी भूमि से अधिक कृषि आय प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं, कृषक संगठनों, संबंधित उद्योगों और किसान जैसे अन्य पक्षों को भी मिलजुल कर मिशन की भावना से काम करना होगा

लाखों मेहनतकश किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, फिर भी उनका कल्याण लंबे अरसे तक दरकिनार ही रहा। लेकिन केंद्र में नई और अधिक संवेदनशील सरकार ने इस सामाजिक-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मामले को 2014 में आगे कर दिया। उसके बाद से कृषि विकास के प्रति नया किसान कल्याण केंद्रित रुख ग्रामीण जनता को अधिक आय, रोजगार तथा संपन्नता के साथ सशक्त बना रहा है। साथ ही, प्रधानमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर यानि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का आह्वान किया है। उसे पूरा करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सात बिंदुओं की रणनीति बनाई है, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के विभिन्न महत्वपूर्ण तथा संभावित घटक शामिल किए गए हैं। इनपुट लागत के प्रभावी प्रयोग के साथ कृषि भूमि के प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाना (कटाई के बाद नुकसान को कम करना तथा मूल्यवर्द्धन (बड़े जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करते हुए कृषि विपणन में सुधार) और विभिन्न अनुषांगी गतिविधियों (बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा एकीकृत खेती) के प्रोत्साहन पर विशेष जोर देना इस रणनीति के प्रमुख बिंदु हैं।

विपणन के नुस्खे

इस बार के आम बजट (2018-19) में सभी 23 प्रमुख रबी एवं खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उनकी उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना रखने की घोषणा कर सरकार ने साहसिक और बहुप्रतीक्षित कदम उठाया। लेकिन इस घोषणा के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया खोजना जरूरी है, जिससे खुले बाजार में कृषि उत्पादों की कीमत एमएसपी से नीचे जाने पर भी एमएसपी पर ही खरीद सुनिश्चित हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए नीति आयोग को केंद्र

लेखक विज्ञान जगत से जुड़े संपादक हैं। कृषि से संबंधित विषयों पर उनकी विशेषज्ञता है। वे राष्ट्रीय कृषि शोध परिषद के हिंदी प्रकाशनों के मुख्य संपादक रह चुके हैं और फिलहाल भारतीय डेयरी एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका 'दुग्ध सरिता' के संपादक हैं। वे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन समेत विभिन्न मीडिया इकाइयों में भी लगातार योगदान करते रहते हैं और विज्ञान व कृषि संचार के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान भी देते हैं। उन्हें आम लोगों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ईमेल: jgosQaxena@gmail.com

बेहतर आय के लिए मूल्य संवर्धन और सही आपूर्ति श्रृंखला

- कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का शुभारंभ
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि सम्पदा योजना के तहत बजट आवंटन दोगुना किया गया
- ऑपरेशन ग्रीन्सः खराब होने वाली वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज और आलू (टी.ओ.पी) के मूल्यों में उतार- चढ़ाव की चुनौती का समाधान करने में किसानों एवं उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए अभियान
- ग्रामीण कृषि मंडियाः मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि मंडियों के रूप में विकसित और उन्नत बनाया गया ताकि 86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की देखरेख की जा सके। ई-नाम के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़ी ये ग्रामीण कृषि मंडियां किसानों को अपना माल सीधे उपभोक्ताओं और बड़े खरीदारों को बेचने की सुविधा प्रदान करेंगी

खेती को नई मजबूती देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना

- 2015-18 की अवधि में कार्बनिक खेती के अंतर्गत 10,000 क्लस्टरों के जरिए दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया

नील क्रांति से किसानों के लिए नए आयाम खुले

- 3,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से 'मत्स्य उद्योग का एकीकृत विकास और प्रबंधन'
- मछली उत्पादन 2012-14 की अवधि के 186.12 लाख टन से बढ़कर 2014-16 के दौरान 209.59 लाख टन पर पहुंचा

तथा राज्य सरकारों से मशविरा कर ऐसा तरीका विकसित करने का जिम्मा दिया गया है, जिससे प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों में भी किसानों के हितों की रक्षा हो सके। सरकार ने बहुत अधिक उपज होने पर अधिक उत्पाद को खरीदने का वायदा भी किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई 'भावांतर भुगतान योजना' बाजार में उतार-चढ़ाव की सूरत में आठ कृषि जिंसों के मूल्य संबंधी जोखिम से सुरक्षित करती है। जमीनी स्तर पर उत्साहजनक नतीजे मिलने के कारण इस योजना को अन्य देशों में भी लागू किया जा सकता है। सरकार कीमत तथा मांग का अनुमान लगाने, वायदा एवं विकल्प बाजार के इस्तेमाल, गोदाम में भंडारण की प्रणाली के विस्तार और निर्यात एवं आयात से जुड़े खास मसलों के बारे में समय से निर्णय लेने हेतु उचित नीतियां और तरीके तैयार करने में भी जुटी है।

देश में 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास बाजार में बेचने लायक अतिरिक्त फसल कम होती है और खेती-बाड़ी में उनका खर्च बहुत अधिक होता है। इसलिए सरकार ने लाइसेंस तथा कराधान संबंधी बाधाएं दूर करने एवं किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए 2015 में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) शुरू किया। अभी तक 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 585 कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीएमसी या मंडियां) लगभग 90 कृषि उत्पादों के ऑनलाइन व्यापार में मदद करने वाले इस मंच से जुड़ चुकी हैं। 99 लाख से अधिक किसान और एक लाख से अधिक कारोबारी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने वाली इस सुविधा का सक्रिय इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो किसान एपीएमसी तक नहीं पहुंच पाते, वे ई-नाम के फायदों से वंचित हैं। हाल ही में 22,000 ग्रामीण हाटों का उन्नयन कर ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम) बनाकर सरकार ने इस दिशा में सही कदम उठाया। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिए ई-नाम से जुड़े इन ग्रामों को एपीएमसी के नियम-कानूनों से मुक्त रखा जाएगा ताकि सुदूर इलाकों के किसानों को भी ई-नाम के लाभ मिल सकें। सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए के कृषि-बाजार अवसंरचना कोष को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक अन्य प्रमुख योजना है, जिसका मकसद विपणन संबंधी सहायता के साथ प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन की सुविधाएं प्रदान कर किसानों का कल्याण करना एवं उन्हें समृद्ध बनाना है। इस योजना से 2019-20 तक 20 लाख किसानों को लाभ मिलने और 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष/परोक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है तथा इससे लगभग 31,400 करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा। इसके तहत विभिन्न योजनाएं आती हैं और यह फूड पार्क स्थापित एवं संचालित कर रही है (एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्यवर्द्धन अवसंरचना को विस्तार दे रही है) खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं में विस्तार कर रही है। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के लिंकेज भी विकसित कर रही है। सरकार विभिन्न प्रकार के कर प्रोत्साहन देकर, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देकर और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को आसान कर्ज मुहैया कराने के लिए नाबार्ड में 2,000 करोड़ रुपए का विशेष कोष तैयार कर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। बड़ी संख्या में किसान टमाटर, प्याज तथा आलू उगाकर जीवनयापन करते हैं और ये उत्पाद पूरे देश में साल भर मुख्य सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जल्दी खराब होने के कारण और अलग-अलग मौसम एवं अलग-अलग क्षेत्रों में उत्पादन भी अलग-अलग होने के कारण अक्सर किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में सरकार ने हाल ही में 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर 'ऑपरेशन ग्रीन्स' आरंभ किया है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत इन फसलों के विपणन के लिए कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। इसके अलावा कृषि जिंसों के निर्यात को उदार बनाया जा रहा है ताकि किसानों का झुकाव निर्यात केंद्रित खेती की ओर हो सके।

हमारे 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास बाजार में बेचने लायक अतिरिक्त फसल कम होती है और खेती-बाड़ी में उनका खर्च बहुत अधिक होता है। इसलिए सरकार ने लाइसेंस तथा कराधान संबंधी बाधाएं दूर करने एवं किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए 2015 में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) शुरू किया।

किसानों को वित्तीय सहयोग

बैंकिंग में कई सुधार होने के बाद भी किसानों को अपनी कृषि संबंधी जरूरतों के लिए संस्थागत ऋण हासिल करने में आम तौर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की मात्रा लगातार बढ़ा रही है। 2014-15 में यह 8.5 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच

गया है। हाल ही में मछली पालने वाले और पशुपालन करने वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे दी गई ताकि कार्यशील पूंजी की अपनी जरूरतें पूरी करने में उनकी मदद हो सके। साथ ही, अल्पावधि फसल ऋण के लिए रियायती ब्याज दर प्रदान करने, गिरवी या रेहन के बगैर मिलने वाले कृषि ऋण में इजाफा करने और संयुक्त उत्तरदायित्व समूहों को बढ़ावा देने आदि से यह सुनिश्चित होता है कि योग्य किसानों को झंझट रहित कर्ज समय से मिल सके। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मिलने वाले बजट आवंटन में बहुत इजाफा कर दिया है ताकि सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को वित्तीय सहायता मिल सके।

फिलहाल किसानों का एक बड़ा हिस्सा भूस्वामी नहीं है, वे पट्टेदार किसान हैं, जो कृषि भूमि पट्टे पर लेते हैं, लेकिन जिन्हें फसल ऋण नहीं मिलता। इसलिए किराए पर खेत लेने वाले इन किसानों को बेहद ऊंची ब्याज दर और दूसरी शोषण भरी शर्तों पर पारंपरिक साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। ऐसी तकलीफें दूर करने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर नीति आयोग ने कृषि भूमि के पट्टे को औपचारिक बनाने के लिए एक आदर्श कानून तैयार किया। इस तरह पट्टे पर खेती करने वालों को कई तरह के फायदे देने वाला आदर्श कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 लागू हुआ। अब कृषि योग्य भूमि को भूस्वामी और पट्टा किसान के बीच कानूनी करार के जरिए खेती और अन्य अनुषंगी गतिविधियों के लिए पट्टे पर दिया जाता है। इसलिए पट्टा किसान वित्तीय संस्थाओं से कर्ज, फसल बीमा, आपदा राहत या केंद्र एवं राज्य सरकार से मिलने वाले अन्य सभी लाभों का हकदार बन जाता है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक अन्य प्रमुख योजना है, जिसका मकसद विपणन संबंधी सहायता के साथ प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन की सुविधाएं प्रदान कर किसानों का कल्याण करना एवं उन्हें समृद्ध बनाना है। इस योजना से 2019-20 तक 20 लाख किसानों को लाभ मिलने और 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष/परोक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है तथा इससे लगभग 31,400 करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा।

सरकार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिला स्वयंसहायता समूहों से जुड़े छोटी जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए चल रही गतिविधियों को प्रोत्साहित कर इन संगठनों को भी बढ़ावा दे रही है। सहकारी संस्थाओं की तर्ज पर बने और सालाना 100 करोड़ रुपए से कम कारोबार वाले एफपीओ को आयकर से मुक्त कर दिया गया है।

सुरक्षित आजीविका की ओर

विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, कीड़ों एवं बीमारी का हमला और मौसम में बदलाव किसानों की आय तथा आजीविका के लिए खतरा होते हैं। किसानों की आजीविका को ऐसे खतरों से बचाने के लिए 2016 में बेहद कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक फसलों को शामिल कर नई तथा बेहतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गई। प्रीमियम में किसानों का योगदान घटाकर रबी फसलों के लिए केवल 1.5 प्रतिशत, खरीफ फसलों के 2 प्रतिशत और वार्षिक बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत कर दिया गया है। बीमा सुविधा का विस्तार किया गया है और कटाई के बाद के जोखिमों और 14 दिन तक के नुकसान को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। स्थानीय किसानों के नुकसान के लिए आकलन में जलभराव को स्थानीय आपदा मान लिया गया है। दूरसंवेदी तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के इस्तेमाल ने दावों के भुगतान को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाते हुए तेज कर दिया है। किसानों के अनुकूल प्रावधानों के साथ 2018-19 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट आवंटन कर सरकार का इरादा फसल बीमा के दायरे को कई गुना बढ़ाना है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन से दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय में इजाफा

- वार्षिक औसत दुग्ध उत्पादन जो 2011-14 की अवधि में 146.33 मिलियन टन था, वह लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 2014-17 की अवधि में 163.7 मिलियन टन पर पहुंच गया
- दिसम्बर 2014 में 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरु किए गए राष्ट्रीय दुधारूपशु प्रजनन और डेरी विकास कार्यक्रम के तहत देसी दुधारूपशु प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के नए उपाय किए गए
- 20 गोकुल ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं और 41 बुल मदर फार्मों का आधुनिकीकरण किया गया है

आपदा में किसानों की मदद

- आपदा में किसानों को राहत जो पहले न्यूनतम 50 प्रतिशत और उससे अधिक नुकसान होने पर मिलती थी वह अब 33 प्रतिशत और उससे अधिक नुकसान पर मिलेगी
- अति वृष्टि से अनाज को क्षति पहुंचने की स्थिति में पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य अदा किया जाएगा
- मृतक किसानों के परिवारों को सहायता राशि 2.5 लाख से बढ़ा कर 4 लाख रुपये की गई
- एस.डी.आर.एफ संबंधी प्रावधान में 2010-2015 की 5 वर्ष की अवधि की तुलना में 2015-20 की अवधि में 82 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। यह 33,580.93 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 61,220 करोड़ रुपये किया गया

दूसरी ओर, सभी पारिस्थितिक क्षेत्रों के किसानों को जलवायु पविर्तन की चुनौतियों से जूझने तथा अपनी आजीविका को सुरक्षित एवं अच्छा बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 623 जिलों के लिए विकसित की गई जिला आकस्मिक योजनाएं किसानों को बड़े हितधारक के रूप में शामिल करते हुए देश भर में प्रसारित की जा रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का दूर-दराज तक फैला व्यापक नेटवर्क चुनिंदा जलवायु कुशल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण नियमित रूप से देता है। केवीके ने जलवायु के लिहाज से दक्ष 151 गांव स्थापित किए हैं, जो अब दूसरे गांवों एवं किसानों के लिए आदर्श बन गए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय सतत कृषि अभियान भी अपने नेटवर्क के जरिए

जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी एवं ज्ञान के प्रसार में जुटा है।

फसलों को बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के साथ समुचित तथा समन्वित रूप से जोड़ने वाले एकीकृत खेती के मॉडल अथवा प्रणालियां प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसानों की आजीविका सुरक्षित रख सकती हैं। इसके अलावा खेती का यह नया तरीका एक न एक कृषि घटक से आय सुरक्षित कर

भूमि की प्रति इकाई लाभदेयता बढ़ाता है एवं जोखिम कम करता है। वैज्ञानिकों ने पिछले चार वर्ष में एकीकृत खेती के ऐसे 31 मॉडल तैयार किए हैं और उन्हें मान्यता दी है, जो विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के छोटे एवं सीमांत किसानों के अनुरूप हैं। इन

मॉडलों को ग्राम स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। इनमें से अधिकतर मॉडलों में मुख्य घटक बागवानी है, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने की अकूत क्षमता के कारण उसे अलग से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नया एकीकृत बागवानी विकास मिशन बागवानी के मशीनीकरण, कोल्ड चेन एवं मूल्य श्रृंखलाओं के विकास, उचित प्रौद्योगिकियों के विकास एवं हस्तांतरण तथा बेहतर गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की उपलब्धता आदि में पूरी मदद कर रहा है। बागवानी फसलों के उत्पादन का नया क्लस्टर आधारित तरीका फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि उसमें उत्पादन से लेकर विपणन तक पूरी श्रृंखला एक ही स्थान पर होती है।

जैविक खेती - बेहद महत्वपूर्ण

स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति बढ़ती चिंता ने हमारी खानपान की आदतों में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है और अब जैविक उत्पादों की ओर हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा है। यह चलन भारत तथा विदेश में जोर पकड़ रहा है और इस कारण जैविक उत्पादों की कीमतें भी चढ़ती जा रही हैं। संयोग से, भारत की जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां जैविक खेती के अनुकूल हैं और किसानों को प्रोत्साहित करने तथा जरूरी बाजार सहायता प्रदान करने भर से इस संभावना का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने तथा जैविक उत्पादों के लिए बाजार नेटवर्क तैयार करने के लिए 'परंपरागत कृषि विकास योजना' आरंभ की है। क्लस्टर आधारित प्रणाली लागू की जा रही है, जिसमें 50 किसानों को जुटाकर 50 एकड़ जमीन के क्लस्टर पर ऐसी कृषि एवं बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, जिनकी बाजार में जैविक उत्पादों के रूप में बड़ी मांग है। प्रत्येक किसान को तीन साल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाती है। उसके अलावा जैविक क्लस्टरों को जैविक उत्पाद इकट्ठे कर बाजार तक ले जाने की व्यवस्था करने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस वर्ष के अंत तक 10,000 जैविक क्लस्टर तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार पिछले चार वर्ष में इस योजना के तहत 947 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित कर चुकी है। जैविक क्लस्टर विशेष रूप से आदिवासी, वर्षा जल सिंचित, पर्वतीय तथा सुदूर इलाकों में विकसित किए जा रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों के वंचित किसानों का कल्याण हो सके। जैविक तरीकों से खेती की लागत 20 प्रतिशत तक कम हो रही है, जिसके कारण शुद्ध लाभ में 20-25 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है।

सरकार ने अनुकूलतम परिस्थितियां प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक

मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए समर्पित मिशन आरंभ किया है। इस पर तीन वर्ष (2015-2018) में 400 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य था। 2016 में सिक्किम को भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किए जाने से पूर्वोत्तर के अन्य राज्य भी जैविक खेती को तेजी से बढ़ावा देने के लिए उद्यत हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र निर्यात की दृष्टि से जैविक उत्पाद तैयार करने का भारतीय केंद्र बनता जा रहा है।

अतिरिक्त आय

विभिन्न प्रौद्योगिकी रिपोर्टों पर काम करते हुए सरकार ऐसी अनुषांगी कृषि गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनसे किसानों को अतिरिक्त आय होने की पक्की संभावना है। अधिक वित्तीय आवंटन तथा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों ने शहद उत्पादन को नई गति दी है, जो पिछले चार वर्ष के दौरान नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। केवल 50 पेटी शहद तैयार करने वाली छोटी-सी शहद उत्पादन इकाई भी किसानों की नियमित आय में 2 से 2.5 लाख रुपए जोड़ सकती है। इसी तरह अकूत कारोबारी संभावनाओं के कारण अक्सर 'ग्रीन गोल्ड' कहलाने वाला बांस भी संघर्ष कर रहा था, क्योंकि गैर वन क्षेत्रों में भी उन्हें वृक्ष की श्रेणी में रखा गया था। सरकार ने इसका नए सिरे से वर्गीकरण किया और वन क्षेत्र से बाहर उगाए जाने पर उसे 'घास' की श्रेणी में रख दिया ताकि उसकी खेती, कटाई, ढुलाई और हस्तशिल्प के लिए कच्चे माल के तौर पर उसका उपयोग बिना रुकावट हो सके। हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन को नए स्वरूप में आरंभ किया गया और बांस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए 1,290 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई। मशरूम भी जबरदस्त कारोबारी संभावना वाली फसल है, क्योंकि देसी और विदेशी बाजार में उसकी बहुत अधिक मांग है और उसकी कीमत भी लाभकारी है। उसकी इस संभावना का इस्तेमाल किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से करने के लिए किसानों को बेहद कम संसाधनों में भीतर ही मशरूम उगाने के लिए किसानों को आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने के लिए घरों में ही मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन और तालाबों में मछली पालन को भी बढ़ावा दे रही है। 'मेरा गांव, मेरा गौरव' की अनूठी योजना के तहत चार-चार कृषि वैज्ञानिकों का समूह खेती एवं अनुषांगी गतिविधियों में नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन हेतु पांच गांवों को चुन रहा है और गोद ले रहा है। किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए ज्ञान, कौशल तथा जानकारी से सशक्त बनाया जा रहा है।

सरकार किसानों के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठा रही है, जिसके तहत उनको उनकी ऊसर जमीन पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए तैयार किया जाएगा। इससे दो उद्देश्य पूरे हो जाएंगे - उनके खेतों की सिंचाई के लिए सौर पंप लग जाएंगे और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने से उनकी अतिरिक्त कमाई भी होगी। राज्य सरकारों को भी ऐसी प्रणाली लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें वितरण कंपनियां अथवा लाइसेंसशुदा कंपनियां उचित लाभकारी मूल्य पर यह सौर बिजली खरीद लें।

24X7 किसान चैनल

- किसानों को समर्पित 24X7 किसान टीवी चैनल की शुरूआत की गयी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल

- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था
- 'हर खेत को पानी' का लक्ष्य हासिल करने के लिए 5 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- 5,000 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध लघु सिंचाई कोष की स्थापना
- 2014-18 की अवधि में 26.87 लाख हेक्टेयर भूमि लघु सिंचाई के अंतर्गत लाई गई
- केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए सोलर वॉटर पंप लगाने में मदद करेगी

कम दर वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को बड़ी राहत

- फसल बीमा में केंद्र सरकार द्वारा अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता
- 1,31,519 करोड़ रुपये की बीमा राशि के साथ 4.05 करोड़ किसान कवर किए गए और 379.06 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों का बीमा किया गया

ई-नाम के जरिए उपज का सही मूल्य दिलवाने में किसानों की सहायता

- ई-व्यापार मंचों से 585 नियमित मंडियों को एकीकृत करके किसानों को अपनी उपज का सर्वाधिक दाम हासिल करने में मदद की गई
- इस प्लेटफार्म पर 87.5 लाख से अधिक किसान और विक्रेता पंजीकृत हैं
- ई-नाम प्लेटफार्म पर 41,591 करोड़ रुपये मूल्य के 164.53 लाख टन कृषि जिंसों का व्यापार किया गया

भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गंभीर है और इसके लिए वह उचित नीतियां, व्यावहारिक कार्यक्रम लागू करने तथा उन्हीं के अनुरूप बजट आवंटन करने में जुटी है। लेकिन उसी भूमि से अधिक कृषि आय प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं, कृषक संगठनों, संबंधित उद्योगों और किसान जैसे अन्य पक्षों को भी मिलजुल कर मिशन की भावना से काम करना होगा। ❑

प्रभात प्रकाशन

₹95/-

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी त्रैमासिक

घटनाक्रम करेंट अफेयर्स

संपादक

डॉ. पी.के. अग्रवाल

(Retd. IAS)

पूर्व संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पृष्ठ संख्या 160

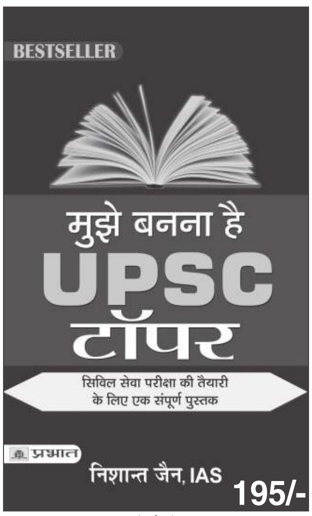

अंग्रेजी में भी उपलब्ध

IAS टॉपर से जानें UPSC परीक्षा में सफलता के टिप्स

यूपीएससी की वर्ष 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल करने वाले **निशान्त जैन**, हिंदी/भारतीय भाषाओं के माध्यम के टॉपर हैं। मुख्य परीक्षा में देश के तीसरे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निशान्त ने निबंध और वैकल्पिक विषय के प्रश्न-पत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। इतिहास, राजनीति विज्ञान व अंग्रेजी में ग्रेजुएशन और हिंदी साहित्य में पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद यूजीसी की नेट-जे.आर.एफ. परीक्षा उत्तीर्ण की।

UPSC प्रतियोगियों के लिए क्यों जरूरी है यह पुस्तक?

- परीक्षा की समग्र, संपूर्ण और व्यापक तैयारी के टिप्स
- तैयारी के अनछुए पहलुओं पर खुलकर चर्चा
- परीक्षा के लिए कैसे सँवारें अपना व्यक्तित्व
- सकारात्मकता और मोटिवेशन लेवल कैसे बनाए रखें
- लेखन कौशल को कैसे सुधारें
- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए विस्तृत मार्गदर्शन
- निबंध और एथिक्स में श्रेष्ठ अंक कैसे पाएँ
- क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें और कैसे पढ़ें
- नए पैटर्न में कैसी हो प्रासंगिक रणनीति
- साथ में सफलता की कुछ अनकही कहानियाँ भी…

सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की उलझनों को सुलझाने के लिए मददगार पुस्तक। —आनंद कुमार (सुपर 30)

परीक्षा की तैयारी में मदद करने के साथ ही सकारात्मकता से भरपूर एक मोटिवेशनल पुस्तक। —गौरव अग्रवाल, IAS

प्रभात प्रकाशन 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 ☎ 011-23289777

E-mail : prabhatbooks@gmail.com ✤ Website : www.prabhatbooks.com ✤ www.facebook.com/prabhatprakashan

हेल्पलाइन नं. 7827007777

YH-861/2018

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018

सीएमए वी मुरली

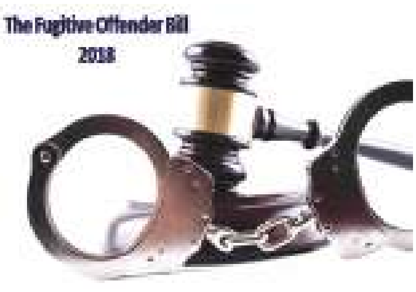

आशा है कि विधेयक केंद्र सरकार को उन धनाढ्य व्यक्तियों की संपत्तियां वसूलने में मदद करेगा, जो आर्थिक धोखाधड़ी करने के बाद मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाहियों से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं। उनकी बिक्री से होने वाली आय से राजकोष मजबूत होगा। यह भी माना जा रहा है कि यह विधेयक उन लोगों को रोकने का काम करेगा, जो आर्थिक अपराध करने तथा कानून से भागने की फिराक में हैं या ऐसा करने ही जा रहे हैं

इस समय दुनिया भर में आर्थिक स्थितियां उतार-चढ़ाव भरी हैं। ऐसे में हमारा देश अपने दरवाजे वैश्वीकरण के लिए खोल चुका है, जिस कारण ये झटके यहां भी महसूस किए जा रहे हैं। पहले हमारा देश दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को दहलाने वाले झटकों से एक सीमा तक बचा हुआ था। उदारीकरण के बाद हमें भी हलचल महसूस होती हैं। भारतीय कारोबार बढ़ गए हैं, उन्होंने अपने पंख पूरी दुनिया में फैला लिए हैं और उनमें से कई अपने विस्तार के लिए पूंजी जुटाने बैंकों के पास चले गए हैं। एक समय सतर्कता बरतने वाले बैंकों ने भी वृद्धि की उम्मीद में और भरोसे के कारण अपने ग्राहकों को कर्ज दे दिए हैं। बदकिस्मती से अब उन पर कई तरह से चोट पड़ रही है।

सरकार को लगा कि भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं धन शोधन निवारण अधिनियम होने के बाद भी आर्थिक अपराधियों पर निशाना साधने के लिए अलग से एक कानून की जरूरत है। इसीलिए सरकार ने बजट में ऐलान किया कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों को निशाना बनाने के लिए विशेष कानून लाया जाएगा, जो सरकार को संपत्तियां जब्त करने तथा उनकी बिक्री से मिली रकम ऋणदाताओं को देने का अधिकार प्रदान करेगा। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की धोखाधड़ी से पंजाब नेशनल बैंक को चोट पहुंचने के फौरन बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक धोखेबाजों का खेल खत्म करने और निवेशकों एवं बैंक ग्राहकों का भरोसा बैंकिंग प्रणाली में मजबूत करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी।

विधेयक का औचित्य और परिचय

कारोबारी सौदे बिगड़ने के कारण ग्राहक अपने कर्ज वक्त पर चुकाने में नाकाम हो गए और बैंकिंग क्षेत्र को चोट झेलनी पड़ी। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले ऐसे कई धोखेबाजों को जब खतरा नजर आने लगा तो वे देश छोड़कर भाग गए। सजा भुगतने के बजाय ऊंची हैसियत वाले और पैसा पानी की तरह बहाने वाले इन कारोबारियों को जब सख्त कार्रवाई की आहट सुनाई पड़ी तो सजा भुगतने के बजाय वे कानून, प्रवर्तन अधिकारियों और नियामकों के आने से पहले ही भारत छोड़कर भाग गए। उनके ऊपर बकाया राशि, कर्ज और बाकी खर्च की करोड़ों रुपए की रकम हो सकती है। देश के बैंकों, जांच एजेंसियों, अभियोजन एजेंसियों को इन निर्लज्ज लोगों ने झांसा दिया है और गलत तरीकों से कमाया गया धन विभिन्न विदेशी कंपनियों, संपत्तियों और बैंक खातों में इकट्ठा कर दिया है और वे हमारे देश के कानून से दूर विदेशों में शानोशौकत से जी रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालने वाली ऐसी समस्याओं से पूरी तरह निपटने के लिए हमारे कानून में पर्याप्त दीवानी और फौजदारी प्रावधान नहीं हैं।

प्रत्यर्पण का कानूनी तरीका बहुत थकाऊ और इतना लंबा है कि उसमें वर्षों लग जाते हैं। सरकार ने वर्तमान कानूनों की खामियों और झोलों को दूर करने एवं देश छोड़कर भागने वाले ऐसे आर्थिक अपराधियों तथा भगोड़ों से निपटने के लिए स्पष्ट तथा सख्त उपाय अपनाने का सोचा है, जो सही है। जब तक गलत तरीके से इकट्ठी की गई संपत्ति जब्त कर सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक ये भगोड़े आजाद घूमते रहेंगे। साथ ही यह कानून उन लोगों को भी रोकेगा, जो आर्थिक अपराध करने के बाद किसी दूसरे देश में भाग जाने की सोच रहे होंगे।

लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एसआईआरसी (सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल) के पूर्व चेयरमैन हैं। ईमेल: victorgrace321@gmail.com

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दोष साबित हुए बगैर ही संपत्तियां जब्त करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के तहत मिल जाता है। यह विधेयक विशेष रूप से उन आर्थिक अपराधियों से निपटेगा, जो भारत के कानून से बचकर भागे हैं और फौजदारी एवं दीवानी अदालतों में मुकदमे पूरे होने से पहले ही बच निकले हैं। भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 लोकसभा में 12 मार्च, 2018 को पेश किया गया। इस विधेयक का परिचय देते हुए स्पष्ट कहा गया है, 'भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भारतीय कानून की प्रक्रियाओं से बचने नहीं देने के उपाय तैयार करने, भारतीय कानून की शुचिता की रक्षा करने और उससे जुड़े तथा उसके लिए महत्वपूर्ण मामलों के लिए।'

विधेयक

इस विधेयक के दायरे में वे मामले आते हैं, जिनमें आर्थिक अपराधों का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक होता है। यह विधेयक फरार हो चुके भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मामले में कानून की सर्वोच्चता दोबारा स्थापित करेगा और उन्हें भारत लौटने अथवा उनके अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने पर विवश करेगा। विधेयक भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देगा। इससे बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं को फरार डिफॉल्टरों से वसूली करने में बहुत मदद मिलेगी।

अगर कोई कथित अपराधी खुद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने से पहले ही भारत लौट आता है और उस मामले में इस अधिनियम के तहत चल रही उचित अदालती कार्यवाही का हिस्सा बन जाता है तो उसे इस विधेयक के तहत राहत मिल सकती है और उसके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी जाएगी।

विधेयक पर अच्छी तरह से विचार किया गया है और जरूरी सुरक्षा प्रदान की गई है, जैसे वकील के जरिए सुनवाई की सुविधा प्रदान करना, उस व्यक्ति को जवाब दाखिल करने के लिए समय देना, भारत या विदेश में समन भेजना। साथ ही उच्च न्यायालय में अपील करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। कानून के प्रावधानों के अनुरूप संपत्ति का प्रबंधन करने और उसे निपटाने के लिए प्रशासक को नियुक्त करने का प्रावधान भी इसमें है। विधेयक धन शोधन निवारक अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता जैसे पहले के कानूनों के अनुरूप ही है।

भगोड़े आर्थिक अपराधी की परिभाषा

भगोड़े आर्थिक अपराधी का अर्थ है: 'ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारत की किसी भी अदालत ने अनुसूचित अपराध के सिलसिले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जो 1. फौजदारी मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ गया है अथवा 2. विदेश में है और फौजदारी मुकदमे से बचने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है।'

क्रियान्वयन

विधेयक पर अच्छी तरह से विचार किया गया है और जरूरी सुरक्षा प्रदान की गई है, जैसे वकील के जरिए सुनवाई की सुविधा प्रदान करना, उस व्यक्ति को जवाब दाखिल करने के लिए समय देना, भारत या विदेश में समन भेजना। साथ ही उच्च न्यायालय में अपील करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। कानून के प्रावधानों के अनुरूप संपत्ति का प्रबंधन करने और उसे निपटाने के लिए प्रशासक को नियुक्त करने का प्रावधान भी इसमें है।

निदेशक का अर्थ है धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 49(1) के अंतर्गत नियुक्त निदेशक। उप निदेशक का अर्थ है धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 49(1) के अंतर्गत नियुक्त उप निदेशक।

इस प्रकार नियुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्धारित विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दाखिल करना पड़ता है ताकि किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सके। आवेदन में होना चाहिए:

1. यह मानने का कारण कि व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है।
2. उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी
3. जिन संपत्तियों को अपराध से खड़ा किया माना जा रहा हो और जिनकी जब्ती का आदेश मांगा जा रहा हो, उनकी सूची।
4. जिन बेनामी अथवा विदेशी संपत्तियों की जब्ती की मांग की जा रही हो, उनकी सूची।
5. उन संपत्तियों में जिनका हित हो, उनकी सूची (अर्थात् उस संपत्ति में किसी हित का दावा कर रहे अथवा दावे का हक रखने वाले सभी व्यक्ति।)

सभी प्रकार के विवरण के साथ आवेदन मिलने के बाद विशेष अदालत (विधेयक की धारा 10 के तहत) उस व्यक्ति के नाम नोटिस जारी करेगी, जिसमें उसे नोटिस जारी होने के बाद अधिकतम छह सप्ताह में निर्धारित स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि उस स्थान तथा समय पर नहीं पहुंचने पर उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और इस कानून के तहत उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि व्यक्ति बताए गए समय और स्थान पर विशेष अदालत के समक्ष आ जाता है तो अदालत इस विधेयक के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ चल रही कार्यवाही समाप्त कर देगी।

संपत्ति की कुर्की/जब्ती

निदेशक/उप निदेशक विशेष अदालत से लिखित आदेश के जरिए अनुमति पाने के बाद आवेदन में बताई गई संपत्ति को जब्त कर सकते हैं।

अनंतिम कुर्की

निदेशक अथवा निदेशक द्वारा अधिकृत उपनिदेशक आवेदन दाखिल करने से पहले ही किसी भी समय धारा 4 के तहत किसी भी संपत्ति की अनंतिम अथवा अस्थायी कुर्की कर सकता है। यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि संपत्ति आपराधिक कृत्यों से तैयार की गई है अथवा संपत्ति किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी की है और उसके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है अथवा किया जा सकता है, जिसके बाद उसे जब्त ही नहीं किया जा सकेगा तो उसे अस्थायी कुर्की का अधिकार है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि निदेशक अथवा संपत्ति की अस्थायी कुर्की करने वाले अधिकारी को

कुर्की के 30 दिन के भीतर विशेष अदालत में आवेदन दाखिल करना पड़ेगा। यदि विशेष अदालत अवधि नहीं बढ़ाती है तो कुर्की 180 दिन तक जारी रहेगी।

विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस धारा में ऐसा कुछ नहीं है, जो कुर्क हुई अचल संपत्ति से संबंधित व्यक्ति को उसका लाभ उठाने से रोकता हो। कार्यवाही के अंत में यदि वह व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी साबित नहीं होता है तो उसकी संपत्तियां छोड़ दी जाएंगी।

निदेशक का अधिकार

निदेशक अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास दीवानी अदालत जैसे अधिकार होंगे। वह अपने पास मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मान सकता है (मानने का आधार अथवा कारण लिखित में होना चाहिए) कि अमुक व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी हो सकता है, वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अथवा जिस अधिकारी का वह अधिकार क्षेत्र हो, उसके द्वारा अधिकार प्राप्त करने के बाद उस क्षेत्र के किसी भी स्थान पर जा सकता है।

ऐसे किसी भी स्थान पर जाने के बाद वह उसके मालिक, कर्मचारी अथवा उस समय वहां मौजूद किसी अन्य व्यक्ति से रिकॉर्ड जांचने की सुविधा मुहैया कराने के लिए, अपराध से हुई आय अथवा उससे संबंधित किसी भी सौदे को जांचने एवं उसकी पुष्टि करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कह सकता है तथा उनसे कार्यवाही से संबंधित जरूरी जानकारी देने का अनुरोध भी कर सकता है।

विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। अपील फैसले के 30 दिन के भीतर ही करना बेहतर है। यदि तय तारीख तक अपील नहीं करने के याची द्वारा बताए गए कारण से उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो वह इस अवधि के बाद की गई अपील को भी स्वीकार कर सकता है। फैसले की तारीख के 90 दिन बाद उच्च न्यायालय किसी भी अपील या याचिका पर विचार नहीं करेगा।

इस धारा के तहत काम कर रहा निदेशक अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी जांचे गए रिकॉर्ड पर पहचान के लिए निशान लगा सकता है, उनकी नकल निकलवा सकता है, जांची या सत्यापित की गई संपत्तियों की सूची बना सकता है और संपत्ति पर मौजूद किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज कर सकता है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने की घोषणा

आवेदन की सुनवाई करने के बाद विशेष अदालत किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दे सकती है। वह भारत या विदेश में अपराध से कमाई गई उसकी संपत्तियां अथवा बेनामी संपत्तियां अथवा भारत या विदेश में अन्य कोई भी संपत्ति जब्त कर सकती है। जब्त होने के बाद संपत्ति के सभी अधिकार एवं स्वामित्व अबाध रूप से केंद्र सरकार के पास होंगे।

प्रशासक

अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कितने भी अधिकारियों (भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्रेणी से नीचे के नहीं) को प्रशासक का काम करने के लिए नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार नियुक्त प्रशासक आदेश के द्वारा मिली संपत्ति को ग्रहण करेगा एवं उसका प्रबंधन करेगा। केंद्र सरकार के अधीन संपत्तियों को निपटाने के लिए वह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कदम उठा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार अथवा प्रशासक आदेश की तिथि से 90 दिनों तक किसी भी संपत्ति की बिक्री, नीलामी या निपटारा नहीं करेंगे।

अपील

विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। अपील फैसले के 30 दिन के भीतर ही करना बेहतर है। यदि तय तारीख तक अपील नहीं करने के याची द्वारा बताए गए कारण से उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो वह इस अवधि के बाद की गई अपील को भी स्वीकार कर सकता है। फैसले की तारीख के 90 दिन बाद उच्च न्यायालय किसी भी अपील या याचिका पर विचार नहीं करेगा।

निष्कर्ष

आशा है कि विधेयक केंद्र सरकार को उन धनाढ्य व्यक्तियों की संपत्तियां वसूलने में मदद करेगा, जो आर्थिक धोखाधड़ी करने के बाद मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाहियों से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं। उनकी बिक्री से होने वाली आय से राजकोष मजबूत होगा। यह भी माना जा रहा है कि यह विधेयक उन लोगों को रोकने का काम करेगा, जो आर्थिक अपराध करने तथा कानून से भागने की फिराक में हैं या ऐसा करने ही जा रहे हैं। ❑

पूर्वोत्तर परिषद् का पुनर्गठन

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन में केंद्रीय गृहमंत्री को संस्था का पदेन अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इस संस्था में सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्वीकृति दे दी है।

परिषद् राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करती है।

परिषद् समय-समय पर परियोजना में शामिल परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी, इन परियोजनाओं आदि के लिए राज्यों के बीच समन्वय के लिए कारगर उपायों की सिफारिश करेगी।

एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा राज्यों के साथ समन्वय में सहायता देने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। ❑

IAS THE COUNCIL™ PCS

Since 2003

एक विश्वसनीय संस्थान

Our Identity is QUALITY, QUALITY & QUALITY

सामान्य अध्ययन

अनुज सिंह के निर्देशन में दिल्ली आधारित अनुभवी एवं सशक्त टीम

कुमार गौरव, शरद त्रिपाठी, धर्मेन्द्र, सौभिक सेन
अनिल केशरी, हामिद खान, बी.के. सिंह, संजय भारद्वाज,
मु. सलीम एवं अन्य

हमारी विशेषता- पाठ्यक्रम के संचालन एवं समापन में समयबद्धता

फाउंडेशन कोर्स

बैच प्रारम्भ (जुलाई द्वितीय सप्ताह)
प्रथम बैच-8 AM, द्वितीय बैच-5.30 PM

मुख्य परीक्षा विशेष

बैच प्रारम्भ (जुलाई द्वितीय सप्ताह)
प्रथम बैच-10.30 AM, द्वितीय बैच-5.30 PM

वैकल्पिक विषय

भूगोल द्वारा कुमार गौरव | **समाजशास्त्र** द्वारा Dharmendra Sociology, Delhi

Civil Lines Branch : Ganpati Tower, 56 Sardar Patel Marg, Allahabad
Mumfordganj Branch : Nigam Chauraha, Allahabad
Contact : 09415217610, 07068696890, 0532-2642349

YH-864/2018

आम आदमी को मिलेगा आसमान छूने का मौका

सिंधु भट्टाचार्य

भारत विश्व का सबसे तेजी से उभरता घरेलू उड्डयन बाजार है और विकास की गति को बरकरार रखने के लिए क्षेत्रीय संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। महानगरों में हवाई क्षमता को बढ़ाना जरूरी है लेकिन क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने से इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा जा सकता है। सिर्फ स्थापित कंपनियों को ही नहीं, उड़ान योजना के अंतर्गत वीजीएफ ने नए विमान सेवाओं जैसे एयर डेक्कन और एयर ओड़िशा को भी आकर्षित किया है

भारत में ऐसे सैकड़ों निष्क्रिय हवाई अड्डे हैं जिन्हें घोस्ट एयरपोर्ट्स कहा जाता है। इनमें हवाई उड़ानों की भरपूर क्षमता है लेकिन अनेक कारणों से इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारे देश में लगभग 400 हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां हैं लेकिन पिछले वर्ष तक केवल 75 का उपयोग किया जाता था। कुछ घोस्ट हवाई अड्डों का निर्माण दोनों विश्व युद्धों के दौरान किया गया और बाद में उनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कुछ में बुनियादी अवसंरचना मौजूद है लेकिन उन्हें परिचालित करने के लिए बहुत अधिक निवेश की जरूरत है। कुछ का निर्माण राजनैतिक कारणों से किया गया, जबकि वाणिज्यिक स्तर पर उन्हें बनाना फायदेमंद नहीं था। ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानें न तो भरी गईं, न ही उन पर उतारी गईं। अनेक पर उड़ानों को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया क्योंकि ऐसे मार्गों पर हवाई यात्राएं आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं थीं। यह कहना दिलचस्प है कि विश्व में सबसे तेजी से उभरते उड्डयन बाजार के रूप में भारत में अब भी हवाई यातायात बड़े शहरों में सिमटा हुआ है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, देश के दो तिहाई हवाई यात्री छह हवाई अड्डों – दिल्ली, मुंबई, बेंगलूर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद का उपयोग करते हैं जबकि इन हवाई अड्डों से लगभग 60 प्रतिशत विमानों की आवाजाही होती है। सोचा जा सकता है कि इन हवाई अड्डों पर कितनी भीड़भाड़ होती होगी।

यह हवाई यातायात की विषम स्थिति है। हवाई उड़ानों के बड़े शहरों में केंद्रित होने के कारण बड़े हवाई अड्डों का दम फूल रहा है और छोटे हवाई अड्डे फिजूल पड़े हैं। सरकार इसी स्थिति में सुधार करना चाहती है। इसका आदर्श वाक्य है – हवाई चप्पल पहनने वाले हर इनसान को सस्ती दरों पर हवाई जहाज में उड़ान भरने का मौका

सिंधु को 24 वर्षों की पत्रकारिता का अनुभव है। उन्होंने नागरिक उड्डयन, रेलवे, ऑटमोबाइल, दूरसंचार और रीटेल के क्षेत्र में रिपोर्टिंग और कमेंटरी की है। वे इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू बिजनेस लाइन, डीएनए और इंडिया टुडे के साथ काम कर चुकी हैं और भारतीय प्रेस ट्रस्ट, सीएनबीसी–टीवी 18, फर्स्टपोस्ट और एआईआर के साथ भी जुड़ी रही हैं। वर्तमान में वे कई अखबारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ सलाहकार के तौर पर संबद्ध हैं। ईमेल: sinjain@gmail.com

मिलना चाहिए। इसका मतलब है टियर टू और टियर थ्री शहरों में हवाई उड़ानों को शुरू करना और यह सुनिश्चित करना कि हवाई किराया सस्ता रहे। इससे हवाई अड्डों की अवसंचरना का उपयोग भी होगा और भारत के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले व्यवसायियों और लोगों को हवाई संपर्क प्रदान किया जा सकेगा।

पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई उड़ान योजना के अंतर्गत उड्डयन मानचित्र पर छोटे शहर, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्य धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। 'उड़ान' (यूडीएएन) उड़े देश का आम नागरिक का संक्षिप्त स्वरूप है। पिछले वर्ष 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने एलायंस एयर की दिल्ली से शिमला की पहली उड़ान को शुरू करके इस योजना का शुभारंभ किया था। इसी दिन उन्होंने नांदेड-हैदराबाद और कडप्पा-हैदराबाद की उड़ानों को भी हरी झंडी दिखाई थी। उड़ान योजना में इच्छुक एयरलाइनों द्वारा दो चरण में बोलियां लगाई गईं - पहले चरण में 31 घोस्ट हवाई अड्डों और दूसरे चरण में 29 हवाई अड्डों को सक्रिय बनाने का लक्ष्य था।

शुरुआत में शिमला की उड़ान को हफ्ते में पांच दिन संचालित किया गया। इसमें दिल्ली से शिमला जाने वाली उड़ान में 35 सीटें उपलब्ध थीं लेकिन शिमला हवाई अड्डे की सीमाओं के कारण वापसी में केवल 15 सीटें उपलब्ध थीं। इस सफर का किराया सस्ता था, साथ ही इसके कारण शिमला हवाई अड्डे पर कामकाज भी शुरू हो पाया। 2012 से यह हवाई अड्डा निष्क्रिय पड़ा है, जब एयरलाइनों ने यह कहते हुए यहां से हवाई उड़ानें बंद कर दी थीं कि उनकी लागत भी नहीं निकल रही। ऐसे में एयर इंडिया ने शिमला से हवाई परिचालन क्यों शुरू किया, जबकि वह हवाई यातायात के विषम अर्थशास्त्र से वाकिफ है। चूंकि नई उड़ान योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर सब्सिडी प्रदान करती हैं।

इस उड़ान का अर्थशास्त्र बहुत दिलचस्प है। शिमला की उड़ान पर सब्सिडी राशि 3,300 प्रति सीट से कुछ ज्यादा थी। उड़ान फ्लाइट्स के लिए काम करने वाले वीजीएफ फॉर्मूले के तहत हर उड़ान फ्लाइट की 50 प्रतिशत सीटों के लिए सब्सिडी दी जाती है, तीन सालों के लिए उस खास मार्ग पर एयरलाइन का एकाधिकार होता है और उसे लैंडिंग एयरपोर्ट्स पर दूसरी रियायतें मिलती हैं (सस्ता ईंधन, हवाई अड्डे पर कोई शुल्क नहीं)। बदले में एयरलाइन ऑपरेटर को एक घंटे या 500 किलोमीटर के सफर के लिए एक उड़ान सीट का किराया 2500 रुपए तय करना होता है।

यह हवाई यातायात की विषम स्थिति है। हवाई उड़ानों के बड़े शहरों में केंद्रित होने के कारण बड़े हवाई अड्डों का दम फूल रहा है और छोटे हवाई अड्डे फिजूल पड़े हैं। सरकार इसी स्थिति में सुधार करना चाहती है। इसका आदर्श वाक्य है - हवाई चप्पल पहनने वाले हर इनसान को सस्ती दरों पर हवाई जहाज में उड़ान भरने का मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब है टियर टू और टियर थ्री शहरों में हवाई उड़ानों को शुरू करना और यह सुनिश्चित करना कि हवाई किराया सस्ता बना रहे।

वीजीएफ का वित्त पोषण कैसे किया जाता है? व्यस्त महानगरीय हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले विमानों को प्रति रवानगी 5000 रुपए सरकार को चुकाने होते हैं ताकि उड़ान योजना का वित्त पोषण किया जा सके। यह उगाही केवल लाभप्रद मार्गों पर लागू होती है, जैसा सरकारी अधिकारियों का कहना है। उड़ान के पहले वर्ष में इस उगाही से 300 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों को भी मदद करनी होती है। इस मद के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों ने 60 करोड़ रुपए की मदद दी है। इस प्रकार उड़ान के शुरुआती 12 महीनों में वीजीएफ भुगतान के लिए 560 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं।

उड़ान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष से अब तक शिमला-दिल्ली मार्ग पर 12,000 यात्रियों ने सफर किया है जिसका औसत लोड फैक्टर 90 प्रतिशत है (लोड फैक्टर का अर्थ है, कुल उपलब्ध सीटों की तुलना में भरी जाने वाली सीटें)। इस उड़ान की उड़ान सीटों का औसत किराया 1970 रुपए प्रति व्यक्ति है, जबकि गैर उड़ान सीटों का किराया औसत 4000 रुपए है।

उड़ान का एक महत्वपूर्ण बिंदु और है। पूर्वी सिक्किम का पेकयोंग जल्द ही देश के उड्डयन मानचित्र पर अपनी जगह बनाएगा। स्पाइस जेट का बॉम्बार्डियर क्यू400

विमान दिल्ली से पेकयोंग की उड़ान भरेगा। पेकयोंग सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 35 किलोमीटर दूर है और स्पाइस जेट की योजना यह है कि इसे दिल्ली के साथ-साथ गुवाहाटी और कोलकाता से भी जोड़े। यूं उड़ान योजना से जिन दूसरे घोस्ट हवाई अड्डों के सक्रिय होने की उम्मीद है, उनमें पंजाब के आदमपुर, भटिंडा और पठानकोट, राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर, गुजरात के भावनगर, जामनगर और मुंद्रा इत्यादि शामिल हैं। वैसे इस योजना से सिर्फ घोस्ट हवाई अड्डों को फायदा नहीं पहुंचा है। जिन हवाई अड्डों पर विमान परिचालन कम था, उन्हें भी उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है।

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार केंद्र ने उड़ान योजना के अंतर्गत घोस्ट या कम उड़ानें संचालित करने वाले हवाई अड्डों के लिए 4500 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। सालों से जिन हवाई अड्डों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, उन्हें परिचालित किया जाना चाहिए और फिर उड़ानें शुरू करने से पहले उन्हें डीजीसीए से लाइसेंस दिए जाना चाहिए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का जगदलपुर हवाई अड्डा अब तैयार हो चुका है और उसे लाइसेंस भी मिल चुका है। अंबिकापुर का हवाई अड्डा लाइसेंस मिलने का इंतजार कर रहा है, जबकि बिलासपुर में हवाई अड्डे के परिचालन करने का काम जारी है। ओड़िशा में उत्केला और जेपोर से उड़ाने शुरू होने वाली हैं, जबकि झारसुगुडा से हवाई सेवा शुरू हो चुकी है।

भारत विश्व का सबसे तेजी से उभरता घरेलू उड्डयन बाजार है और विकास की इस गति को बरकरार रखने के लिए क्षेत्रीय संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। महानगरों में हवाई क्षमता को बढ़ाना जरूरी है लेकिन क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने से इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा जा सकता है। सिर्फ स्थापित कंपनियों को ही नहीं, उड़ान योजना के अंतर्गत वीजीएफ ने नए विमान सेवाओं जैसे एयर डेक्कन और एयर ओड़िशा को भी आकर्षित किया है। इन विमान सेवाओं ने पहले चरण में अधिकतर आईसीएस (क्षेत्रीय संपर्क योजना) मार्ग हासिल कर लिए। अब बड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज़, सभी उड़ान

100 मिलियन
2017 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या

18-20%
पिछले तीन सालों में हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि

2,500 रूपये प्रति घंटे
उडान योजना के तहत किराया

नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उछाल

- भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा है। पिछले तीन वर्षों में यात्रियों की संख्या में 18-20 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई
- भारत में पहली बार हवाई यात्रा करने वालों की संख्या वातानुकूलित ट्रेन यात्रा करने वालों से ज्यादा हुई। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 100 मिलियन के पार पहुंची
- आजादी के बाद केवल 75 हवाई अड्डे शुरू हुए जबकि उडान के तहत दिसम्बर 2016 से अब तक 25 हवाई अड्डे जोडे गए
- आधुनितम बुनियादी ढांचा बनाकर हम नए भारत की नींव रख रहे हैं
- इस क्षेत्र की कायापलट के लिए राष्ट्रीय विमानन नीति-2016 की शुरूआत

उड़ान योजना के जरिए अब सभी हवाई यात्रा कर सकते हैं

- अपर्याप्त हवाई सेवाओं वाले क्षेत्रों में हवाई अड्डों के लिए उड़ान योजना 2,500 रुपये प्रति घंटे किराये पर रीजनल एयर कनेक्टिविटी प्रदान करती है

योजना का हिस्सा बन रहे हैं।

लेकिन एक सच यह भी है कि जैसा शुरुआत में सोचा गया था, उड़ान जैसी महत्वाकांक्षी योजना में भी कुछ नाउम्मीदी हाथ लगी है। देश में सभी निष्क्रिय और कम सेवाएं प्रदान करने वाले हवाई अड्डों को सक्रिय नहीं किया जा सका है। एयरलाइनों (नई और स्थापित) ने जिन मार्गों के लिए बोलियां लगाई थीं, उन्हें शुरू नहीं किया गया है और उड़ान योजना के अंतर्गत अभी तक कोई हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं है।

उड़ान के अंतर्गत काम करने वाली कुछ एयरलाइनों को पूर्व अनुभव नहीं है, साथ ही उनके पास पर्याप्त धन का अभाव है। उन्हें सुदूर स्थानों से संपर्क स्थापित करने के दौरान आर्थिक और रसद संबंधी समस्याओं को सामना भी करना पड़ रहा है। पहले चरण की बोली में पांच ऑपरेटरों को 128 मार्ग आबंटित किए गए थे जो 2017 के सितंबर माह के अंत तक शुरू होने थे। एक साल बाद भी इनमें से आधे से भी कम परिचालित किए जा रहे हैं। स्थापित हवाई कंपनियों जैसे एलायंस एयर, स्पाइस जेट और ट्रूजेट ने अधिकतर मार्गों पर सेवाएं प्रदान करनी शुरू कर दी हैं लेकिन छोटी कंपनियों जैसे एयर ओड़िशा और एयर डेक्कन जिन्हें पहले चरण में तीन चौथाई मार्ग दिए गए थे, कुल मार्गों में से 15 प्रतिशत से भी कम पर सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। एयर ओड़िशा ने 50 से आठ पर उड़ान शुरू की है जबकि एयर डेक्कन ने 34 में से 10 पर। जेट द्वारा इस महीने के अंत तक उड़ान परिचालन शुरू करने की उम्मीद है जबकि इंडिगो और स्पाइस जेट जुलाई में परिचालन शुरू करेंगे।

इसके अलावा उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवाओं की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। अप्रैल के लिए डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार, एयर ओडिशा की एक चौथाई और एयर डेक्कन की एक तिहाई सीटें ही भर पाईं, सभी घरेलू हवाई सेवाओं की तुलना में इन सेवाओं के टिकटों को रद्द कराने की दर सबसे अधिक है और जाहिर सी बात है, यात्रियों ने इन सेवाओं के संबंध में सबसे अधिक शिकायतें की हैं। इन नई एयरलाइनों को अब भी अवसंरचना संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इसलिए संभव है कि उन्हें पर्याप्त यात्रियों के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़े।

दूसरी समस्या यह है कि उड़ान के अंतर्गत अभी हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू नहीं की गई हैं। पहले चरण के दौरान अपर्याप्त वीजीएफ (संभावित बोली लगाने वालों ने यह प्रतिक्रिया दी है) के कारण इसके लिए कोई बोली नहीं लगाई गई। जहां तक दूसरे चरण का सवाल है, अनुसूचित हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए अभी भी नियम बनाए जा रहे हैं। चूंकि अब तक देश मे कहीं भी अनुसूचित हेलीकॉप्टर सेवाएं नहीं हैं, इसलिए शुरुआत से ही नियम बनाने होंगे।

एक बात और है। जिन ऑपरेटरों ने अपनी इच्छा से उड़ान मार्ग हासिल किए हैं, उनके लिए वीजीएफ की तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद काम करना मुश्किल हो सकता है। चूंकि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। उड़ान की उड़ानों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने तीन वर्ष के विशेषाधिकार वाले नियम में छूट देना शुरू कर दिया है, अगर उस मार्ग पर काम वाले ऑपरेटर कोई आपत्ति नहीं करते। लेकिन लंबी अवधि में आर्थिक व्यवहार्यता को लेकर चिंता अभी बनी हुई है। ❑

राजनीति विज्ञान
वैकल्पिक विषय
by
डॉ. मंजेश कुमार
DELHI UNIVERSITY
भारतीय विदेश नीति से बैच प्रारंभ
IAS 2018 Mains Test Series for Political Science/राजनीति विज्ञान Start from 10 June Total 15 Tests
निःशुल्क कार्यशाला 21 JUNE 3:00 PM
IAS PCS
Delivering Unmatched Quality...
M.KUMAR'S ACADEMY
(An Institute for IAS)
Office:- 102, Top Floor, Mukherjee Tower Near Batra Cinema Police Booth, Mukherjee Nagar Delhi-110009
9958341713, 8800708540
YH-828/2/2018

LUKMAAN IAS

ONLINE/OFFLINE

Lead with Edge

सिविल सेवा परीक्षा 2018/19 के लिए सत्र

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन (प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा) 2019

25 जुलाई से बैच प्रारम्भ
समय : 10 से 12:30 बजे तक
अवधि : 10 महीने।

- उत्तर लेखन पर आधारित कक्षाएं।
- प्रत्येक 15 दिन में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर आधारित टेस्ट जिसमें 20 प्रारंभिक व 5 मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न होंगे
- पेपर के अनुसार प्रिंटिंग नोट्स।

वैकल्पिक विषयों की कक्षाएं

इतिहास / भूगोल
2 जुलाई / 4.5 माह / 01 - 2:30PM

उर्दू साहित्य
9 जुलाई / 4.5 माह / 01 - 2:30PM

समाजशास्त्र
9 जुलाई / 4.5 माह / 3:00 - 5:30PM

केस स्टडी (सामान्य अध्ययन पेपर – 4)
16 जुलाई / 7 कक्षाएं / 4 - 6:30PM

मुख्य परीक्षा 2018 के लिए टेस्ट सीरीज

बैच प्रारंभ
06, 07 और 08 जुलाई से

सामान्य अध्ययन • निबंध • नीतिशास्त्र टेस्ट सीरीज

अधिक जानकारी के लिए
www.lukmaanias.com

वैकल्पिक विषय

• लोक प्रशासन • समाजशास्त्र • भूगोल • उर्दू साहित्य (14 जुलाई से नया बैच प्रारंभ)

OLD RAJINDER NAGAR CENTRE
15, GROUND FLOOR (OPP. MOTHER DAIRY)
011-45696019, 8506099919
& 9654034293

MUKHERJEE NAGAR CENTRE
871, FIRST FLOOR, (OPP. BATRA CINEMA),
DELHI - 110009
011-41415591 & 7836816247

enquiries@lukmaanias.com lukmanias@gmail.com www.lukmaanias.com

YH-877/2018

युवा ऊर्जा से बदलता देश

स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार और इनोवेशन पर जोर।

7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी और कई नए विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में नए अवसर।

स्किल इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण।

पब्लिक, प्राइवेट और पर्सनल सेक्टर में विभिन्न तरीकों से युवाओं को आगे बढ़ने के मजबूत अवसर।

तेज हुई तरक्की की रफ़्तार

पिछले 4 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक गरीबों को मिले घर।

पिछले 4 वर्षों में 1.69 लाख किमी से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण

2017–18 में 134 किमी प्रतिदिन सड़क का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति पिछली सरकार के 12 किमी प्रतिदिन की तुलना में बढ़कर 27 किमी प्रतिदिन हुई।

2017–18 रहा रेल सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा साल। पिछले 4 वर्षों में 5,469 मानवरहित रेलवे क्रासिंग को

किसान की संपन्नता हमारी प्राथमिकता

किसान की आय दोगुनी करने के लिए बहुआयामी प्रयास

किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य

12.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिले सॉयल हेल्थ कार्ड

ई–नाम के द्वारा किसानों को मिल रहा फसल का बेहतर दाम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फसल का कम दाम में बेहतर सुरक्षा कवच

तेज़ गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली विशाल अर्थव्यवस्था।

FDI में भारी वृद्धि, 36.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन डॉलर

अच्छा स्वास्थ्य अब सबका अधिकार

आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ बीमा पहल, करीब 50 करोड़ लोगों को इससे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा।

मिशन इंद्रधनुष में 3.15 करोड़ बच्चों को टीके और 80.63 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण।

प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों में 3,000 से अधिक स्टोरों पर जरूरी दवाएं लगभग 50 प्रतिशत कम दामों पर उपलब्ध।

स्टेंट और घुटनों के प्रत्यारोपण की कीमतों में 50 से 70 प्रतिशत की कमी।

विकास की नई गति, नए आयाम

नारी शक्ति देश की तरक्की

माँ और शिशु के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए विभिन्न योजनाएं।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ बालिकाओं के खाते खोले गए।

3.8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के द्वारा धुआं मुक्त जीवन मिला, एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया।

12 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के साथ दुष्कर्म पर मृत्यु दंड का प्रावधान और 16 से 20 वर्ष की बेटियों के साथ दुष्कर्म पर 10–20 साल की सजा का प्रावधान।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 7.25 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। 3.6 लाख से अधिक गाँव और 17 राज्यों को खुले में शौच से मुक्त किया गया।

दुनिया देख रही है एक न्यू इंडिया

सेक्टर में विभिन्न तरीकों से युवाओं को आगे बढ़ने के मजबूत अवसर।

खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की सहायता।

बदलता जीवन संवरता कल

जन-धन योजना के जरिए बैंकिंग सुविधा से वंचित गरीबों की बैंकिंग जरूरतें और 'जन सुरक्षा' के माध्यम से गरीब को बीमा मिला।

उज्ज्वला योजना से 3.8 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन में 7.25 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया।

1 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर।

देश के किसी भी गाँव में अब अँधेरा नहीं है, सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड़ घरों में बिजली पहुँचाई जा रही है।

दृष्टि से सबसे अच्छा साल।

पिछले 4 वर्षों में 5,469 मानवरहित रेलवे क्रासिंग को समाप्त किया गया।

भारत में पहली बार एसी ट्रेनों की तुलना में हवाई जहाज से सफर करने वालों की संख्या बढ़ी।

पिछड़े वर्गों की अपनी सरकार

अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए 95,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट।

शिक्षा के माध्यम से समाज का सशक्तिकरण पिछड़ी जाती के छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं द्वारा प्रोत्साहन।

एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत बनाया गया।

मुद्रा के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक लोन पिछड़े वर्गों को।

बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ के विकास से युवा पीढ़ी को उनसे जोड़ने का प्रयास।

बढ़ने वाली विशाल अर्थव्यवस्था।

FDI में भारी वृद्धि, 36.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन डॉलर

विश्व भर की रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत को लगातार अच्छी रेटिंग

जीएसटी से कारोबार हो रहा आसान।

बैंकिंग सुधारों से अर्थव्यवस्था को मिल रहा बल।

भ्रष्टाचार पर लगाम पारदर्शी हर काम

नोटबंदी से अब तक सबसे ज्यादा काले धन का पर्दाफाश।

मॉरिशस, सायप्रस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर से काले धन की रोकथाम के लिए संधियां।

आर्थिक भगोड़ों की सम्पतियाँ जब्त की जा रही हैं और भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पेश किया गया।

बेनामी संपत्ती एक्ट से काले धन के कारोबार पर लगाम।

PMLA एक्ट में बदलाव द्वारा विदेशों में जमा काले धन के बराबर संपत्ती जब्त करना हुआ मुमकिन।

गति, नए आयाम

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 1 करोड़ मकानों का निर्माण।

100 शहरी केन्द्रों का स्मार्ट सिटी के रूप में चयन और विभिन्न योजनाओं पर 2,01,979 करोड़ रुपये खर्च।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश में सड़कों के बहुत बड़े जाल का लक्ष्य, 5,35,000 करोड़ रुपये का नया कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने का लक्ष्य।

चारधाम महामार्ग, 12,000 करोड़ की लागत से लगभग 900 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास।

दुनिया देख रहा है एक न्यू इंडिया

इतिहास में पहली बार भारत ने दिलेरी दिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया।

भारत बना विकास का वैश्विक केंद्र।

पूरे विश्व ने योग को उत्साह से जीवन में अपनाया।

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भारत की मुख्य भूमिका।

इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

davp22112\13\0001\1819

साफ नीयत सही विकास

देश का बढ़ता जाता विश्वास...

अधिक जानकारी के लिए 48months.mygov.in पर जाएँ

भारतीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी पिछले 4 वर्षों के दौरान नेतृत्व की ओर बढ़ा

सरकार पिछले चार वर्षों के दौरान प्रारंभ से अंत तक समग्र वैज्ञानिक पारिस्थितिक तंत्र बनाने का काम कर रही है। इसमें प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार और स्टार्टअप के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को सक्षम बनाने के लिए अनुवाद अनुसंधान के लिए प्रभावशाली बुनियादी शोध की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि शामिल है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पिछले 4 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी दी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा कि हमारा विज्ञान अब पानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु, कृषि, खाद्यान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चुनौतियों को हल करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ भारत साइबर भौतिक प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, गहरे समुद्र, बायोफर्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में भविष्य में महत्वाकांक्षी मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहा है, जो हमें तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना देगा।

सरकार ने हमारे विज्ञान को हमारी राष्ट्रीय जरूरतों, अवसरों और प्राथमिकताओं से भी जोड़ा है, जो मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत जैसे राष्ट्रीय मिशनों में दिखते हैं। सरकार उद्योग, शिक्षा के साथ नया और मजबूत संपर्क बनाने पर बल दे रही है।

विश्व में सर्वश्रेष्ठ के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी सहयोग हमारे वैज्ञानिक समुदाय और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को काफी लाभ प्रदान करेगा। पिछले चार वर्षों के दौरान कुछ उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हैं: भारत देश में डिटेक्टर स्टेशन की स्थापना के लिए समझौते के साथ गुरुत्वाकर्षण लहर पहचान के लिए एलआईजीओ परियोजना में भागीदारी और भारत का सीईआरएन का सहयोगी सदस्य राज्य बनना; भारत-इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार निधि आदि।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में निवेश पिछले पांच वर्षों यानी 2009-10 से 2013-14 की तुलना में पिछले चार वर्षों के दौरान 2014-15 से 2018-19 तक बढ़ा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का बजट आवंटन 19,764 करोड़ रुपए रहा जो 90 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह जैवप्रौद्योगिकी विभाग के लिए आवंटन में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले चार वर्षों के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां - प्रौद्योगिकियों का विकास एवं उद्योग को 800 से अधिक प्रौद्योगिकियों का अंतरण रहा है। अन्त: मंत्रालयी प्रयोगशालाओं एवं अन्त: मंत्रालयी संस्थानों के बीच एक नया संयोजन स्थापित किया गया है।

दृष्टिकोण को समेकित कर कई मूलभूत विज्ञान एवं अनुप्रयोग विज्ञान का एक समिश्रण बना दिया गया है। साइबर-भौतिक प्रणालियों के लिए मिशन पर इस वर्ष की बजट घोषणा अनुप्रयोग विज्ञान का एक ऐसा ही उदाहरण है। सुपरकम्प्युटिंग, एरोमा, सिकल सेल एनीमिया एवं बायोफॉर्मा पर मिशन आधारित परियोजनाएं अनुप्रयोग एवं समाधान विज्ञान पहलों के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण है।

फसल उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्ति का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वर्तमान में 24 मिलियन किसानों को कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी परामर्श उपलब्ध कराता है, जो जुलाई, 2018 तक बढ़कर 40 मिलियन तक पहुंच जाएगा। समय पर मौसम संबंधी सूचना ने कृषि कार्यकलापों में सहायता की है, जिसका परिणाम राष्ट्रीय जीडीपी पर 50,000 करोड़ रुपए के एक सकारात्मक आर्थिक प्रभाव के रूप में सामने आया है। पिछले चार वर्षों के दौरान मौसम एवं समुद्र पूर्वानुमान सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1 जून, 2018 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संभाव्यता प्रखंड स्तर मौसम पूर्वानुमान सृजित करने के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में एक इन्सेम्बल मौसम पूर्वानुमान प्रणाली आरंभ की। यह मंत्रालय द्वारा 6.8 पेटा फ्लॉप्स की एक संयुक्त क्षमता के साथ नये सुपर कम्प्युटरों प्रत्युष एवं मिहिर की खरीद के कारण संभव हो पाया है।

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 23 देशों के मिशन इनोवेशन नेटवर्क में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तीन वर्षों से कम की अवधि में आर एंड डी में निवेश दोगुना हो गया है। भारत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा इन्क्यूबेटर की घोषणा की है।

देश के कई क्षेत्र जल संकट झेल रहे हैं और पानी की खराब गुणवत्ता का सामना कर रहे हैं। मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में सस्ती दर पर सुरक्षित पेयजल के लिए कई कार्यक्रमों की शुरूआत की है। इसके लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की गई हैं।

विज्ञान व तकनीक मानव संसाधन आर एंड डी के आधार हैं। पिछले चार वर्षों में मंत्रालय ने वैज्ञानिकों, शिक्षकों, युवा शोध कर्मियों के क्षमता निर्माण की वृद्धि करने का प्रयास किया है। मंत्रालय ने 11 लाख लोगों को सहायता दी है- स्कूल स्तर से लेकर पोस्ट-डॉक्टरल शोध तक। युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञान व तकनीकी विभाग ने कई योजनाओं की शुरूआत की है। मंत्रालय विदेशों में बसे भारतीय मूल के 600 प्रमुख वैज्ञानिकों को देश वापस लौटाने के कार्य में सफल हुआ है। ❑

सबके सर पर छत सुनिश्चित करने की तैयारी

रंजीत मेहता

सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडे में सस्ते घर को काफी प्रमुखता दी है। साल 2022 तक सबके के लिए घर का मौजूदा सरकार का वादा ऐसा नजरिया है, जो जरूरतमंद लोगों के सामने पूरी तरह से अलग मौके और जरूरतें पेश करता है और इस सपने को पूरा करना चमकदार भारत बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है

शहरी सभ्यता की शुरुआत से ही घर को लेकर लोगों, परिवारों, समूहों और सरकार की काफी दिलचस्पी रही है। 21वीं सदी को शहरी सदी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि सभ्यता की शुरुआत के बाद पहली बार देश के शहरी इलाकों में गांवों के मुकाबले ज्यादा लोग रह रहे हैं। तेज रफ्तार से दौड़ रही इस दुनिया में शहरीकरण का ट्रेंड लाजमी है। खास तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह और जरूरी है। तमाम शहरों में सबसे अहम समस्या घर की है। इसकी वजह बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में लोगों का पलायन है। खास तौर पर महानगरों और राज्यों की राजधानी में लोगों का बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है। हर शहर में घर की कमी है, लिहाजा तकरीबन 50 फीसदी आबादी झुग्गियों में रहने को मजबूर है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आय के स्तर में बढ़ोतरी और आबादी में बदलाव के कारण भविष्य की आबादी की जरूरतों को पूरा करने की खातिर परिवहन व्यवस्था, घर, जमीन और बाकी शहरी सुविधाओं पर दबाव बढ़ा है। जहां पिछले दशक में सकल आबादी की ग्रोथ में कमी आई है, वहीं शहरी आबादी की वृद्धि दर राष्ट्रीय आबादी की सालाना वृद्धि दर के मुकाबले दोगुनी है।

भारत में शहरी आबादी का आंकड़ा साल 2031 तक 60 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो कुल आबादी का 50 फीसदी से भी ज्यादा होगा। साल 2011 में यह आंकड़ा 37.7 करोड़ था। इस दौरान कुल शहरों की संख्या 50 थी। साल 2031 तक इसकी संख्या बढ़कर 87 हो जाने का अनुमान है। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शहरों का हिस्सा 2009-2010 में 62-63 फीसदी (उच्चस्तरीय विशेष कमेटी, 2011) था, जिसके 2031 तक बढ़कर 75 फीसदी तक पहुंच जाने का अनुमान है। नतीजतन, हमारे शहरों में जीवन स्तर को सुधारने और मौजूद व भविष्य की घर की कमी की चुनौती से निपटने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा, शहरी इलाकों में अवसंरचना संबंधी बाकी गड़बड़ियों पर भी काम करने की जरूरत है।

सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में (शहरी आवास से जुड़ी तकनीकी कमेटी, 2011) शहरों में तकरीबन 1.87 करोड़ रिहायशी इकइयों की कमी होने को लेकर अनुमान जताया था। इन 1.87 करोड़ रिहायशी इकाइयों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके और कम आय वाले समूह की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है यानी घरों की कमी के मामले में इन समूहों की हिस्सेदारी 96 फीसदी होगी।

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के मुताबिक, आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) और कम आय समूह (एलआईजी) की सालाना रिहायशी आमदनी क्रमशः 1,00,000 रुपए और 1,00,000-2,00,000 रुपए होती है। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में करीब 4.36 करोड़ घरों की कमी होने का अनुमान है। जिन लोगों को घरों की कमी होगी, उनमें से 90 फीसदी परिवार गरीबी रेखा से नीचे वाले होंगे। सरकार ने अनुमान जताया था कि घरों की इस कमी को दूर करने के लिए 1.62 करोड़

लेखक पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली में प्रमुख निदेशक हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा क्षेत्र, अक्षय ऊर्जा, ऑयल और गैस, आवासीय क्षेत्र, रियल एस्टेट नियामक विधेयक, जमीन अधिग्रहण बिल, दिल्ली के मास्टर प्लान, राष्ट्रीय जल नीति और लॉजिस्टिक से संबंधित विभिन्न मुद्दों को निपटाने के लिए काम किया है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर काफी कुछ लिखा है। उनकी प्रकाशित कृतियों में 6 किताबें, 45 से भी ज्यादा शोध पत्र, कई जर्नल और प्रमुख राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख शामिल हैं। ईमेल: ranjeetmehta@gmail.com

नए किफायती घरों की जरूरत है, जबकि मौजूदा घरों में भीड़ जैसी स्थिति को कम करने के लिए 1.26 आवासीय इकाइयों की जरूरत है। कुछ वैसे घर जहां नवीनीकरण की जरूरत है, वहां बुनियादी अवसंरचना भी उपलब्ध नहीं है। (एनएचबी, 2011)

इस दिक्कत को भांपते हुए मौजूदा सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडे में सस्ते घर को काफी प्रमुखता दी है। साल 2022 तक सबके के लिए घर का मौजूदा सरकार का वादा ऐसा नजरिया है, जो जरूरतमंद लोगों के सामने पूरी तरह से अलग मौके और जरूरतें पेश करता है और इस सपने को पूरा करना चमकदार भारत बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। '2022 तक सबके लिए घर' वाली यह बदलावकारी योजना को भारत सरकार ने 17 जून 2015 को शुरू किया था। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से शुरू किया गया, जिसका मकसद शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को सस्ते में घर मुहैया कराना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - 2022 तक सबके लिए घर

सस्ता घर मुहैया कराने के लिए कई साल से कोशिशें चल रही हैं। हालांकि, 2015 में इस संबंध में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना इन कोशिशों को नई स्फूर्ति मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना-शहरी में सभी शहरी आवासीय योजनाओं को मिला दिया गया है और इसका मकसद साल 2022 तक 'सबके लिए घर' का लक्ष्य हासिल करना है। 2 करोड़ घरों की किल्लत को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के जरिए दूर करने की बात कही गई है।

इस अभियान के चार पहलू हैं:

1. मूल स्थान पर झुग्गियों का पुनर्विकास (आईएसएसआर): इसमें जमीन को संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस योजना का मकसद सरकारी/निजी जमीन पर मौजूदा झुग्गियों का पुनर्विकास कर झुग्गी निवासियों को घर मुहैया कराना है। इस योजना के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नियोजन और अमल करने वाले प्राधिकरणों को केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख प्रति घर दिया जाता है।

2. साझेदारी में सस्ता घर (एएचपी): इसका मकसद सस्ती घर वाली परियोजनाओं में निजी डेवलपर्स को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके की खातिर निजी परियोजनाओं में 1.5 लाख रुपए प्रति घर के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस तरह की सहायता वैसे मामलों में दी जाती है, जहां कम से कम 35 फीसदी घरों का निर्माण आर्थिक रूप से कमजोर तबके वाली कैटेगरी के तहत किया जाता है।

सस्ता घर मुहैया कराने के लिए कई साल से कोशिशें चल रही हैं। हालांकि, 2015 में इस संबंध में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना इन कोशिशों को नई स्फूर्ति मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना-शहरी में सभी शहरी आवासीय योजनाओं को मिला दिया गया है और इसका मकसद साल 2022 तक 'सबके लिए घर' का लक्ष्य हासिल करना है।

3. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस): यह योजना ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों को घरों की खरीद के लिए आसानी से संस्थागत स्तर पर कर्ज मुहैया कराती है और ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी तत्काल उधार लेने वाले के खाते में चली जाती है। इससे होम लोन और मासिक किस्त (ईएमआई) का बोझ कम हो जाता है।

लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण या विस्तार (बीएलसी): इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर तबके/कम आय वाले समूह लोगों के लिए नए निर्माण या मौजूदा घर के विस्तार के लिए 1.5 लाख रुपए (प्रति परिवार) की राशि दी जाती है।

सरकार ने पानी की सुविधा, साफ-सफाई और चौबीस घंटे बिजली की सप्लाई के साथ किफायती पक्का घर बनाने की योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों के गरीब लोगों के लिए 2 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर तबके और कम आय समूह वाले भी शामिल हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख करोड़ रुपए (31 अरब डॉलर) की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना को बाकी योजनाओं के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, पीने के पानी की उपलब्धता और जन धन बैंकिंग सुविधाएं आदि से घरों को लैस किया जा सके।

शहरी इलाकों को ध्यान में रखते हुए पेश इस योजना में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और शहरों को निम्नलिखित विकल्प दिए गए है:-

- जमीन के संसाधन का इस्तेमाल करते हुए निजी डिवेलपर्स की भागीदारी के साथ झुग्गीवासियों का पुनर्वास
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के जरिए कमजोर तबके के बीच सस्ते घर की योजना को बढ़ावा देना;
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी के जरिए सस्ते घर की योजना

पर काम करना और लाभार्थी की अगुवाई में घर के निर्माण या इसके विस्तार की खातिर सब्सिडी मुहैया कराना।

इसके अलावा, सबके लिए घर मुहैया कराने भारत सरकार ने खातिर बजट में कुछ कदमों का ऐलान किया है। केंद्रीय बजट 2017-18 के प्रावधान रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव के लिहाज से काफी अहम थेण खास तौर पर सब के लिए 2022 तक घर के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये ऐलान महत्वपूर्ण हैं।

सस्ते घर को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 में कई तरह के उपायों का ऐलान किया गया।

आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में किए गए अहम प्रावधान इस तरह हैं:-

- सस्ते घर को अवसंरचना का दर्जा दिया गया है
- साल 2019 तक गांवों में एक करोड़ घर बनाए जाएंगे
- राष्ट्रीय आवास बैंक 20,000 करोड़ के कर्ज को रिफाइनेंस करेगा
- प्रधानमंत्री आवास योजना को 23,000 करोड़ रुपए मिलेंगे
- बिना बिके हुए स्टॉक पर रियल एस्टेट डिवेलपरों को टैक्स राहत मिलेगी। दरअसल, कैपिटल गेन्स का भुगतान सिर्फ उसी साल में करना पड़ेगा जिस साल परियोजना पूरी होगी ख 30 और 60 वर्ग मीटर के बिल्ट अप एरिया के बजाय सस्ते घर के लिए 30 और 60 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया का नियम लागू होगा
- अचल संपत्तियों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स का होल्डिंग पीरियड 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया
- बिना बिके हुए स्टॉक के लिए काम पूरा होने का सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक साल तक टैक्स छूट
- इंदिरा आवास योजना का दायरा 600 जिलों तक बढ़ाया जाएगा
- कैपिटल गेन्स के लिए सूचीकरण के आधार को 01-04-81 से 01-04-2001 कर दिया गया

इसके अलावा, आवास क्षेत्र के लिए नीचे दिए गए कुछ बदलावकारी उपायों पर विस्तार से चर्चा हो रही है-

घर हो अपना, सबका सपना - प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई)

- आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2022 में सभी के पास अपना घर हो
- पहले ब्याज दर पर 6.5 प्रतिशत की छूट के साथ 6 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते थे, अब 9 लाख रुपये और 12 लाख रुपये के आवास ऋण ब्याज दर क्रमश: 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की छूट के साथ दिए जाते है
- पिछले साढ़े तीन वर्षों में, शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 1 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया

स्मार्ट सिटी - बेहतर सिटी

- बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन और क्षेत्र आधारित विकास, निरंतर शहरी नियोजन और विकास सुनिश्चित करने के लिए करीब 100 शहरी केन्द्रों का स्मार्ट सिटी के रूप में चयन
- इन शहरों में विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं पर 2,01,979 करोड़ रुपये खर्च आएगा और इसका करीब 10 करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

गांव मजबूत बने - श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन के साथ

- अगले 3 वर्षों के दौरान ऐसे 300 रुर्बन क्लस्टरों का विकास जो खुले में शौच मुक्त, हरे-भरे हों और साथ ही कृषि आधारित और कौशल श्रम बल पर आधारित विषय क्षेत्र संबंधी क्लस्टर हों तथा आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुंच हो
- 267 क्लस्टरों की पहचान हो चुकी हों 29 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के लिए 153 समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं को मंजूरी जो प्रत्येक क्लस्टर में निवेश की मूल योजना है

गांव जुड़े सड़कों से- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- 2019 तक हर गांव को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। ग्रामीण सड़क़ संपर्क 2014 में जो 56 प्रतिशत था अब बढ़क़र 82 प्रतिशत हो चुका है, इसमें सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों के गांव भी शामिल हैं।
- निकट भविष्य में 73,727 किलोमीटर सड़कों का निर्माण का लक्ष्य

सस्ते घर से जुड़े सेक्टर को अवसंरचना का दर्जा : यह भारत सरकार की अहम पहल थी। सस्ते घर से जुड़े क्षेत्र को 'अवसंरचना का दर्जा' दिए जाने से काफी सकारात्मक असर होगा और यह '2022 तक सबके लिए घर का मिशन' को भी बढ़ावा देगा। इसमें निजी खिलाड़ियों की सहभागिता के कारण प्रतिस्पर्धा तेज होगी और इसके परिणामस्वरूप मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के वैसे लोगों के लिए इस क्षेत्र में बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे, जिनका इरादा अपना पहला घर खरीदने का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी सस्ते घर के अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने ऐलान किया है कि इस योजना के तहत 9 लाख से ऊपर के कर्ज पर सिर्फ 4 फीसदी सालाना ब्याज लगेगा, जबकि 12 लाख से ऊपर का कर्ज 3 फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा। हालांकि, इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबका (ईडब्ल्यूएस) या कम आय वाला समूह (एलआईजी) इसका लाभार्थी होगा या नहीं। सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि को भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। लिहाजा, प्रॉफिट लिंक्ड आयकर छूट के लिए अब ज्यादा से ज्यादा परियोजनाएं सक्षम होंगी। अब तक हमने देखा है कि सस्ते घर वाले सेगमेंट में मांग काफी ज्यादा रहने के बावजूद इस क्षेत्र में निजी डिवेलपरों की भागीदारी बेहद सीमित है। प्रॉफिट लिंक्ड छूट और सस्ते घर को अवसंरचना का दर्जा दिए जाने से डिवेलपर की सस्ते घर संबंधी परियोजनाओं में दिलचस्पी बढ़ेगी। इस तरह से इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ेगी।

कम लागत वालेधसस्ते घर के लिए नियम में बदलाव : कम लागत वालेध सस्ते घर के लिए अब पैमाना बदल गया है। पहले इसके लिए 30/60 वर्ग मीटर बिल्ट अप एरिया की शर्त थी, जिसे अब बदलकर 30/60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया कर दिया गया है। लिहाजा सस्ते घर का सेगमेंट खरीदारों और बिल्डर दोनों के लिए ज्यादा आकर्षक हो गया है। बिल्ट अप एरिया के बजाय कारपेट एरिया वाला शर्त होने के साथ खरीदारों को ज्यादा बड़ा घर मिल पाएगा और बिल्डर खरीदारों के बड़े हिस्से तक अपनी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग कर सकेगा। 30 वर्ग मीटर की सीमा का नियम 4 महानगरों की नगर निकाय सीमाओं तक भी लागू होगा, जबकि महानगरों के आसपास के इलाकों समेत देश के बाकी हिस्सों में 60 वर्ग मीटर की सीमा का नियम ही लागू होगा।

अचल संपत्तियों के लिए होल्डिंग अवधि 3 साल से घटकर 2 साल हुई: बजट 2017-18 में अचल संपत्तियों के मामले में लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए होल्डिंग अवधि की सीमा को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। इससे दो साल के बाद प्रॉपर्टी बेचने वाले लोगों पर काफी हद तक टैक्स का बोझ कम हो सकेगा और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकेगा। सरकार ने आधार वर्ष (बेस ईयर) में बदलाव किया है, जिसके तहत अचल संपत्ति के अधिग्रहण की लागत की सूची तैयार होती है। अब नया आधार वर्ष 2001 है, जबकि पहले यह 1981 था। इससे लोगों को अपनी अचल संपत्तियों के खरीद मूल्य को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस तरह से उनका कुल कैपिटल गेन्स घटेगा।

साथ ही, काम पूरा होने का सर्टिफिकेट मिलने के बाद नहीं बिके हुए स्टॉक के लिए एक साल तक टैक्स में छूट भी बिल्डरों के लिए राहत की सांस की तरह है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तकरीबन 20,000 करोड़ के निजी होम लोन को रिफाइनेंस करेगा

राष्ट्रीय आवास बैंक की रिफाइनेंसिंग योजना से मौजूदा घर के मालिकों के बीच माहौल बेहतर होगा। खास तौर पर उन लोगों के बीच जो पहले ऊंची ब्याज कर को झेल चुके हैं।

संयुक्त डिवेलपमेंट समझौते (जेडीए) के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स दायित्वों में बदलाव

बजट ने इस सिलसिले में मौजूदा चलन को बदल दिया है। बजट में साफ किया गया है कि मकान या फ्लैट बनाने के लिए संयुक्त डिवेलपमेंट समझौता करने वाले जमीन मालिक को परियोजना पूरी होने पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। यह काफी अहम बदलाव है, जिसकी लंबे समय से जरूरत थी। इससे कई पहलुओं को लेकर चीजें साफ होंगी और विभाग के साथ मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। इसको लेकर मौजूदा अस्पष्टता के कारण ऐसे मामलों में मुकदमेबाजी का प्रचलन आम हो गया था।

इसका मतलब यह है कि अगर संपत्ति के डिवेलपमेंट (मकान बनाने) के लिए संयुक्त डिवेलपमेंट समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो कैपिटल गेन्स टैक्स सिर्फ परियोजना के पूरे होने वाले साल में लगेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करने के कुछ अन्य उपायों के अलावा यह कदम न सिर्फ जमीन मालिकों को राहत मुहैया कराएगा, बल्कि बिल्डरधप्रमोटर को भी इसमें सहूलियत होगी और उनका बोझ हल्का हो सकेगा। इससे जमीन के सौदों में मदद मिल सकती है और प्रॉपर्टी के बाजार में जमीन की आपूर्ति बढ़ेगी। प्रॉपर्टी का बाजार पिछले तीन साल से दबाव में चल रहा है।

लैंड (जमीन)-पूलिंग फॉर्मूला

बजट में ऐलान किया गया कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निर्माण नए तरह के लैंड पूलिंग फॉर्मूले के तहत किया जा रहा है और इसमें जमीन अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जमीन अधिग्रहण बिल के मद्देनजर यह एक अहम कदम है। जमीन अधिग्रहण बहस का मुद्दा बना हुआ है और बड़े पैमाने पर विकास के मामले में भी यह बड़ी बाधा है। लैंड पूलिंग का नया फॉर्मूला बड़े पैमाने पर जमीन से जुड़े विवादों की संख्या में कमी कर सकता है और इससे विकास की रफ्तार को भी बढ़ावा मिलेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट से वैसे जमीन मालिकों का भरोसा बढ़ेगा, जिनकी जमीन की पूलिंग (इकट्ठा किया जाना) सरकारी योजना के तहत राजधानी बनाने के लिए की जा रही है। हालांकि, यह छूट सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो 2 जून 2014 तक इस तरह की जमीन के मालिक थे। इसी तारीख को आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था।

बहरहाल, साल 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की भारत सरकार की पहल के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आवास क्षेत्र में बढ़ोतरी का मामला सीधे तौर पर इससे जुड़े 65 उद्योगों से जुड़ा हुआ है।

बड़ी संख्या में युवा आबादी के रूप में भारत के पास संख्या बल का बड़ा फायदा है और रोजगार सृजन की रफ्तार बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाना बेहद जरूरी है। आवास से जुड़ा उद्योग श्रम आधारित है और इससे कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों का रास्ता साफ होता है, जबकि रोजगार सृजन में भी मदद मिलती है। यह युवाओं की आकांक्षाओं के लिहाज से भी काफी उपयुक्त है और इससे इस क्षेत्र के जनांकिक लाभ को भी हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

ये उपाय डिवेलपरों को कई तरह की सुविधाएं, सब्सिडी, टैक्स लाभ और सबसे अहम संस्थागत फंडिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लिहाजा, इससे देश में सस्ते घर के क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हो सकती है।

जनवरी से सितंबर 2017 के दौरान सस्ते घर वाले सेगमेंट में सालाना आधार पर 27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि इस दौरान रिहायशी मकानों के मामले में 33 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। सस्ते घर वाले सेगमेंट में इस तरह की बढ़ोतरी शायद प्रधानमंत्री आवास योजना-एचएफए को मिशनरी अंदाज में लागू करने, सस्ते घर को अवसंरचना का दर्जा दिए जाने और कर्ज (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और बैंक) की बढ़ती सहूलियत का नतीजा था।

साल 2022 तक सस्ते घर के वित्तपोषण का मामला 6 लाख करोड़ का कारोबारी अवसर बनने का अनुमान है। गौरतलब है कि सरकार का इरादा 2022 तक सभी नागरिकों के लिए घर का लक्ष्य हासिल करना है। सरकार ने देशभर में सस्ते घर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के अभियान शुरू किए गए हैं। आंकड़ों की मानें तो 2016-17 में इस सेगमेंट में नई परियोजनाओं की शुरुआत और लोन के भुगतान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बीच घरों के लिए वित्तीय क्षमता बेहतर करने में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना काफी असरदार साबित हुई है। ❑

YH-878/2018

Mc Graw Hill Education

UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2018

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका

की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

₹ 310/-

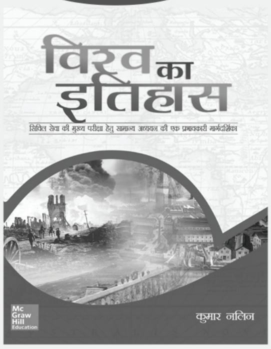

ISBN: 9789352602292

₹ 255/-

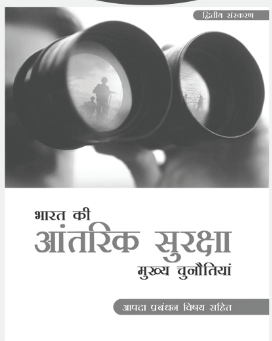

ISBN: 9789352606160

₹ 475/-

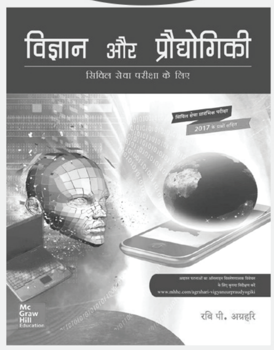

ISBN: 9789352607501

शीघ्र प्रकाशित

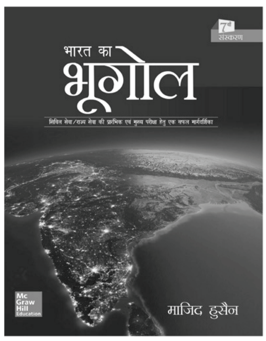

ISBN: 9789387886155

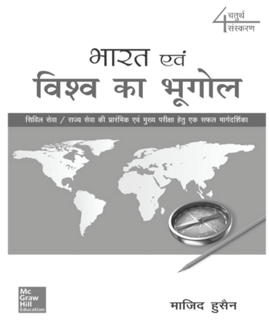

ISBN: 9789387572904

प्रमुख विशेषताऐं :

- प्रस्तुत शीर्षक का संक्षिप्त एवं सारगर्भित रूप में प्रस्तुतीकरण ताकि पाठकों को उपयुक्त विषय की आधारभूत विषय वस्तु के साथ हीं नई परिकल्पनाओं एवं शोधपूर्ण सामग्रियों से परिचित कराया जाये
- प्रत्येक अध्याय का विश्लेषणात्मक विवेचन जिसमें सिविल सेवा के अतिरिक्त विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों के राज्य सेवा की परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक एवं मुख्य) के अद्यतन सिलेबस का बखूबी ध्यान
- प्रत्येक अध्याय में निहित मूल तथ्यों को अद्यतन आंकड़ों /तथ्यों से नवीन बनाये जाने का प्रयास ताकि इसकी प्रमाणिकता बरकरार रहे
- पूर्व वर्षों में पूछे गए सिविल सेवा के प्रश्नों को विश्लेषणात्मक विवेचन के साथ शामिल करने का पूरा प्रयास

Prices are subject to change without prior notice.

मेक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

टोल फ्री नं.: 1800 103 5875 | ई-मेल: support.india@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

YH-876/2018

हमारे नए प्रकाशन

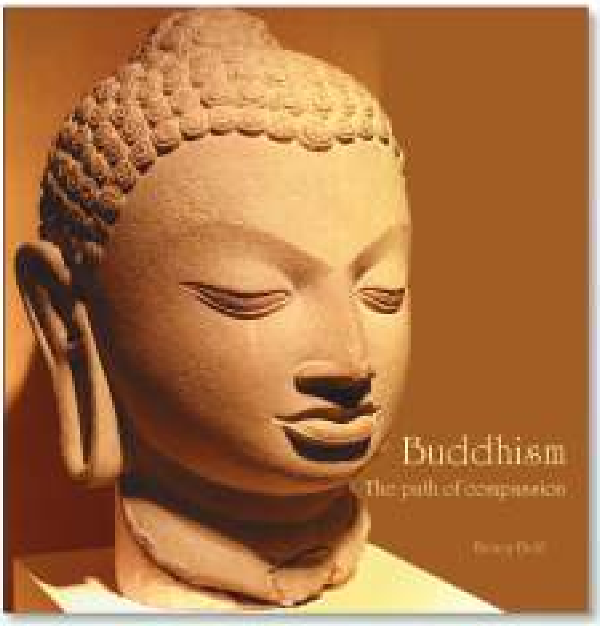

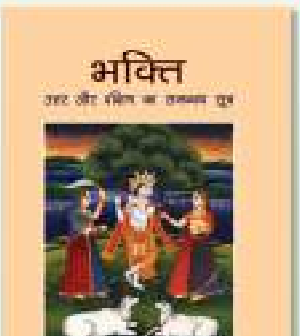

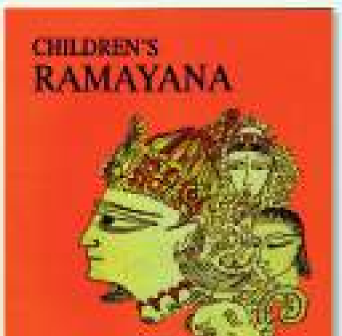

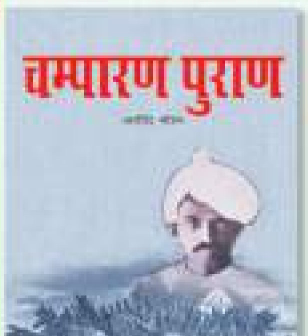

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

@DPD_India

ऑनलाइन आर्डर के लिए
लॉग इन करें –www.bharatkosh.gov.in
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
ऑर्डर के लिए संपर्क करें-
फोन : 011-24367453, 24367260, 24365609,
ई मेल : pdjucir@gmail.com, businesswng@gmail.com

प्रधानमंत्री ने हाल ही में सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के साथ-साथ लक्षित क्षेत्रों के लाभार्थियों से बातचीत की। इस बातचीत का मकसद यह जानना रहा कि विभिन्न पहलों के जरिए लाभार्थियों खास कर गरीबों के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में आये साकारात्मक बदलाओं के बारे में जानकारी दी।

विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत

- यह हर नागरिक को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास है।
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना इस इरादे से शुरू की गई है ताकि गरीब, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग को किफायती दवाएं मिल सकें और उनका वित्तीय बोझ कम हो जाए।

- सरकार ने पूरे देश में 3600 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खोले हैं जहां सस्ती कीमत पर 700 से अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हैं।
- हृदय स्टेंट्स की लागत 2 लाख से 29000 रुपए हो गई है।
- सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत देश के 500 से अधिक जिलों में 2.25 लाख मरीजों के लिए 22 लाख डायलिसिस सत्रों का आयोजन किया।
- देश के 528 जिले में मिशन इंद्रधनुष के जरिए 3.15 करोड़ से अधिक बच्चों और 80 लाख गींवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है।
- अधिक बिस्तर, अधिक अस्पताल और अधिक डॉक्टरों की सेवा मुहैया कराने के मकसद से सरकार ने 92 मेडिकल कॉलेज खोले हैं और 15000 तक एमबीबीएस सीटों में वृद्धि की है।
- आयुस्मान भारत के तहत 10 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपए स्वास्थ्य की बीमा के साथ कवर किया जाएगा।

युवा नव प्रवर्तकों और उद्यमियों से बातचीत

- प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार जनसांख्यिकीय लाभांश को संभालने की दिशा में प्रतिबद्ध है।
- सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड फॉर फंड्स बनाया है, ताकि युवा उद्यमियों को पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें नवाचार करने में भी सुविधा हो।
- गवर्नमेंट-ई-मार्केट प्लेस (जीइएम) को स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल से जोड़ा गया है ताकि स्टार्ट-अप अपने उत्पाद सरकार के पास बेच सके।
- स्टार्ट-अप को तीन साल तक आयकर से छूट दी गई है।
- छह श्रम कानून और तीन पर्यावरणीय कानूनों में बदलाव लाया गया है ताकि युवा उद्यमी को कठिनाइयां नहीं हो।
- सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया नाम से वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफार्म शुरू किया है जहां स्टार्ट-अप और इसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सभी जानकारी उद्यमियों के लिए उपलब्ध है।